खण्ड-335, अंक-6
शुक्रवार, 24 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(15 दिसम्बर, 1978 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय सूची


| विषय | | | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित सदस्य | .. | .. | .. | ७९१–७९४ |
| प्रश्नोत्तर | .. | .. | .. | ७९५–८२९ |
| बस्ती जिले के विद्युत् विभाग के प्रथम व द्वितीय डिवीजन में गबन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | | .. | ८२९–८३० |
| अन्तर्प्रान्तीय दस्युदल का उन्मूलन करने वाले चुनार, मिर्जापुर के थानाध्यक्ष, श्री के० एन० सिंह तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | .. | .. | ८३० |
| लक्ष्मी शुगर मिल महोली, सीतापुर में गन्ना पिराई बन्द होने से संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | | .. | ८३१ |
| ग्राम कालूखेड़ा, जिला उन्नाव निवासी श्री राजाराम दीक्षित की गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | .. | .. | .. | ८३१–८३२ |
| फिरोजाबाद, आगरा में राजकीय नलकूपों के बन्द होने से किसानों के समक्ष संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | .. | .. | .. | ८३२ |
| नेहरू कालेज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में प्राचार्य एवं प्रबन्धक के अत्याचार से वहां के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | .. | .. | ८३३ |
| कानपुर विश्वविद्यालय के गैरशिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | | .. | ८३३–८३४ |
| प्रदेश के पशुधन विकास सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | .. | .. | .. | ८३४ |
| बस्ती जनपद की मुण्डेरवा चीनी मिल चालू न होने से क्षेत्रीय कृषकों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | .. | .. | .. | ८३४–८३५ |
| उत्तर प्रदेश काटन क्लाथ एण्ड यार्न डीलर्स, लाइसेंसिंग आर्डर के के अन्तर्गत ली जाने वाली फीस में वृद्धि से व्यापारियों में असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना | | | .. | ८३५–८३६ |
| मंत्रि-परिषद् के कतिपय मंत्रियों द्वारा शासन विरोधी वक्तव्य देकर संयुक्त जिम्मेदारी का उल्लंघन किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति | | | .. | ८३६–८४३ |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| असरकारी दिवस का कार्यक्रम बदलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. .. .. | ८४४ |
| श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव करने का प्रयास .. .. .. | ८४४-८४६ |
| नगरमहापालिका, लखनऊ जल-परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. | ८४६ |
| उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ का १८वां वार्षिक लेखा विवरण १९७५-७६ (सदन के पटल पर रखा गया) .. | ८४७ |
| बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. | ८४८ |
| विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें .. | ८४८ |
| प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य रोक दिए जाने के फलस्वरूप सिंचाई कार्य अवरुद्ध हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. .. | ८४८-८५७ |
| सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए नेताओं एवं सदस्यों के सहयोग की श्री अध्यक्ष द्वारा अपील .. .. | ८५७-८६१ |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. .. | ८६१-८६२ |
| सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा चेतावनी .. .. .. | ८६३-८६७ |
| अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा (जारी) .. | ८६७-८९७ |
| १९७८-७९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) .. | ८९७ |
| अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा .. | ८९८-९०२ |
| नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें .. .. | ९०२ |
| शुक्लागंज, जिला उन्नाव के निवासी श्री प्रकाश त्रिपाठी उर्फ मुन्ना तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में हुए वक्तव्य पर अग्रेतर स्पष्टीकरण .. .. | ९०२-९०९ |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों को समाप्त करने के प्रस्ताव को लाने के लिए नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव (अस्वीकृत) | ९०९-९१९ |
| प्रदेश में शीत लहरी से लगभग २५ व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. | ९१९-९२१ |
| प्रदेश में नक्सलपंथी बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४ (नत्थी घ) के सम्बन्ध में नियम ४१ के अन्तर्गत चर्चा .. .. | ९२१-९२२ |
| नत्थियां .. .. .. | ९२३-९३० |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक १५ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३२८

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० फ्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राममिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल बिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजे प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री

चेतराम गंगवार, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भंसोर, श्री

नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पदमाकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुमांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री

भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री

रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पंडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उफ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

# प्रश्नोत्तर

## शुक्रवार, १५ दिसम्बर, १९७८

### अलसूचित तारांकित प्रश्न

**संसद् तथा विधान मण्डल सदस्यों के प्रति सरकारी अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार सम्बन्धी पालनीय नियम**

**१--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब कोई विधान मण्डल का सदस्य या संसद का सदस्य किसी सरकारी अधिकारी अथवा सचिव से मिलने जाता है तो कोई शिष्टाचार सम्बन्धी नियम इस सम्बन्ध में है ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

जब कोई विधान मंडल का सदस्य या संसद सदस्य किसी सरकारी अधिकारी अथवा सचिव से मिलने जाय तो उसके प्रति क्या शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हैं ।

इस विषय पर शासन द्वारा कतिपय आदेश जारी किये गये हैं । यह निर्देश है कि जब विधायकगण या संसद सदस्य जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जायं तो उनके साथ अत्यन्त नम्र एवं मृदु व्यवहार किया जाय । न केवल अधिकारी स्तर पर बल्कि जनसम्पर्क के सभी बिन्दुओं के छोटी से छोटी इकाई स्तर पर जन प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं । समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग को यह निर्देश है कि वह विधान मंडल एवं संसद सदस्यों से मिलने में कठिनाई उत्पन्न न होने दें, उनके प्रति विनम्र व्यवहार करें एवं अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें । संसद सदस्यों/विधायक गणों को अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार हेतु वरीयता प्रदान की जाय । जहां विधायकगण का कोई प्रस्ताव मानना सम्भव न हो, वहां स्थित अत्यन्त शिष्ट ढंग से माननीय संसद सदस्य/विधायक को समझा दी जाय । शिष्टाचार मामले में चाहे कोई बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, यह निर्देश है कि किसी भी चीज के ब्यौरे के बारे में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिये ।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)--

माननीय, कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये । कोरम है ।

श्री शिवानंद नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि जिस दिन आपने कृपा पूर्वक इस प्रश्न को स्थगित किया था उस दिन की स्थिति में और आज की उत्तर को

स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं है । थोड़ा भाषा को जरूर बढ़ाकर बना दिया गया है परन्तु जो मूल प्रश्न था, उसका अभी तक माननीय मंत्री महोदय से उत्तर नहीं प्राप्त हुआ ।

मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, कि जिस पत्र का हवाला मैंने उस दिन दिया था, कार्मिक और प्रशासनिक विभाग, भारत सरकार ने ८ नवम्बर, १९७४ के पत्र के विषय में, उसके बारे में क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह पत्र उनके विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की है, कब की है और उस पर शासन की ओर से क्या निर्देश दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह पत्र भारत सरकार का इस बीच में मंगाया है । पैरा ५ में जो बातें उठायी थी, वे यही हैं । उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जब कोई सदस्य या विधायक किसी अधिकारी से मिलने जायं तो वह अपनी जगह से खड़े होकर मिलें और बाद में पहुंचाने जायं । तो यह निर्देश है । उसके बाद उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि प्रान्तीय सरकार से समय-समय पर निर्देश भेजा गया है कि जन-प्रतिनिधियों के साथ लगातार शिष्ट और नम्र व्यवहार किया जाय और इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिये ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस पत्र में संस्तुतियों को उन्होंने आज स्वीकार किया है, उनको मिल गई हैं, उस पत्र पर मैंने जैसा प्रश्न उठाया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई ? और उस कार्यवाही करने में क्या समस्त प्रदेश के अधिकारियों और सचिवों को यह आदेश भेजे गये हैं और यदि हां, तो कब और क्या इनकी जो प्रतियां, जो कह रहे हैं कि हमने आदेश दिये हैं, क्या माननीय सदस्यों को भी देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि जुलाई, अगस्त, और अक्तूबर, १९७८ में ३ पत्रों का हवाला मैंने दिया था, उसमें यह तो नहीं लिखा था कि किस प्रकार खड़े होकर अधिकारी लोग मिलें या पहुचायें लेकिन मंशा यही थी जिसके बारे में सरकार ने आदेश जारी किये हैं और प्रान्तीय सरकार ने हिदायतें भेजी हैं कि इस संबंध मे जो भारत सरकार के आदेश हैं उनकी कम्प्लायंस की जाए । जिन पत्रों का पहले हवाला किया था, जहां तक इसके मिल जाने के बाद निर्देश जारी करने का प्रश्न है, कोई स्पेसिफिक बात आए कि फलां जगह फलां आदमी ने ठीक व्यवहार नहीं किया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी । बाकी तो जनरल हिदायतें हैं और कम्प्लायंस हो रही होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान संदर्भित पत्र के अतिरिक्त श्री प्रेम प्रकाश, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित अर्धशासकीय पत्र संख्या ७८२-२-संख्या १७-२२०/७२, दिनांक २१ जुलाई, १९७२, जिसमे यह लिखा हुआ है कि सरकार सदस्यों के पत्रों और शिकायतों का यथोचित उत्तर दिये जाने के औचित्य को स्वीकार करती है और आशा करती है कि आप तदनुसार कार्यवाही करेंगे और इसमें कोई ढिलाई नहीं करेंगे । इसमें आगे यह भी लिखा है कि यदि सदस्यों के

पत्रों के उत्तर शीघ्र न दिये जायं तो यह स्थिति आपत्तिजनक है और उसमें किसी प्रकार की उदासीनता को सरकार कठोर दृष्टि से देखती है । यह निर्विवाद है कि सदस्यों के पत्रों पर यथोचित शीघ्र कार्यवाही की जाए । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पत्र संख्या ९/६/७७, दिनांक १६ जून, १९७७ की ओर भी दिलाना चाहूंगा जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि संसद सदस्यों, विधायकों तथा समस्त जन प्रतिनिधियों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त नम्र हो और भविष्य में कोई शिकायत न आने पावे । और इस सम्बन्ध में कोई अवहेलना की जाती है तो क्या कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह सारे पत्र मेरे पास हैं और अगर आपका आदेश हो और सदस्यों का इच्छा हो तो मैं सारे पत्र विस्तार से पढ़ने के बजाय....

श्री अध्यक्ष--

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । माननीय राजेन्द्र कुमार जी का कथन है कि इन परिपत्रों का परिपालन नहीं किया जा रहा है । क्या इस तरह की सूचना आपको मिली है ? यदि सूचना मिली है, तो इनके पालन करने के लिए शासन ने क्या कदम उठाये हैं ? यह उनका प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ऐसा है कि इस वर्ष में पिछले वर्ष में कुछ शिकायतें मुख्य मंत्री जी को मौखिक रूप से कुछ सदस्यों ने मिलकर इस सम्बन्ध में की थीं और उसी कारण से ३-४ परिपत्र जारी करके अधिकारियों को तवज्जह इस ओर दिलायी गई । इसके अतिरिक्त और कोई स्पेसिफिक बात, मैंने निवेदन किया था कि कोई घटना माननीय सदस्य अगर लायें तो तुरन्त कार्यवाही की जाएगी । वैसे अधिकारियों को यह लगातार लिखा जाता रहा है कि वे इस प्रकार की कोई शिकायत न आने दें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करायेंगे कि केन्द्रीय सरकार का जो ८ नवम्बर १९७४ का पत्र आया है उसके पैरा ५ में उल्लेख किया गया है कि जब संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य सरकारी अधिकारियों के पास जायें तो वे कुर्सी से उठें और विदा करते समय कुर्सी से उठें । इसी प्रकार पैरा ६ में जो राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं उस पर व्यवस्था है और पैरा ७ में सूचनाओं के संबंध में व्यवस्था है । तो जैसा उल्लेख इसमें किया गया है वैसा कोई आदेश किसी पत्र द्वारा आपने प्रसारित किया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जो 5 पैरा का हवाला दिया यह सही है उसको दोहराने की बात है । अधिकारियों को हिदायत है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र भेजा है कि जब संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य अधिकारियों के पास जायें तो वह खड़े होकर उनका अभिवादन करें और इसी तरह जाते समय । तो क्या

इस तरह के स्पष्ट आदेश गृह मंत्रालय के सरकुलर के मुताबिक भेजे गये हैं कि नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

माननीय, स्थिति ऐसी है कि सन् १९७४ का केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय का आदेश था बद-किस्मती से वह प्रांतीय सरकार को एड्रेस नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

किसे एड्रेस था ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसकी कौपी यहां थी ही नहीं, जब माननीय सदस्य ने तवज्जो दिलाई तो इसको केन्द्रीय सरकार से मंगवाया ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है यह पत्र संसदीय शोध कमेटी के सामने आ चुका है । यह आपके यहां सचिवालय में मौजूद होना चाहिये था । आपको मंगवाने की जरूरत नहीं थी । अगर ऐसा है तो आपके सचिवालय की इसमें भूल है ।

श्री ऊदल (वाराणसी)--

अगर भारत सरकार का यह पत्र है तो वह जरूर स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगी ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह मेरे पास ओरिजिनल पत्र है अगर आप कहें तो भेज देता हूं । आपकी जानकारी सही है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आदेश दिये हैं कि इस तरह के सब पत्र जो हैं उनका संकलन करके सब सदस्यों को प्रसारित कर दिये जायं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

एक सवाल और करना है ।

श्री अध्यक्ष--

आप एक प्रश्न कर चुके हैं । पहले प्रश्न कर्ता को समय मिलेगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

आपने जिस पत्र का उल्लेख किया उसकी कोपी स्टट गवर्नमेंट को भेजी गई है । उस पत्र में है कि "आल स्टेट गवर्नमट्स" को पत्र भेजा गया है । तो किस आधार पर मंत्री जी कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह जबरदस्ती की बात है जो चीज लिखी हुई है । उसमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है । माननीय सदस्य जिद करते हैं । आपके पास गलत कापी है । मैं कापी दे सकता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह कैसे दे सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

यह अवहेलना है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न उठाकर सदस्यों के अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं ।

रियासत हुसैन--

एक ही पत्र के ऊपर माननीय मंत्री जी ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को एड्रेस नहीं किया है और वही चीज माननीय शम्भूनाथ चौधरी दिखा रहे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लिखा है । आप दोनों पत्रों को मंगा कर देख लें ।

श्री अध्यक्ष--

यह दोनों पत्र मेरे पास भेज दीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मेरे पास जो पत्र है वह संसदीय शोध कमेटी का भेजा गया है, वही आपके पास है ।

श्री अध्यक्ष--

वह पत्र वास्तव में बिहार गवर्नमेंट को गया था लेकिन उसकी कापी प्रत्येक सरकार को भेजी है । मैं देख लूंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

जो लेना देना है वह आपके जरिये होना चाहिये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रोटोकाल में प्रायरिटी के हिसाब से एम० एल० ए० के ऊपर और कौन-कौन अधिकारी हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह प्रोटेकाल से सम्बन्धित. . . .

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी पहले तो आप यह बताइये कि प्रोटोकाल बना भी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

बना है और इसमें एम० पी० सदस्य तथा विधान सभा और विधान परिषद् सदस्य के ऊपर कोई अधिकारी प्रान्त का नहीं है, सब उनसे नीचे हैं ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

आप पूरी प्रायरिटी पढ़ दीजिए ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, लोक आयुक्त, राज्य के मंत्रिगण, नेता विरोधी दल, प्यूनी जजेज, उप सभापति, विधान परिषद्, उपाध्यक्ष, विधान सभा, राज्य मंत्री, उप मंत्री, महापौर अपने-अपने क्षेत्र में, अध्यक्ष, नगरपालिका अपने-अपने क्षेत्र में, संसद सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य, इस तरह से यह एक लम्बी फेहरिस्त है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

इस सदन के विधायक का कहीं नीचे नम्बर है, फिर भी क्या सरकिट हाउस में और डिस्ट्रिक्ट सर्किट हाउस में एम० एल० ए० ठहरने का अधिकारी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सर्किट हाउस के अलग नियम हैं और उसमें संसद सदस्य, विधान सभा और विधान परिषद् सदस्य के अलावा भी अन्य नागरिकों को ठहरने का अधिकार है । उसकी फेहरिस्त है कि कितने पेमेन्ट पर कितने समय वह ठहरेगा ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी मंशा आब्जेक्शन के प्रश्न पर प्रायरिटी को जानने की है । यह तो सही है कि जो सदस्य नहीं है वह भी ठहर सकते हैं । इनका मतलब यह है कि एक समय में सदस्य विधान सभा चाहता है और एक अधिकारी भी चाहता है तो उसमें प्रायरिटी किसको मिलेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्रायरिटी तो इसमें स्पष्ट है, कि जो फेहरिस्त है उसमें है ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी कल्पना कर मत कहिए, क्योंकि यह आपका प्रश्न नहीं है । आप इसको ठीक से मालूम करके बताइये ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि यदि वहां शासन का सेक्रेटरी भी ठहरना चाहता है और विधायक भी ठहरना चाहता है तो विधायक के कैंसिल करके सेक्रेटरी को दिया जाता है, अतः, इसको आप स्थगित कर दीजिए और यह फिर पूरा देखकर बताएं कि जो नियम बनाते हैं उन विधायकों की इसमें स्थिति क्या है । आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह सोहनवीर सिंह ने अप्रासंगिक रूप से रखा है । इस प्रश्न पर सूचना पर्याप्त है । लेकिन आपका यह अप्रसंगिक है, इस पर आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक राज्य सम्पत्ति मंत्री जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं, से है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं उन्होंने जो आदरणीय सदन को अवगत कराया कि प्रोटोकाल के अनुसार विधान मंडल के सदस्यों की स्थिति कहां पर सुनिश्चित है इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश शासन में एक व्यवस्था बनी हुई है, जिन समितियों के सदस्य विधान मंडल के सदस्य होते हैं उनकी अध्यक्षता प्रशासनिक अधिकारी किया करते हैं, इस प्रोटोकाल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस नियम पर पुनर्विचार करके ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हास्यास्पद स्थिति न होने पाये कि विधान मंडल का कोई सदस्य किसी समिति में हो, उसकी अध्यक्षता कोई जिला अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी करें ?

श्री अध्यक्ष--

आप का कहना यह है जिस प्रकार गृह मंत्रालय का परिपत्र है, स्पष्ट रूप से प्रदेशीय सरकार के निर्देश जाने चाहिए कि शिष्टाचार का मतलब क्या है, और जब कोई विधायक या संसद सदस्य जायं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये क्योंकि यह प्रश्न लोक तन्त्र की मान्यताओं का है, किसी सदस्य के व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न नहीं है, वह एक विधि सम्पन्न जन, एक चुना हुआ सदस्य है, इसलिए आपका कर्त्तव्य है कि स्पष्ट रूप से सरकारी अधिकारियों को आदेश दें कि जब वह जायं तो खड़े होकर स्वागत करें, वैसे भी यह तहजीब के मुताबिक है । इसलिए इस पर स्पष्ट रूप से निर्देश होना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने जो पूछा उसका उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

अब नहीं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि हमारे जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं उनको भी सदस्यों से मिलने का शिष्टाचार नहीं आता है, कभी घर में रहते हैं, मिलने से इनकार कर देते हैं, कहलवा देते हैं कि वह घर में नहीं हैं, घर के बाहर हैं, इसकी एक शिष्टाचार की सूची बनाने की कृपा करेंगे और माननीय मंत्रियों को यह आदेश देंगे कि इस शिष्टाचार के मुताबिक वह माननीय सदस्यों से बात करें ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

## सचिवालय के वैयक्तिक सहायकों का स्थायीकरण

**२--श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फर नगर) तथा श्री सिया राम सागर (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कई वर्षों से तदर्थ रूप से कार्यरत वैयक्तिक सहायकों के स्थायीकरण हेतु कोई निर्णय हो में अगस्त,

१९७८ में संशोधन हुआ है ? यदि हां, तो नियमों के बन जाने के पश्चात् इन लोगों के स्थायीकरण में क्या बाधायें हैं और कब तक इनके स्थायी हो जाने की आशा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जी हां, संशोधित नियम के अन्तर्गत प्रश्नगत वैयक्तिक सहायकों के स्थायीकरण हेतु चयन विषयक अधियाचन लोक सेवा आयोग को शीघ्र ही भेजा जा रहा है ।

श्री नन्द राम--

माननीय, मैं जानना चाहूंगा कि इन नियमों में संशोधन जब हो गया है, तो यह आदेश किस तिथि तक प्रसारित कर दिये जायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कोई तिथि निश्चित तो नहीं की जा सकती । मगर बहुत शीघ्र इस पर निर्णय हो गया है और लोक सेवा आयोग को इस सम्बन्ध में एक अधियाचन भेजा जा रहा है ।

श्री नन्द राम--

मैं जानना चाहूंगा कि संशोधन अगस्त, १९७८ में हो गया था इसके कार्यान्वयन में विलम्ब होने का क्या कारण है और जिन लोगों ने विलम्ब किया है उनके प्रति क्या कदम उठाया जायगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अगस्त नहीं २७ जुलाई, १९७८ को मंत्रि परिषद् का निर्णय हुआ था । उसके पश्चात् यह लोक सेवा आयोग को ८ अगस्त को चिट्ठी भेज दी गयी । वहां से कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी है उस आपत्ति का उत्तर भेजा जा रहा है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

वैयक्तिक सहायकगण इस प्रकार से यहां कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या मुझे मालूम नहीं, मैं समझता हूं कई सौ में है, लेकिन यदि उनके सम्बन्ध में जुलाई, १९७८ में नियमावली बना दी गयी तो इसी उद्देश्य से बनायी गयी कि उनका स्थायीकरण किया जायेगा । क्या यह सही नहीं है कि यह इस उद्देश्य से बनायी गयी कि लोक सेवा आयोग के सामने न जाना पड़े और उनका स्थायीकरण इस बात पर हो जाये कि उनकी सेवा ३ वर्ष की हो गयी है । यदि ऐसा है तो ३ वर्ष से अधिक सेवा वाले लोगों को स्थायी क्यों नहीं किया जा रहा है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

नियमावली १३(३) में यह संशोधन किया गया है कि "किसी अन्य नियम के उपबन्धों के होते हुये भी इस उप नियम के प्रारम्भ होने पर विद्यमान आशुलिपिकों के पदों की रिक्तियों को लोक सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा किये गये विशेष चयन के आधार पर केवल ऐसे वैभागिक

अभ्यर्थियों में से भरा जा सकता है, जिन्होंने इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर उक्त पद पर कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि तक तदर्थ या अस्थायी या स्थानापन्न सेवा कर ली हो और जिनका सेवा अभिलेख संतोषजनक समझा जाय।"

इसी में निहित है कि लोक सेवा आयोग द्वारा विशेष चयन कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष --

क्या लोक सेवा आयोग ने इस संशोधन को अभी स्वीकार किया है या नहीं किया है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, इसमें ऐसा है कि कुछ पद जो लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाते हैं, तो उनसे चूंकि बातचीत होना बाकी है और जब तक उनसे किलियरेंस नहीं मिलता है, तब तक नियमावली लागू नहीं की जा सकती है । इसीलिए इस पर विचार हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने संशोधन कर के लोक सेवा आयोग की सहमति के लिए भेजा है, तो अभी तक लोक सेवा आयोग ने अपनी सहमति दी है या नहीं दी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सहमति के लिए नहीं भेजा है । नियमावली में संशोधन होने के पश्चात् लोक सेवा आयोग से निवेदन किया गया था कि इस प्रक्रिया से चयन कर दिया जाये तो उन्होंने दो आपत्तियां उठायी हैं । उन आपत्तियों का अध्ययन किया जा जा रहा है और उत्तर भेजा जायेगा ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन से लोक सेवा आयोग की नियमावली पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह प्रश्न इस प्रकार से करिये कि संशोधन करके इनके स्थायीकरण का मासला लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है अथवा नहीं ?

श्री मित्र सेन--

यही मन्शा है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

बाहर नहीं किया है बल्कि विशेष चयन की संज्ञा दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्ट नहीं है । आपका प्रश्न यह था कि जिनको तीन साल हो गये हैं और जिनकी चरित्र पंजिका ठीक है उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया है ? तो आपने कहा कि नियमों में संशोधन किया गया है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है स्थायी करने के लिए ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

माननीय, यह पद लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने थे, परन्तु १०-१५ साल से विधिवत चयन नहीं किया जा सका है। यह मामला चलता रहा। अब मंत्रि-परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग काम कर रहे हैं और जिनको ३ साल काम करते हो गये हैं, तो उनको विशेष चयन के द्वारा डायरेक्ट रेकरूट के बजाय उनका नियमिति चयन करा दिया जाये। लोक सेवा आयोग को लिखा गया है और उनके द्वारा चयन कराना आवश्यक है।

श्री श्यामधर मिश्र--

एक ओर निकाल रहे हैं और फिर उसी में डाल रहे हैं। क्या माने हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

माननीय, इसमें समझ का फेर है। कई पद ऐसे हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही भरे जाते हैं और वे पद उसकी परिधि में आते हैं। लेकिन चूंकि जितनी आवश्यकता थी उतनी पूर्ति हो नहीं पायी और पिछली सरकार ने वर्षों से लोगों को एडहाक एपाइन्टमेन्ट दे रखे थे। जब जनता पार्टी शासन में आयी, तो उसने निर्णय लिया कि जिनकी सेवा ३ वर्ष १-१-१९७८ तक पूरी हो गयी हैं, उनका स्थायीकरण कर दिया जाय। वैसे स्थायीकरण उन पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं, उनके द्वारा करना पड़ता है, लेकिन हमने उन पदों को उनकी परिधि के बाहर निकल जायं, यह किया। उसके लिए नियमावली बनानी जरूरी है। नियमावली से पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब नहीं है। यह नियमावली है कि किस प्रकार उनका स्थायीकरण करना है। लेकिन चूंकि यह उनकी परिधि के पद हैं, इसलिए उनकी परमीशन चाहिये कि वह हमें इजाजत दे दें कि हम स्थायी कर सकें। चूंकि उन्होंने कुछ आपत्तियां की थी, इसलिए उनसे बात चीत हो रही है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

अभी मिश्र जी ने एक प्रश्न किया जो बहुत स्पष्ट प्रश्न था। जब शासन ने यह पद पब्लिक सर्विस कमीशन के क्षेत्राधिकार से बाहर निकाल लिये हैं, तो उन्हें फिर से उनके पास भेजने का क्या कारण है। दस-दस साल लोगों को काम करते हो जाते थे और उनकी उन्नति नहीं हो पाती थी, इसी को देखकर शासन का यह निर्णय था। या तो मंत्री जी को ठीक से मालूम नहीं है या फिर वे पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। जिन पदों की प्रोन्नति का अधिकार ले लिया है, तो फिर कमीशन को क्यों रेफर किया गया ? यह शासन के निर्णय के खिलाफ है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

माननीय, अगर आप इजाजत दें तो मैं नियम १३(३) जो संशोधित हुआ, उसको पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जब इनको लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर कर दिया तो स्थायीकरण क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अगर नियम पढ़ने की इजाजत दे दें तो साफ हो जायगा । यह लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर नहीं किये गये । इसमें यह है कि किसी अन्य नियम के उपबन्धों के होते हुए भी इस उप नियम के प्रारम्भ होने पर विद्यमान आशुलिपिकों के पदों की रिक्तियों को, लोक सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा किये गये विशेष चयन के आधार पर केवल ऐसे वभागिक अभ्यार्थियों में से भरा जा सकता है, जिन्होंने इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर उक्त पद पर कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि तक तदर्थ या अस्थायी या स्थानापन्न सेवा कर ली हो और जिनका सेवा अभिलेख संतोषप्रद समझा जाय ।

इससे यह स्पष्ट है कि इन पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से निकाला नहीं गया बल्कि जो एडहाक रूप से काम कर रहे थे, उनको नियमित करने की प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय हुआ है । उसी सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को लिखा गया और वहां से आपत्ति आ गयी जिनको दूर किया जा रहा है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)-

मुझे केवल यह पूछना है कि चयन और विशेष चयन में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मत्री जी इसमें कंफ्युजन इस वजह से हो रहा है कि लोक सेवा आयोग तो खुला कंपटीशन करता था जिसमें बाहर के लोग आ सकते थे । अब यह है कि जिनको तीन साल हो गये हैं उनमें से एक चयन समिति द्वारा चयन होगा । विशेष चयन का यही पतलब है इसमें लोक सेवा आयोग का भी सदस्य आयेगा और वही फाइनल कर देगा ।

श्री ऊदल--

अभी इसमें कितना समय और लगेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

लोक सेवा आयोग से जो आपत्ति आयी थीं उसका उत्तर तैयार हो गया है । १५ दिन में उसको भेज दिया जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह नियमावली कब से प्रभावी होगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह तो प्रभावी है, केवल चयन होना है ।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

लोक सेवा आयोग ने क्या आपत्ति उठाई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

एक तो यह है कि विशेष चयन किये जाने से आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति न हो पायेगी तथा दूसरी आपत्ति यह है कि बिना कोई परीक्षा आयोजित किये आशुलिपि में दक्षता का मूल्यांकन सम्भव नहीं है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

इन आपत्तियों के बाद तो अब कोई आपत्ति और नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष -

यह हो चुका है ।

अनुसूचित जाति के आई० पी० एस० अधिकारियों की प्रोन्नति

**३--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में चौहत्तरवें बैच में केवल चार अनुसूचित जाति के आई० पी० एस० अधिकारियों का अब तक प्रमोशन नहीं किया गया है जबकि अन्य सारे लोगों का आई० पी० एस० का प्रमोशन हो गया है ? यदि हां, तो इन अनुसूचित जाति के अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृहमंत्री (श्री राम सिंह)--

यह सही नहीं है कि वर्ष १९७४ बैच के चार अनुसूचित जाति के आई० पी० एस० अधिकारियों को छोड़कर उक्त बैच के शेष सभी अधिकारियों को प्रोन्नति किया जा चुका है । वास्तव में १९७४ बैच के १२ अधिकारियों में से अभी तक केवल ५ अधिकारी ही प्रोन्नत किए गए हैं । शेष ७ अधिकारियों में ४ अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं । इन सभी अधिकारियों को भविष्य में होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध प्रोन्नत किये जाने के लिए विचार किया जायगा ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इस समय भी प्रदेश में ६ एस० पीज की जगह खाली हैं, एक एच० ए० एल० में, ३ कानपुर में, एक विजिलेन्स मे तथा एक महामहिम राज्यपाल के एस० पी० की जगह खाली है, जिन पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं । क्या हरिजनों को वे स्थान न मिल पायें इसलिये इन पर पदोन्नति नहीं हो रही है ?

श्री राम सिंह--

इस समय ४ अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं, ३ अधिकारी अन्य जातियों के हैं, तो ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति वालों को प्रोन्नति न देने के लिए यह प्रोन्नति नहीं की गयी है । इस पद पर प्रोन्नति के लिये जो नियम हैं, उनके अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी अर्ह नहीं है, तो उसको तब तक प्रोमोट नहीं किया जाता जब तक कि वह अर्ह न हो जाये । ज्यों-ज्यों यह लोग अर्ह होते आयेंगे, इनकी नियुक्ति होती जायेगी ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

इन्हीं के बैच के जो आई० ए० एस० अधिकारी हैं उन सभी की प्रोन्नति हो चुकी है, केवल आई० पी० एस० वालों की ही नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता, यह नियुक्ति विभाग के मंत्री भी नहीं हैं ।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या मंत्री जी ने जैसा बताया कि १२ व्यक्ति इसमें थे और ५ का प्रोमोशन कर दिया गया । मंत्री जी कृपया यह बतलायेंगे कि इन पांच में कोई अनुसूचित जाति का था या नहीं ?

श्री राम सिंह—

जो हमारे पास ज्येष्ठता सूची है, मेरिट के अनुसार यह सूची बनती है और आई० पी० एस० के अधिकारियों की जब सूची बन जाती है केन्द्रीय सरकार यह सूची तैयार करती है कि कौन व्यक्ति पहले नम्बर पर और कौन आखिरी नम्बर पर होगा । वह तो मेरिट लिस्ट है । ७ व्यक्तियों में ४ अनुसूचित जाति के हैं ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९७४ के बैच से कुल कितने आई० पी० एस० आफिसर उत्तर प्रदेश में नियुक्त किये गये और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के थे ? दूसरा—अनुसूचित जाति के किस-किस स्थान पर उनका नम्बर है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, १९७४ बैच के यह १२ अधिकारी हैं । इनकी सूची अगर मैं पढ़ दूं, तो मेरिट की जानकारी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । अनुसूचित जाति के कितने थे, यह बता दीजिए ।

श्री राम सिंह—

४ अनुसूजित जाति के थे ।

भूमिहीनों एवं हरिजनों को सीलिंग की अतिरिक्त भूमि का आवंटन

**४—श्री दीपनारायन (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में भूमिहीनों एवं हरिजनों को जमीन (भूमि अतिरिक्त) का आवंटन रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

इस समय प्रदेश में भूमिहीनों एवं हरिजनों को सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि के आबंटन पर रोक नहीं लगी है ।

श्री दीप नरायन—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस समय जब से मंत्री जी इस सरकार में आये हैं, कितनी जमीनें हरिजनों को बांटी गयी या भूमिहीनों को ? पूरे प्रदेश में यह वातावरण है कि जनता सरकार हरिजनों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, बांटने की नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है, वह तथ्य सही नहीं है, वह प्रचार है। २५ अक्तूबर, १९७६ को पिछले शासन ने एक आदेश भेजा था कि ऐसी भूमि, जो ५ एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि घोषित हुई है अगर एकजाई ५ एकड़ से अधिक नहीं है, तो उसको आवंटित न किया जाय, तो ५ एकड़ से अधिक एकजाई जमीन जो थी, उसका आवंटन छोड़ दिया गया था। हमने आदेश भेजा है कि इस प्रकार से इतनी भूमि बराबर पड़ी रहना उपयुक्त नहीं है। अगर १७ मई को ६ महीने के बाद भूमि माँगी जाती है, तो वह भूमि दे दी जाय और अगर ६ महीने तक कोई योजना नहीं बन जाती है, तो उसका आबंटन कर दिया जाय। तो ६ महीने बीत गये हैं, इसलिए आवंटन के लिए आदेश दे दिये गये हैं। अगर सीलिंग की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं माँगी गयी है, तो उसको भी आवंटित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

जनता सरकार तो १७ मई को नहीं थी, तो क्या आपका आशय जून से है ? जनता सरकार तो २१/२२ जून को आई।

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, १७ मई को जो आदेश थे, उन्हीं को कार्यान्वित किया गया था।

श्री दीप नरायन--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि विगत सरकार में जब बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे तो एक इन्क्वायरी उन्होंने करायी थी कि पूरे प्रदेश में २० लाख एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गयी है क्या ऐसी जानकारी है और क्या उसके बंटवारे का उपाय करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, उपलब्ध सूचना के आधार पर अक्तूबर, १९७८ तक २,७४,८६५ एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित की जा चुकी है। इसमें से २,३६,६१८ एकड़ पर कब्जा लिया गया है। २२,५५५ एकड़ न्यायालय से स्थगन आदेश के कारण नहीं ली जा सकी। २,३६,६१८ एकड़ में से १,८७,५९६ भूमि का बंदोबस्त किया जा चुका है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी है, वह मंगल देव विशारद कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप घोषित कराने का प्रयास किया गया है ? अगर नहीं किया गया है, तो क्या मन्त्री जी इस बात का प्रयास करेंगे कि मंगलदेव विशारद कमेटी की संस्तुतियों के अनुरूप घोषित कराया जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मंगल देव विशारद जी की रिपोर्ट में जहां अतिरिक्त भूमि निकालने का संकेत है, उस सम्बन्ध में सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। विशेष कर बड़े फार्म आजकल उच्च न्यायालय के स्टे के आदेश से रुके हैं। लेकिन हमने

आदेश दिये हैं कि जिन-जिन मंडलों में यह फार्म हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी कमिश्नरों पर डाली गयी है और यह आदेश दिया गया है, स्थगन आदेश हटाने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो की जाय ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो चकबन्दी से बचत की जमीनें हैं वह भी गांवों में पड़ी हैं, उनको बंटवाने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, यह भूमि सम्बन्धी जो थोड़ा सा भ्रम है उसको मैं साफ कर देना चाहता हूं । पिछले शासन ने यह आदेश दिये थे कि जो ८ परसेंट आरक्षित भूमि है, आवंटित करते समय इसका ध्यान नहीं रखा गया । इसका फल यह हुआ कि जो सार्वजनिक उपयोग के लिये भूमि आरक्षित थी, उसके पट्टे कर दिये गये । लेकिन उसी शासन ने फिर आदेश जारी किया कि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि का अगर कोई पट्टा हो गया है, तो वह निरस्त कर दिया जाय । अगर नहीं हुआ है, तो पट्टा न किया जाय । इसलिये उस सम्बन्ध में मुकदमें चल रहे हैं, जिसमें यह प्रचार किया जा रहा है कि जनता सरकार के समय भूमि को वापस लिया जा रहा है । हमने निर्णय लिया और विचार कर रहे हैं कि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि पट्टे पर दे दी गयी है और जिसको लोगों ने खर्च करके जोतने के योग्य बनाया है वह उनसे तुरंत प्राप्त न की जाय बल्कि यह विचार किया जा रहा है कि उनको उस पर आसामी के अधिकार दे दिये जायं । जब आवश्यकता होगी, तभी लिया जाय नहीं तो उपयोग करने दिया जाय ।

श्री सुखपाल पांडेय--

मान्यवर, जो सार्वजनिक स्थानों की भूमि को भूतपूर्व सरकार ने पट्टे करके अवरुद्ध कर दिया है, उन स्थानों की जांच कराकर उनके पट्टों को रद्द करने का आदेश मन्त्री जी पारित करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, ३ प्रकार की भूमि सार्वजनिक उपयोग में आती है । एक तो जो भू-अभिलेखों में अंकित है । दूसरे जो जमीन वास्तविक तौर पर सार्वजनिक उपयोग में आती है । तीसरे जो चकबन्दी में सार्वजनिक भूमि छोड़ी गयी है । तो जहां तक चकबन्दी वाली भूमि है और जो भूमि अभिलेखों में अंकित है । उस सम्बन्ध में आदेश दिये जा रहे हैं कि उनको आसामी के अधिकार दे दिये जायं और अब जब आवश्यकता हो तब प्राप्त की जाय । लेकिन जो आजकल उपयोग में आ गयी है जैसे श्मशान है, खलिहान है, उस भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ दिया जाय ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

मान्यवर, शासन ने जो ६ महीने के बाद पड़ी अतिरिक्त भूमि बांटने के आदेश दिये थे, लेकिन ६ महीने के बजाय आज साल भर हो रहा है, क्या आपको कोई जानकारी है कि जहां आज तक सीलिंग की जमीन आदेशों के बावजूद नहीं बंट पायी ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के, जिन्होंने जमीन नहीं बांटी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सीलिंग की अतिरिक्त भूमि अक्तूबर के अंत तक ६,४९९ एकड़ कृषि योग्य उपलब्ध थी जिसके बांटने के आदेश दे दिये गये हैं ।

## तारांकित प्रश्न

### लेखाधिकारियों की पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति तथा जन जाति का आरक्षण

*1--श्री कौशल किशोर तथा श्री मोतीराम (जिला जालौन)--

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह मई-जून, १९७८ में जिन १० लेखाधिकारियों को पदोन्नति (वेतनमान ८५०-१४५० रु० में) की गयी है उनमें अनुसूचित-जाति/जन जाति के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों का पालन करते हुए उक्त वर्ग के कितने लेखाधिकारी पदोन्नत किए गये ? यदि नहीं किये गये हैं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

माह मई/जून, १९७८ में ८००-१४५० रु० के वेतनमान में जिन १० लेखाधिकारियों की पदोन्नति की गयी थी उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी नहीं थे । किन्तु संवर्ग में उक्त वेतनमान के ४५ पद थे जिसमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के ९ अधिकारी पूर्व से पदोन्नत थे जो कुल पदों का २० प्रतिशत है । अतः उक्त वर्ग के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों का पालन किया गया है ।

श्री कौशल किशोर--

मान्यवर, प्रश्न यह है कि मई-जून में जिन १० लेखाधिकारियों की प्रोन्नति की गयी, उसमें अनुसूचित जाति के लेखाधिकारियों की प्रोन्नति क्यों नहीं की गयी और उस संवर्ग में ४५ अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया, यह कब और किस वर्ष में किये गये हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, अनुसूचित जाति और जन जाति का जो आरक्षण का कोटा है, वह पूरा जब है तो उसमें अनुसूचित और जन जाति के पद तो थे नहीं, इसलिये जो योग्य थे वह पदोन्नत किये गये ४५ पदों में से ९ ऐसे आदमी थे जो पदोन्नत हुये वहां १८ प्रतिशत के बजाय २० प्रतिशत कोटा पूरा था । इसलिये जो योग्य थे वह चुने गये ।

श्री मोती राम--

मैं जानना चाहूंगा कि लेखाधिकारियों का बेसिक वेतनमान क्या है ? उत्तर प्रदेश में १९७८ तक कुल कितने व्यक्ति लेखाधिकारी हैं और उनमें से कितने अबतक प्रोन्नत किये गये हैं, उनका प्रतिशत क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मोती राम--

मान्यवर, सम्बन्धित है । जब उत्तर दिया कि उनका कोटा रिजर्वेशन का पूरा है । तो पूरा या अधूरा तब बता सकते हैं जब कि टोटल स्ट्रेन्थ देखें । कितने बेसिक वेतनमान में भर्ती हैं और उसमें कितनों को प्रोन्नत किया गया । चूंकि उत्तर दिया है कि ४५ आदमी प्रोन्नत किये गये हैं जिसमें २० प्रतिशत उनको किया गया है । तो टोटल नियुक्ति में यह नहीं है । इसलिये यह उत्तर भ्रामक और सदन को गुमराह करने वाला है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा कि लेखाधिकारियों के ४५ पद थे उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के २० प्रतिशत पद थे । अब आपका प्रश्न तो यह है कि जिस ग्रेड के कर्मचारियों से पदोन्नति की गयी उनकी संख्या क्या थी ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, प्रश्न को पढ़ लें तो साफ हो जायगा । प्रश्न है "क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह मई/जून, १९७८ में जिन १० लेखाधिकारियों की पदोन्नति (वेतनमान ८५०-१४५०) की गयी है, उनमें अनुसूचित जाति/जन जाति के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों का पालन करते हुये उक्त संवर्ग के कितने लेखाधिकारी पदोन्नत किए गये" ।

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है लेकिन इससे यह अनुपूरक अवश्य निकल सकता है कि जिस संवर्ग से पदोन्नति की गयी, उसमें पदोन्नति से पहले संख्या क्या थी । लेखाधिकारी से नीचे जो थे उनकी संख्या क्या थी । अगर आपको मालूम हो तो उत्तर दे दें ।

श्री मधुकर दिघे--

यह कैसे बताया जा सकता है ? यह सम्भव नहीं है ।

श्री मोती राम--

मेरा स्पष्ट प्रश्न है और आपने उसको मान भी लिया है । मुझे आपत्ति है कि माननीय मन्त्री जी आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अवहेलना नहीं कर रहे हैं । वह कहते हैं कि इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री मोती राम--

इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो अनुपूरक है । माननीय मन्त्री जी इसकी सूचना पुनः दे दीजिए ।

श्री मधुकर दिघे--

इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि उस सम्वर्ग से दूसरे सम्वर्ग में जाने के लिए कितने पद थे ८५०-१४५० के वेतनमान के ४५ पद थे, यह बता दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

लेखाधिकारी पदोन्नत हुये तो जिस सम्वर्ग से वे आये हैं उनकी संख्या कितनी थी, तभी तो हम समझ सकते हैं। आपके पास सूचना न हो, तो फिर से आप नोटिस के लिए कह सकते हैं।

श्री राम दत्त जोशी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखाधिकारियों की पदोन्नति का माप दंड क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि २० प्रतिशत पूरा हो गया।

श्री राम दत्त जोशी—

योग्यता के आधार पर चयन किया गया। इसका माप दण्ड क्या था।

श्री अध्यक्ष—

योग्यता का आधार तुलनात्मक होता है।

चकबन्दी लेखपाल श्री राम खेलावन यादव, नानपारा, जिला बहराइच की पिटाई व अभिलेख की क्षति

*२—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या शासन की जानकारी है कि दिनांक १ सितम्बर, १९७८ को चकबन्दी दफ्तर, कस्बा नानपारा, जिला बहराइच में कार्यरत कई लेखपाल मारे गए और अभियुक्तों ने सरकारी कागजात फाड़ दिए जिसकी रिपोर्ट सं० ३०९, धारा ३३२-४२६-५०४-५०६ ताजीरात हिन्द दिनांकित १ सितम्बर, १९७८ ई० को थाना नानपारा, जिला बहराइच में की गयी ? यदि हां, तो अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। श्री रामखेलावन यादव, चकबन्दी लेखपाल को मारने की तथा ग्राम एंचुंआ का नक्शा एवं आकार पत्र २३ के कुछ पृष्ठ फाड़ने की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मेड़ई लाल एवं श्री अशगर अली के विरुद्ध थाना नानपारा में १ सितम्बर, १९७८ में दर्ज कराई गई है। अभियुक्तों के विरुद्ध तफतीश के बाद चार्ज शीट न्यायालय में भेजी की चुकी है।

लखनऊ के प्रतिभा सिनेमा हाल का लाइसेन्स

*३—श्री खिदमत हुसैन—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रतिभा सिनेमा हाल लखनऊ, जोकि सचिवालय के सामने बना है और जिसको सिनेमा का लाइसेन्स पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, का लाइसेन्स स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

जी हां। यह दृष्टिगत रखते हुये कि इस सिनेमा भवन का निर्माण नियमानुसार अनुमति प्राप्त करके अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार करवाया गया है,

शासन द्वारा सार्वजनिक दृष्टिकोण, मनोरंजन कर की आय में वृद्धि तथा यह देखते हुये कि सिनेमा ध्वनि नियंत्रित बनवाया गया है, जिसके कारण चिकित्सालय के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न न होगी, मंत्रि-परिषद ने लाइसेन्स दिये जाने का निर्णय लिया है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मंजूरी से पहले भी इस सिनेमा हाल को चलाने की इजाजत की एप्लीकेशन पिछली सरकार के सामने आयी और वह रिजेक्ट कर दी गयी, तो उसे रिजेक्ट करने के क्या-क्या आधार थे ? क्या इस संबंध में कोई अध्यादेश भी पारित किया गया ? यदि हां, तो वह क्या है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

सिनेमा हाल के मालिक ने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिया था कि वह इस सिनेमा हाल को बनाना चाहता है । जिलाधिकारी ने वर्ष १९६९ में इस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया । उसके बाद सिनेमा हाल के मालिक ने शासन को अपील की और कांग्रेसी सरकार ने १४ मई, १९७१ के आदेश द्वारा उसे स्वीकार कर लिया पर उन्होंने यह शर्त लगायी कि सिनेमा हाल का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि यातायात में बाधा न हो। इस के साथ ही साथ सिनेमा हाल साउन्ड प्रूफ बनाया जाय और वाहनों के पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाय । सुखयत: इन दोनों शर्तों के साथ अपील, १९७१ में शासन ने स्वीकार की । इसके पश्चात जो मान चित्र प्रस्तुत किया गया, उस मान चित्र के आधार पर सिनेमा का निर्माण हुआ, तब उसके पश्चात वर्ष १९७४ में लगभग जून या जुलाई मे अधिनियम में संशोधन किया गया। उस संशोधन के परिणाम स्वरूप यह बाधा उत्पन्न हुई क्या इस सिनेमा का लाइसेन्स दिया जा सकता है या नहीं । जिलाधिकारी ने जब लाइसेन्स सिनेमा प्रदर्शन हेतु अस्वीकार कर दिया, तो सिनेमा मालिक की दुबारा अपील पर शासन और मंत्रि-परिषद द्वारा वह स्वीकार हुआ ।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको बाद में दे दीजिएगा बहस कराने के लिए।

श्री रियासत हुसैन--

४९ में दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

लिखकर दे दीजिएगा ।

## वाराणसी के ग्राम दफफलपुर के काश्तकार श्री मुनेश्वर आदि का प्रार्थना पत्र

*४--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अराजी नं० ३६-२, ३७-३, ७६-२ तथा १९७-२, गांव दफफलपुर, परगना देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी के काश्तकार मुनेश्वर व रामा हरिजन हैं और उनको जबरदस्ती गांव के कुछ असरदार लोग जोतने बोने में बाधा पहुंचाते हैं ? मुनेश्वर ने जिलाधीश,

---

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वाराणसी को जुलाई, १९७८ के प्रथम सप्ताह में इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

श्री मुनेश्वर आदि का प्रार्थना-पत्र दिनांक ३ जुलाई, १९७८ मुख्य-मंत्री जी को मिला उसपर जांच कराई गयी । जांचोपरान्त पता चला कि ग्राम दफफलपुर के गाटा सं० ३६/२, ३७/३, ७६/२, १६७/२ पर मुनेश्वर, रामनाथ पुत्रगण रामसुमेर का नाम वर्ग १ (भूमिधर) अंकित है, वो अनसूचित जाति के नहीं हैं और उक्त भूमि पर जंगी, वंशनारायण पुत्रगण हरदंगल का नाम १८ वर्षों से वर्ग-९ म (अनधिकृत-कब्जा) अंकित है तथा वर्तमान समय में उक्त भूमि पर काबिज हैं ।

## अतर्रा जिला बांदा तथा बिन्दकी जिला फतेहपुर में कन्त्री द्वारा बिक्रीकर समाप्त करने की कथित घोषणा

*५--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अतर्रा (बांदा) तथा बिन्दकी (फतेहपुर) में वित्त बिक्री-कर तथा संस्थागत वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आगमन पर जनता के समक्ष घोषणा की थी कि सन् १९७९ तक सेल्स टैक्स पूर्णतया समाप्त कर दिया जायगा ? यदि हां, तो क्या सरकार सेल टैक्स इस अवधि तक पूर्ण रूपेण समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

अतर्रा, जिला बांदा तथा बिन्दकी, जिला फतेहपुर में जनता के समक्ष ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि सन् १९७९ तक सेल्स टैक्स पूर्णतया समाप्त कर दिया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## आगरा जिले में लेखपाल व लेखपाल नजूल अमीन के पदों पर नियुक्ति

*६--श्री गुलाब सेहरा--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भूमिलेख नियमावली एवं लेखपाल सेवा नियमावली के अन्तर्गत लेखपालों की नियुक्ति जिले के अन्तर्गत उसी जिले के निवासी को ही होगी ? यदि हां, तो जिला आगरा में खरग सिंह, सज्जन बाबू, जगदीश मोहन, मदन मोहन व सत्यदेव, तहसील एतमादपुर में व होरी लाल तहसील फिरोजाबाद में व प्रमोद कुमार व चन्द्रमणि, तहसील खैरागढ़ में व महेन्द्र तथा सत्य प्रकाश तहसील आगरा में व कृष्ण वल्लभ व जगदीश स्वरूप, तहसील बाह में व भगवती प्रसाद तहसील किरावली में लेखपाल के पद पर व श्री गंगा प्रसाद लेखपाल व कैलास चन्द्र लेखपाल नजूल अमीन के पद पर नगर महापालिक आगरा में नियुक्ति किन आधारों पर की गयी ? क्या उपरोक्त आगरा जिला के ही स्थायी निवासी हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

लेखपाल सेवा नियमावली के नियम ६ के अन्तर्गत लेखपाल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची में से नियुक्ति का प्रावधान है किन्तु उक्त नियमावली के नियम १८ के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को स्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों में नियुक्ति का प्रावधान भी है, जिस में अन्य जिले के निवासी की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित सर्वश्री खरग सिंह, सज्जन बाबू, जगदीश मोहन, मदन मोहन तहसील ऐतमादपुर तथा भगवती प्रसाद तहसील किरावली आगरा जिले के ही

निवासी हैं तथा वे नियम ६ की लेखपाल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी की सूची में है। शेष अन्य व्यक्ति अन्य जिले के निवासी हैं और उनकी नियुक्ति काम की जानकारी को दृष्टि में रखते हुए पूर्णतया अस्थायी रूप से की गयी हैं। श्री सत्य देव चकबन्दी विभाग के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं।

नगर महापालिका में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जिले के बाहर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न की जाय।

*७—श्री देव बहादुर सिंह—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

*८—श्री मित्रसेन—

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## देवरिया जनपद में वर्षा व तूफान से क्षति तथा राहत कार्य

*९—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जनपद में ५ अक्तूबर, १९७८ को भीषण तूफान आया और उसमें लगभग दो दर्जन व्यक्ति मकान गिरने से दब कर मर गए, सैकड़ों घायल हुये, पांच सौ पशु मरे, दस हजार मकान गिरे, ७६ हजार पेड़ गिर गए और धान तथा अन्य फसलें जमीन पर गिर कर पानी म सड़ रही हैं? यदि हां, तो सरकार की तरफ से कौन-कौन से राहत कार्य किए जा रहे हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर में दिनांक ५ अक्तूबर, १९७८ को भीषण आंधी के साथ वर्षा हुई थी जिसके कारण पेड़ तथा मकानों के गिरने से ९ व्यक्ति मर गए तथा ८ व्यक्ति घायल हुए। तीस पशुओं की मृत्यु हुई तथा तीन पशु घायल हुए। २,१६० मकान पूर्णतः तथा २०,३७६ मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए तथा अनुमानतः ५६६९ पेड़ गिरे। आंधी एवं पानी से धान तथा अन्य फसलों के पौधों के गिरने से क्षति हुई किन्तु यह नाम मात्र थी। अहेतुक सहायता के पात्र १३ परिवारों को कुल १,२०० रु० अहेतुक सहायता के रूप में वितरित किया गया तथा गृह निर्माण अनुदान देने के किए इस सहायता के पात्र २,५३५ व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई है।

## राजकीय अनुमोदित विद्यालय, फीरोजाबाद आगरा के गल्ला भण्डार का निरीक्षण तथा रसोइया ब्रज मोहन में पाये गये कुष्ट रोग के कीटाणु

*१०—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बतायेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के राजकीय अनुमोदित विद्यालय का निरीक्षण अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट व परगनाधिकारी ने प्रश्नकर्त्ता के साथ दिनांक ७ अक्तूबर, १९७८ को किया और विद्यालय के गल्ला भण्डार म गेहूं के दलिया, चीनी, चना, नमक, लाई का सैम्पिल लिया जिसमें मिट्टी थी और दलिया न आटा और न दलिया ही था, यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है? क्या यह भी सही है कि ब्रिज मोहन राय, रसोइया कुष्ट रोग से पीड़ित है?

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के राजकीय अनुमोदित विद्यालय में दिनांक ७ अक्तूबर, १९७८ को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा परगना अधिकारी के साथ प्रश्नकर्त्ता महोदय अधीक्षक के अनुरोध पर गये थे। उन्होंने विद्यालय के गल्ला भंडार को देखा था जिसमें नमक कुछ काला मटमैला था और चना तथा लाई में कुछ मिट्टी के कण दृष्टिगोचर हो रहे थे। चीनी तथा दलिया घटिया किस्म का था। इनके सैम्पल नहीं लिए गये थे। उक्त सभी सामग्री की आपूर्ति विभाग द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने एक दिन पूर्व की थी जो अनुपयुक्त होने के कारण वापस कर दी गयी। संबंधित ठेकेदार को उक्त सामग्री का भुगतान भी नहीं किया गया। उसका ठेका समाप्त करके नये ठेकेदार की नियुक्ति कर दी गई है जिसके द्वारा अब अच्छी आपूर्ति की जा रही है।

यह सही है कि ब्रज मोहन रसोइया में कुष्ठ रोग के कीटाणु पाये गये।

शासकीय आधार सामग्री विधायन केन्द्र (डाटा केन्द्र) द्वारा किया जाने वाला कार्य

*११--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त विभाग के अन्तर्गत डाटा सेन्टर की स्थापना वर्ष १९७३ में किस उद्देश्य से की गयी थी ? क्या निर्धारित उद्देश्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है, यदि हां, तो किन-किन विभागों को उससे लाभान्वित किया जा सका है ?

श्री मधुकर दिघे--

शासकीय आधार सामग्री विधायन केन्द्र की स्थापना मूलतः इस ध्येय से की गई थी कि शासकीय व्यय तथा प्राप्तियों के आंकड़ों को शासन के वित्त विभाग को कम से कम समय में उपलब्ध कराया जा सके ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने तथा वित्तीय व्यवस्था को आयोजित करने में सुगमता हो। इस केन्द्र की स्थापना से इस ध्येय की पूर्ति सम्भव हो सकी है। इस केन्द्र द्वारा व्यय तथा प्राप्तियों के आंकड़े विभिन्न विभागों को भी भेजे जाते हैं ताकि वे विभाग स्वयं भी अपने विभाग से सम्बन्धित व्यय तथा प्राप्तियों की गति से अवगत हो सकें और उसके प्रकाश में आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही कर सकें। शनैः-शनैः इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि इस केन्द्र द्वारा व्यय तथा प्राप्तियों से सम्बन्धित आंकड़ों के जो कि अभी तक मुख्य शीर्षकवार संकलित किये जाते हैं, उनका विस्तार किया जाय ताकि विभिन्न विभागों को अपने विभाग की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी उपलब्ध हो सके तथा वे अपने विभाग से सम्बन्धित व्यय व प्राप्तियों पर अधिक प्रभावशाली नियंत्रण रख सकें। उक्त केन्द्र द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है ताकि विभिन्न विभागों में विभिन्नस्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को वित्तीय व्यवस्था तथा लेखों के रख रखाव इत्यादि से सम्बन्धित ज्ञानवर्धन हो सके। चूंकि इस उद्देश्य की पूर्ति हो गई है जिसके लिए यह केन्द्र स्थापित किया गया था, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, इस केन्द्र की स्थापना से शासन के लगभग सभी विभागों को लाभ पहुंचता है विशेषकर वित्त, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, वन, शिक्षा, पुलिस इत्यादि।

## पडरौना तहसील को उप कोषागार को कोषागार के रूप में परिवर्तन की मांग

*12--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को जानकारी है कि पडरौना तहसील मुख्यालय पर उप कोषागार (सब-ट्रेजरी) को आज तक कोषागार (ट्रेजरी) का दर्जा न मिलने से उत्तरी क्षेत्र के लोगों को असाधारण कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण उप कोषागार (सब-ट्रेजरी) को शीघ्र कोषागार (ट्रेजरी) के रूप में परिवर्तित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक कारणों से ।

*१३--श्री जगन्नाथ सिंह--

[२रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ पर स्थानान्तरित ।]

## प्रयोजना अधिकारी, एकीकृत जन जाति योजना, पलिया कलां, लखीमपुर खीरी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१४--श्री देव राम (जिला गाजीपुर)--

विधान सभा द्वितीय सत्र १९७८ के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री प्रयोजना अधिकारी एकीकृत जनजाति योजना पलिया कलां (लखीमपुर खीरी) के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी तथा हरिजन कल्याण निदेशालय की जांच आख्याएं सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण स्पष्टीकरण मांगने के पूर्व ही उच्च वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) में हरिजन तथा समाज कल्याण के पद पर आगरा में किया गया है ? यदि हां, तो इनका दायित्व किन-किन अधिकारियों पर है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना एकत्र की जा रही ।

*१५--श्री पूरन चन्द्र--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

## जिला खीरी की बाजार बांकेगंज की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

*१६--श्री कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे की बांकेगंज बाजार, परगना कुकरा, विकास क्षेत्र बांकेगंज, ग्राम सभा ग्रन्ट नं० १०, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में लगभग दो एकड़ भूमि आम रास्ता तथा आबादी हेतु गत चकबन्दी बन्दोबस्त के दिनों में सुरक्षित की गयी ? क्या यह सही है कि इस सुरक्षित भूमि पर भूतपूर्व स्थानीय निहित स्वार्थी जमीन्दार अनाधिकार रूप से कब्जा करके उस पर लगी हुई बाजार से अनुचित लाभ उठा रहें हैं ? यदि हां, तो अनाधिकार कब्जेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम सभा ग्रन्ट नं० १०, तहसील लखीमपुर, जिला खीरी में कुकरा विकास क्षेत्र बांकेगंज में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत भूमि नं० १२९७/०-२१ व १२८८/०-१० (कुल १-११ एकड़) रास्ता तथा आबादी हेतु सुरक्षित की गई थी। इस भूमि पर भूतपूर्व स्थानीय जमींदार का अनधिकार कब्जा नहीं है और न ही उस पर कोई बाजार लगता है जिससे उक्त जमींदार अनुचित लाभ उठाता हो। कुछ अन्य अनधिकृत कब्जेदारों का कब्जा हटाय जाने की कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

## शमशान घाट कमेटी, राम नगर, जिला नैनीताल का प्रार्थना-पत्र

*१७--श्री रामदत्त जोशी--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें तथा सचिव, राजस्व विभाग को विगत सितम्बर, ७७ से लेकर मार्च, ७८ तक इस आशय के कितने प्रार्थना पत्र शमशान घाट कमेटी, रामनगर (नैनीताल) तथा प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा प्रेषित स्मृति-पत्र अब तक प्राप्त हो चुके हैं ? जिसमें यह निवेदन किया गया है कि रामनगर शमशान घाट की भमि को रेवेन्यू विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर समीपवर्ती गांव की सीमान्तर्गत शामिल कर लिया जाय ? सात महीने की दीर्घ अवधि बीत जाने के बाद भी राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि को अपने अधिकार में न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। राजस्व अनुभाग-२ में एक प्रार्थना-पत्र जुलाई, १९७७ में तथा दूसरा अगस्त, १९७७ में प्राप्त हुआ था जिन पर जिलाधिकारी, नैनीताल की आख्या प्राप्त की गयी। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अब तक भेजे गये छः अनुस्मारक भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में यह तय हो गया है कि वह वन विभाग की नहीं है अतः अब इसको पास के राजस्व ग्राम में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है।

## गोरखपुर की ट्रेजरी पडरौना में रखा गया पडरौना राज का जवाहरात का बक्सा

*१८--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को यह पता है कि देवरिया जिले के पडरौना राज का एक हीरे, जवाहरात तथा स्वर्णाभूषणों से भरा बक्सा जो केस नं० ५५, सन् १९४५ में तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा पडरौना ट्रेजरी के लाकर में सील मुहर करके रखा गया था दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को परगनाधिकारी, पडरौना ने सील तोड़कर सभी अनमोल रत्नाभूषणों एवं जवाहरात को अपने संरक्षण में रख लिया ? यदि हां, तो क्यों ? बक्से में रखी हुई वस्तुओं की क्या कीमत आंकी गयी है तथा वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री मधुकर दिघे--

शासन के आदेशों के अनुसार परगनाधिकारी पडरौना एवं कोषाधिकारी, देवरिया की एक कमेटी गठित कर सम्बन्धित बाक्स खुलवाकर इन्वेन्ट्री बनवाई गई थी और सभी वस्तुओं को पुनः बाक्स में रखकर बाक्स को सील मुहरबन्द कर

दिया गया । तत्पश्चात् विशेष सुरक्षा की दृष्टि से बाक्स को रंगांकर देवरिया कोषागार के सुरक्षा कक्ष में रख दिया गया है । वस्तुओं का मूल्य किसी पारखी (जौहरी) द्वारा ही लगाया जा सकता है । बाक्स कभी भी परगनाधिकारी, पडरौना के संरक्षण में नहीं रहा, अपितु सदा उपकोषागार एवं कोषागार के सुरक्षा कक्ष में जमा रहा ।

*१९-२०—[नियम ४७ के अनुसार प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

## गांव सभा अहलादनगर, जिला बहराइच की रमसगरा तलैया

*२१—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि गांव सभा अहलादनगर, परगना तुलसीपुर, तहसील भिनगा, जिला बहराइच की रमसगरा कुलिया (जो सार्वजनिक उपयोग सिंचाई के लिए) है उसका पट्टा भूमिहीनों के हक में बनाकर ग्राम निवासियों को एक मात्र सिंचन सुविधा से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो पट्टा निरस्त करने सम्बन्धी अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उक्त कुलिया सार्वजनिक सिंचाई के लिए उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी नहीं । गांव सभा अहलादनगर में रमसगरा नामक कोई कुलिया नहीं है, बल्कि उक्त नाम की एक तलैया है, जिसका गाटा संख्या-३२८५ है, और जो श्री सरजू लाल की भूमिधरी है । इसे किसी को पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता :

*२२—श्री ऊदल—

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

## जालौन जिले के ग्राम चतेला के श्री माधो राम सिंह का सीलिंग सम्बन्धी मुकदमा

*२३—श्री कौशल किशोर—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के सीलिंगवाद सरकार बनाम माधो राम सिंह पुत्र श्रीराम सेवक, निवासी चतेला, परगना कालपी, जिला जालौन में सरकार की ओर से रिट क्यों नहीं की गयी जबकि उक्त मुकदमें में लगभग ७०४ एकड़ अतिरिक्त भूमि घोषित हुई थी ? इसके लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी है तथा शासन उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सम्बन्धित मामला रिट योग्य नहीं था, क्योंकि अपीली न्यायालय ने मुकदमें को प्रतिप्रेषित कर दिया था, जिससे शासन के हित की कोई क्षति नहीं हुई थी ।

अतः मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२४—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२५--श्री पूरन चन्द्र--

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित ।]

बांदा जिले की तहसील बबेरू के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में चकबन्दी कराने की मांग

*२६--श्री जगन्नाथ सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा की तहसील बबेरू व कमासिन ब्लाक के बहुत से ग्राम जैसे कुमेढ़ा, सानी, पत्नाह इगुवांमराका आदि तमाम ग्राम अभी तक चकबन्दी से वंचित है ? क्या सरकार इन ग्रामों में चकबन्दी कराने की अविलम्ब कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील बबेरू जिसके अन्तर्गत कमासिन ब्लाक भी है के कुल २१७ ग्रामों में से १२४ ग्रामों को चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लिया गया है । ग्राम कुम्हेड़ा सानो भी उक्त ग्रामों में से एक है । शेष ९३ ग्रामों में से जो चकबन्दी योजना में नहीं लिये गये है, पांच ग्रामों की भूमि पहले से ही संहत है तथा ८८ ग्राम कटाव से प्रभावित होने के कारण चकबन्दी योग्य नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

बांदा जिले के ग्राम सिकरी में भूमि आवंटन सम्बन्धी पारित प्रस्ताव

१--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में मऊ तहसील के अन्तर्गत गांव सिकरी के ५६ (छप्पन) भूमिहीन हरिजनों एवं खेत मजदूरों को गांव समाज की जमीनों के पट्टे दिए जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति सिकरी द्वारा ९ अगस्त, १९७७ को पारित किया था जिसकी स्वीकृति के लिए सम्बन्धित पत्रावली तहसीलदार, मऊ को प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो तहसील से आख्या ने आने तथा पट्टों पर स्वीकृति न मिलने के क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, बांदा जिले में मऊ तहसील के अन्तर्गत ग्राम सीकरी के ५६ व्यक्तियों को ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक ९-८-७७ को पास किया गया था । स्वीकृति से पूर्व ग्राम प्रधान एवं लेखपाल द्वारा अपने रिश्तेदारों को पट्टे देने सार्वजनिक उपयोग एवं तालाब की भूमि पट्टे पर उठाने और पट्टों के लिये नाजायज नजराना लेने की शिकायतें प्राप्त हुई थी जो बाद में की गई जांच से सही पाई गई । इसके आधार पर भूमि प्रबन्धक समिति के सचिव (ग्राम के लेखपाल) को निलम्बित कर दिया गया और तहसीलदार की आख्या पर परगनाधिकारी ने पट्टों के प्रस्ताव को भी अस्वीकृत कर दिया।

## देवरिया जिले के विकास खण्ड पडरौना व किशुनपुर में चकबन्दी के विरुद्ध आरोप-पत्र

२--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुर विकास खण्ड में चकबन्दी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध ग्रामीणों के कितने आरोप-पत्र दिनांक ३ मार्च, १९७६ से २० जुलाई, १९७८ तक शासन को प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त पत्रों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस अवधि में देवरिया जनपद के पडरौना विकास खण्ड तथा विशुनपुर विकास खण्ड के काश्तकारों के कुल ३१ शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी अथवा शासन को प्राप्त हुए। जांच के फलस्वरूप १५ प्रार्थना-पत्रों में वर्णित शिकायतें निराधार पाई गई, ६ प्रार्थना-पत्रों में शिकायतकर्त्ताओं ने उनमें उल्लिखित आरोपों से इन्कार किया, १ प्रार्थना-पत्र न्यायिक कार्यवाहियों से सम्बद्ध होने के कारण दाखिल दफ्तर किया गया और अवशेष ९ शिकायती-पत्रों की जांच करने पर कतिपय त्रुटियां तथा अनियमिततायें पाई गई जिनके लिए दोषी कर्मचारियों को दंडित किया गया है अथवा दंडित किया जा रहा है।

## देवरिया जिले में हरिजन होस्टल के निर्माण की मांग

३--श्री श्रीनारायण--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में सरकार कोई हरिजन होस्टल के निर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कब तक बन जायगा ? और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

देवरिया जिले में हरिजन होस्टल का निर्माण अभी विचाराधीन है।

४--श्री श्रीनारायण--क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कुल कितने हरिजन होस्टल सरकार द्वारा संचालित हैं और उनमें कितने हरिजन छात्र रहते हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

देवरिया जिले में कोई छात्रावास सरकार द्वारा संचालित नहीं है।

## लेखपाल की ट्रेनिंग हेतु हरिजन व जनजाति के अभ्यार्थियों का चयन

५--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जुलाई, सन् १९७८ में कितने लेखपाल, लेखपाल ट्रेनिंग के लिए विभिन्न लेखपाल स्कूलों में भरती किये जाने हैं और उनमें से कितने हरिजन व जन-जाति के लेखपाल होंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इस वर्ष लेखपाल ट्रेनिंग हेतु विभिन्न लेखपाल स्कूलों में ४००० अभ्यर्थी भरती किए जाने थे। उनमें क्रमशः १८% व २% के आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति के ७२० तथा अनुसूचित जन-जाति के ८० सदस्य होने चाहिए

२—प्रदेश के ८ मन्डलायुक्तों से प्राप्त सूचना के अनुसार ३३७० अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें अनुसूचित जाति के ८३० तथा अनुसूचित जन-जाति के २ अभ्यर्थी हैं। मेरठ मण्डल की सूचना अभी प्राप्त नहीं है।

## क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री सुख राम, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, झांसी के विरुद्ध आरोप-पत्र

६—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि माह अक्तूबर वर्ष १९७७ में क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, झांसी क्षेत्र (श्री सुख राम) के विरुद्ध श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव पत्नी श्री राधे मोहन श्रीवास्तव, उच्च श्रेणी लिपिक, फैजाबाद ने कोई आरोप-पत्र उनके पति के प्रति किए गए अनियमित कार्य के विषय पर दिया था, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मधुकर दिघे—

श्री राधेमोहन श्रीवास्तव, उच्च श्रेणी लिपिक, फैजाबाद की पत्नी श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव ने तत्कालीन क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, झांसी (श्री सुखराम) के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र दिनांक शून्य सितम्बर, १९७७ दिया था। उस पर जांच के फलस्वरूप क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राधे मोहन श्रीवास्तव को दी गई चेतावनी को वर्ष १९७६-७७ में उनकी चरित्र पंजी में की गई प्रतिकूल प्रविष्टि को निरस्त कर दिया गया है तथा क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी को भी श्री श्रीवास्तव के मामले में असावधानी बरतने के लिए मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी गई है।

## कोषागार कर्मचारियों की छुट्टी एवं पारिश्रमिक

७—श्री मित्रसेन—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कोषागार विभाग के कर्मचारियों को उतना ही अवकाश दिया जाता है जितना कि अन्य विभागीय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जी नहीं। सभी विभागों के कार्यालयों जैसे उच्च न्यायालय, शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों, कोषागारों आदि में एक ही प्रकार की छुटियां नहीं दी जाती ह। कोषागारों में निगोशियेबिल इन्स्ट्रमेन्ट ऐक्ट की धारा २५ के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियां घोषित की जाती हैं और कुछ अन्य सिविल तथा स्थानीय छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। बैंकों की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक लेखा बन्दी के उपलक्ष्य में दिनांक ३० जून व ३१ दिसम्बर की छुट्टी कोषागारों में दी जाती है अन्य कार्यालयों में नहीं। इसके अतिरिक्त कोषागारों में माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को आधे दिन की छुट्टी भी देय है।

८--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि अवकाश कम दिए जाने के उपलक्ष में कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी नहीं ।

## फैजाबाद जिले के ग्राम सेमो मवई खुर्द में भूमि का आवंटन

९--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सेमो मवई खुर्द, त० बीकापुर, जनपद फैजाबाद की भूमि संख्या १४६, ४०६ का आवंटन क्यों नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि आवंटन का अधिकार भूमि प्रबन्धक समिति से राजस्व विभाग ने ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

भूमि नं० १४६ व ४०६ भू-अभिलेखों में तालाब अंकित है तथा मौके पर भी तालाब है । अतएव उसका आवंटन नहीं किया गया ।

नियमानुसार आवंटन का कार्य संपादन न करने के परिणामस्वरूप जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक ८-६-७६ द्वारा भूमि प्रबन्धक समिति को भंग कर दिया है और नियमानुसार भूमि प्रबन्धक समिति के भूमि आवंटन सम्बन्धी कार्यों को नायब तहसीलदार, शाहगंज को सौंप दिया ।

## राजस्व विभाग में अनुसूचित जाति के लेखपाल

१०--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में कुल कितने लेखपाल हैं ? इनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ? आरक्षण कोटे की पूर्ति न होने का मूलभूत कारण क्या है ? सरकार उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## पडरौना तहसील के अन्तर्गत सीलिंग की भूमि का आवंटन

११--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २१ जून, १९७८ तक पडरौना तहसील में सीलिंग से प्राप्त कितनी भूमि भूमिहीनों में आवंटित की गई तथा कितनी भूमि पर आवंटियों ने कब्जा प्राप्त किया और कितनी भूमि पर कब्जा बाकी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील पडरौना में दिनांक २१ जून, १९७८ तक सीलिंग की २८१९.६१ एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित की गई तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। कब्जा दिलाने के लिए कोई भूमि अवशेष नहीं है।

१२—श्री पुरुषोतम कौशिक—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि पडरौना तहसील में सीलिंग से प्राप्त कुल भूमि में कितना भाग शुद्ध आराजी है तथा कितनी भूमि दीवानी अदालतों एवं चकबन्दी न्यायालयों में विवादास्पद है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील पडरौना में सीलिंग से प्राप्त कुल भूमि में से ३६०३.८५ एकड़ भूमि शुद्ध आराजी है तथा ५३१.२७ एकड़ भूमि दीवानी आदि न्यायालयों में विवादास्पद है।

१३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

१४—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

१५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[८-१२-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित।]

## उत्तरकाशी जिले की मोरी में सब-तहसील की स्थापना की मांग

१६—श्री बरफिया लाल जुगांठा 'अरविंद' (जिला उत्तरकाशी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तरकाशी जिले की पुरौला तहसील की क्षेत्रीय विशालता को देखते हुए एक सब-तहसील मोरी में स्थापित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सब-तहसील बना दी जावेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला उत्तरकाशी की तहसील पुरौला के अन्तर्गत मोरी में सब तहसील अथवा पेशकारी बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

## शासकीय आपूर्ति विपणन केन्द्र, लखनऊ के निकाले गए कर्मचारी

१७—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय आपूर्ति सामग्री विपणन केन्द्र, उत्तर प्रदेश में १९७३ से अब तक कुल कितने कर्मचारी सेवा से निकाले गए और कुल कितने वापस लिए गए ? उनके नाम क्या हैं और उनके निकाले जाने का कारण क्या थे ? क्या उन कर्मचारियों को स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए ?

श्री मधुकर दिघे—]

शासकीय आधार सामग्री विधायन केन्द्र में १९७३ से अब तक १० कर्मचारी निकाले गए एवं उनमें से एक को वापस लिया गया। इन कर्मचारियों के विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२३ पर)।

## श्री गोकुल सिंह बनाम चन्दन सिंह, ग्राम जैनई, मथुरा का मुकदमा

१८—श्री हुकमचन्द्र सिवारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, सादाबाद, श्री कृष्ण द्वारा वाद संख्या ३/७६-७७ धारा १६१ जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, गोकुल सिंह बनाम चन्दन सिंह, ग्राम जैनई, परगना सादाबाद, जिला मथुरा में दिनांक 22 सितम्बर, १९७७ व ३ नवम्बर, १९७७ में भिन्न-भिन्न निर्णय घोषित किए? सरकार यह भी बताए कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा शासन को शिकायत की गयी उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। श्री गोकुल सिंह प्रधान जैनई, तहसील सादाबाद के प्रार्थना-पत्र दिनांक २९-७-७७ पर परगनाधिकारी सादाबाद ने दिनांक २२-९-७७ को श्री चन्दन सिंह के खसरा नं० १५९८/१-४८ एकड़ को ग्राम समाज के खसरा नं० ६९२/०-८५ एकड़ क्षेत्रफल से तबादला करने की प्रार्थना को निरस्त कर दिया था परन्तु परगनाधिकारी द्वारा दिनांक ३-११-७७ को इस तबादले का स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि गांव सभा को जो भूमि दी जा रही है वह अधिक मालियत की है और उससे गांव सभा का लाभ होगा।

शासन को प्राप्त शिकायत पर जांच की जा रही है।

१९—श्री रियासत हुसैन—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित]।

२०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित]।

२१—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[२रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

२२—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

## हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण

२३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १८ जुलाई, १९७८ की विज्ञप्ति संख्या ५७३०/२६-७८-२-जे-८५-७५ के अधीन जिन १५ हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हुई है उनमें पिछड़े वर्ग के व्यक्ति कौन-कौन हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

प्रश्नगत जिन १५ हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है उनमें पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है। किन्तु २ व्यक्ति अनुसूचित जाति के अवश्य हैं।

## आगरा जिले के ग्राम कुर्री कूपा व गडी फतेह में चकबन्दी के विरुद्ध आपत्ति

२४--श्री मधुवर दयाल वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील फिरोजाबाद के ग्राम कुर्री कूपा, गडी फतेह में चकबन्दी में हुई अनियमितताओं के मूल्यांकन में धांधली आदि के विरुद्ध काश्तकारों ने आपत्तियां वर्ष १९७७ और १९७८ में की जिनकी जांच क्या संयुक्त निदेशक, चकबन्दी (श्री अग्रवाल) ने दिनांक १७ अक्तूबर, १९७८ को की है ? यदि हां, तो क्या आपत्तियां सही पायी गईं ? यदि हां, तो क्या पुनः चकबन्दी के आदेश देंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, कुछ आपत्तियां सही पाई गईं जिन्हें सन्दर्भ बनाकर ठीक कराने के लिए आवश्यक निर्देश स्थानीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। पुनः चकबन्दी कराने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

## सेवरही चीनी मिल, देवरिया की सीलिंग की भूमि

२५--श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवरही चीनी मिल (देवरिया) की कुल कितनी जमीन सीलिंग के निकली है और किन-किन गांवों में कितनी-कितनी ? कितनी जमीन मिल ने अपने कब्जे में रखा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

सेवरही शुगर कम्पनी (देवरिया) की कुल २६९८·०२ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है। उक्त कम्पनी की अतिरिक्त घोषित भूमि का ग्रामवार ब्यौरा संलग्न सूची में उपलब्ध है।

उक्त कम्पनी के अपने कब्जे में कुल ६२·०९ एकड़ भूमि है।

देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट ९२६ पर।

२६--श्री राम सजीवन--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

२७—श्री श्रीनारायण—

[६ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम नरायनपुर, जिला देवरिया में सीलिंग भूमि का आवंटन और आवंटियों का कब्जा

२८--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरायनपुर, विकास खंड नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया में कितनी सीलिंग की भूमि है तथा कितनी बन्जर भूमि है उसमें से कितनी-कितनी भूमि किन-किन लोगों को दी गई है ? क्या इन लोगों के पास पहले से भी कुछ भूमि है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम नरायनपुर, विकास खंड नेंबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया में १२.५६ एकड़ सीलिंग को अतिरिक्त घोषित भूमि तथा ७.५५ एकड़ बंजर भूमि थी । १२.५६ एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन २९ पात्र व्यक्तियों को किया गया है । आवंटियों को कितनी-कितनी भूमि दी गई तथा उनके पास पहले से कितनी-कितनी भूमि थी का विवरण दर्शाते हुए सूची संलग्न है । बंजर भूमि के कृषि योग्य न होने के कारण इसका आवंटन नहीं किया गया ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२९ पर ।)

२९--श्री श्रीनारायण--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नरायनपुर, विकास खंड नौरंगिया, तहसील हाटा, जिला देवरिया के किन-किन आवंटियों को अब तक कब्जा नही मिला है और उसका क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

ग्राम नरायनपुर, विकास खंड नौरंगिया, तहसील हाटा, जिला देवरिया के सभी आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है ।

आगरा जिले के हरिजन छात्रावासों एवं अनाथालयों को दी गई धनराशि

३०—श्री रघुवर दयाल शर्मा--

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में संचालित हरिजन छात्रावासों, अनाथालयों, अनुमोदित विद्यालयों को वर्ष १९७७-७८ और १९७८-७९ में कितना धन दिया है और उक्त संस्थानों में कुल कितने छात्र अनाथ बच्चे रहते हैं छात्रावास में रहने वाले बच्चों में हरिजन बच्चे कितने हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

आगरा जनपद में संचालित हरिजन छात्रावासों, अनाथालयों, अनुमोदित विद्यालयों को वर्ष १९७७-७८ व १९७८-७९ में दिए गए धन का विवरण निम्न प्रकार है--

| | १९७७-७८ | १९७८-७९ |
|---|---|---|
| | रु० | रु० |
| छात्रावास | १३,६२०·०० | १३,६२०·०० |
| मान्यताप्राप्त अनाथालय | ५,०००·०० | .. |
| अनुमोदित विद्यालय | १,२६,२५०·०० | ६०,०००·०० |

प्रश्नगत संस्थानों में क्रमशः १६० छात्र, २०१ अनाथ बच्चे तथा १५९ संवासी रहते हैं।

हरिजन छात्रावासों में सभी १६० छात्र हरिजन हैं।

## वुमेन आफ इन्डिया सोसाइटी, शाहजहांपुर को दी गई धनराशि

३१--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि वुमेन आफ इन्डिया सोसाइटी, शाहजहांपुर की स्थापना कब हुई और तब से अब तक सरकार ने इस सोसाइटी को कितनी रकम बतौर कर्ज व बतौर अनुदान के दी गई ? इस सोसाइटी के मुख्य कार्य क्या हैं और इसको जो लोग चला रहे हैं, उनके नाम व पते क्या हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना एकत्र की जा रही है।

## नागर क्षेत्र की कृषि भूमि पर कायम जमींदारी प्रथा

३२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे नगर कौन-कौन हैं, जहां अभी भी नागर क्षेत्र में कृषि भूमि की जमींदारी प्रथा कायम है ? कायम रहने का कारण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

प्रदेश में राबर्ट्सगंज टाउन एरिया, जिला मिर्जापुर तथा नगरपालिका, रामपुर की सीमा में स्थित नागर क्षेत्र ऐसे हैं, जिसमें कृषि भूमि की जमींदारी कृषि क्षेत्रों के परिच्छेदन की कार्यवाही पूरी न होने के कारण अभी तक समाप्त नहीं की जा सकी है।

३३--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

## नैनीताल के जिले के रामनगर शहर की भूमि पर सिंचाई विभाग का कब्जा

३४--श्री रामदत्त जोशी--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जनपद के अन्तर्गत रामनगर शहर के खास बंगले के समीप की किसी भूमि पर नहर विभाग ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या रामनगर के तहसील अधिकारी ने उसे बदखल कराने के लिए कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जिला नैनीताल के रामनगर शहर में खास बंगले के समीप २·१६ बीघा भूमि पर इस समय सिंचाई विभाग का कब्जा है जब कि कागजात में यह भूमि माल विभाग के नाम दर्ज है । अब इस भूमि को सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

## शाहजहांपुर में लाटरी टिकटों की बिक्री एवं तहसीलदारों का मानदेय

३५--श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या शासन बताएगी कि १९७३ में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लाटरी के टिकटों की बिक्री करने पर तहसीलदारों को मानदेय देने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या शासन बताएगी कि शाहजहांपुर जिले के ऐसे सभी तहसीलदारों को यह मानदेय दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हां, वर्ष १९७३-७४ में निर्धारित लक्ष्य से अधिक लाटरी के टिकटों की बिक्री करन पर तहसीलदारों को मानदेय देने की योजना थी । शाहजहांपुर जिले के एक तहसीलदार श्री शंकर स्वरूप शुक्ल को छोड़कर अन्य सभी तहसील-दारों को मानदेय का भुगतान कर दिया गया था । श्री शुक्ल चूंकि बिना चाज दिए तथा मानदेय हेतु बिल प्रस्तुत किए जनपद से चले गये, अतः श्री शुक्ल को मानदेय नहीं दिया जा सका ।

## बस्ती जिले के विद्युत विभाग के प्रथम व द्वितीय डिवीजन में गबन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

महोदय, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । बस्ती जिले में विद्युत विभाग के दो डिवीजन प्रथम तथा द्वितीय हैं । दोनों डिवीजन प्रथम तथा द्वितीय में स्पेशल आडिट का आदेश हुआ । जिसमें १८ लाख रुपये का गबन हुआ । ७ आदमी निलम्बित भी हुए । ४२ आद-मियों को निलम्बित करने के लिये आडिट ने संस्तुति की है । ३५ व्यक्ति जो घोर अपराधी हैं [××] इस कारण से ३५ दोषी अधिकारी तथा पूर्व अधीक्षण अभियन्ता श्री कुरेशी निलम्बित नहीं किए गए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ा नहीं गया ।

[श्री सुखपाल पांडेय--]

अतः आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि विद्युत विभाग के पूरे प्रदेश में १०० रुपये के स्थान पर केवल ३५ रुपया का कार्य कराकर बाकी धन प्रतिशत के आधार पर आपस में बंटवारा करके पूरे विभाग को हिस्सा देते हैं । इसलिए पूरे प्रदेश में आडिट कराया जाय । बस्ती जिले के विद्युत विभाग के प्रथम डिवीजन में आडिट कराया जाय और द्वितीय डिवीजन में आडिट में दोषी पाये गय व्यक्तियों को निलम्बित किया जाय, जिससे यह भ्रष्टाचार समाप्त हो ।

## अन्तर्प्रान्तीय दस्युदल का उन्मूलन करने वाले चुनार, मिर्जापुर के थानाध्यक्ष श्री के० एन० सिंह तथा उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

महोदय, मिर्जापुर जनपद में चुनार के थानाध्यक्ष श्री के० एन० सिंह ने अगस्त, ७८ म मिर्जापुर वाराणसी सीमा पर अन्तप्रांतीय दस्युदल के सरदारों से हुई मुठभड़ में पचासों डकैतियों, हत्याओं एवं अपहरण के लिये उत्तरदायी खूंखार डकैतों को मौत के घाट उतारकर प्रदेश के पुलिस प्रशासन में एक गौरवपूर्ण कीर्तिमान कायम किया । उक्त दस्यु दल का आतंक उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश में व्याप्त था ।

उक्त शौर्यपूर्ण साहसिक कार्य तथा अनेक खूंखार अपराधियों का गिरफ्तार पकड़ने के कारण सब-इन्सपेक्टर के० एन० सिंह को पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर अतिरिक्त पुलिस महा निरीक्षक, पुलिस महा निरीक्षक तथा नागरिकों ने अनेक पुरस्कार प्रदान किये तथा पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रपति पुरस्कार की संस्तुति की । किन्तु दुर्दान्त दस्यु दल के शेष सदस्य सब-इन्सपेक्टर व उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को कभी भी खतरे में डालने के लिए बेचैन हैं । सब-इन्सपेक्टर व उसके परिवार की सुरक्षा हेतु गत अगस्त मास से ही प्रदेश के गृह सचिव व पुलिस महा निरीक्षक ने रेंज के अधिकारियों को अनेक बार सुरक्षा के आदेश दिये । फिर भी सुरक्षा की कार्यवाही नहीं की गई और इस समय उक्त सब-इन्सपेक्टर व उसका परिवार पूर्ण संकटग्रस्त है । जिससे पुलिस का मनोबल क्षीण हो रहा है तथा आततायियों के हौसले बुलन्द हैं। अतः इस लोक-महत्व के सुनिश्चित विषय को शासन व सदन के संज्ञान में ला रहा हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

माननीय, एक निवेदन था जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है यह बड़ी गंभीर बात मालूम होती है । माननीय, सरकार को आप आदेश करें कि वह माननीय सदस्य की सूचना पर इस सदन को पूरे तौर पर परिस्थितियों से अवगत करायें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं गृह मंत्री के पास इसको भेज दूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## लक्ष्मी शुगर मिल, महौली, सीतापुर में गन्ना पिराई बन्द होने से संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह पत्र लाना चाहता हूं। सीतापुर जिले की लक्ष्मी शुगर मिल, महौली नवम्बर, ७८ में प्रारम्भ होकर गन्ना काश्तकारों की हड़ताल के कारण गत ७ दिनों में पुनः बन्द हो गई है। परिणाम स्वरूप गन्ना पेराई की दृष्टि से भीषण संकट उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा पिछले ३ वर्ष से गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया। लाखों रुपया बकाया है। गत सीजन में सरकार ने मिल को अपने कब्जे में ले लिया। शासन ने कहा कि चालू गन्ना आपूर्ति का भुगतान प्रारम्भ कर दिया जायेगा और पिछले वर्षों का भी शीघ्र अदा कर दिया जायेगा। पिछले वर्ष कुछ दिन भुगतान हुआ बाद में वह भी बन्द कर दिया गया। उसके पूर्व के लाखों रुपये के भुगतान की दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस वर्ष भी उधार लेना प्रारम्भ किया गया। इस नीति के विरोध स्वरूप तथा पिछला बकाया प्राप्त करने के लिये शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु काश्तकारों ने गन्ना आपूर्ति बन्द कर दी है। परन्तु अभी तक सरकार की ओर से कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया कि मिल चालू हो सके परिणामस्वरूप काश्तकारों में जहां असन्तोष बढ़ रहा है, वहीं क्षेत्र में गन्ना पेराई के लिये भी भीषण संकट उत्पन्न है।

अतएव आपके माध्यय से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाकर अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।

## ग्राम कालूखेड़ा जिला, उन्नाव, निवासी श्री राजाराम दीक्षित की गिरफ्तारी के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, नियम ३०१ के अन्तर्गत निम्न विषय को उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं। घटना का सही विवरण इस प्रकार है :—

२६-८-१९७८ को ग्राम कालूखेड़ा थाना, असोहा जिला उन्नाव के निवासी श्री राजाराम दीक्षित को सांयकाल ७ बजे पुलिस यह कहकर घर से ले गई कि कालूखेड़ा बाजार में पुलिस कप्तान आये हुए हैं और वह बात करना चाहते हैं। वहां जब श्री दीक्षित पुलिस के साथ पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक उस स्थान पर नहीं थे। फिर वहां से श्री दीक्षित को १ किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अटरिया खेड़ ले जाया गया। वहां पर पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। जब श्री दीक्षित पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक, उन्नाव श्री बुद्धचन्द्र ने उनसे कहा कि क्या अटरिया खेड़ा में जो भांग रखी है, वह आपकी है। इसपर श्री दीक्षित ने मना कर दिया। उसके उपरांत श्री दीक्षित को असोहा थाने में ले जाया गया। दिनांक २७-८-७८ की सुबह सात बजे चालान के साथ रोडवेज बस द्वारा असोहा से उन्नाव ले गये। बस स्टेशन से पुलिस कोतवाली और कोतवाली से पुलिस लाइन ले गये। सांयकाल फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अरुण कुमार--]

कोतवाली वापस लाये। दिनांक २८-८-७८ को दोपहर २ बजे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल ले गये। इस सम्बन्ध में अनेकों प्रार्थना-पत्र श्री राजाराम दीक्षित द्वारा गृह मंत्री, मुख्य मन्त्री, राज्यपाल तथा प्रधान मन्त्री आदि को इस आशय के भेजे गये कि उन्हें गलत फंसाया गया है। इसके उपरांत दिनांक १९-१०-७८ को एक प्रार्थना-पत्र गृह मन्त्री जी को दिया गया। उसी प्रार्थना-पत्र पर दिनांक २६-१०-७८ को सी० आई० डी० की जांच के आदेश हो गए और दिनांक २९-१०-७८ को वायरलेस द्वारा उन्नाव भेज दिये गये।

सी० आई० डी० की जांच प्रारम्भ हो चुकी थी कि शासन से सी० आई० डी० जांच वापस करने के आदेश भेज दिये गये हैं। इस जांच के वापस होने से सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे और लोगों में इससे बहुत असन्तोष है। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि इस विषय की महत्ता को देखते हुये नियम ३०१ के अन्तर्गत आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

मान्यवर, निवेदन यह है कि जो जांच चल रही है, उसे सतर्कता से कराया जाय।

श्री अध्यक्ष---

गृह मन्त्री के पास भेज दिया जायेगा।

## फिरोजाबाद, आगरा में राजकीय नलकूपों के बन्द होने से किसानों के समक्ष संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद आगरा के क्षेत्र फिरोजाबाद में राजकीय नलकूपों में से राजकीय नलकूप नं० १३, ४९, ५३, ५४, ३७, १९, ५५, २०, ७० और ६ नवनिर्मित हुए नलकूप बन्द पड़े हैं, जिससे क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ भूमि बिना सिंचाई के जुतने योग्य नहीं बन पाई है और खाली बंजर पड़ी है, जिससे काश्तकारों की उपजाऊ दो फसल देने वाली भूमि बेकार कर दी गई है तथा उनको लाखों की क्षति हुई है और किसानों के नाम झूठी आबपाशी, कूप चालकों ने कागजातों में दर्ज कर रखी है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों का जनमानस हिल उठा ह, जिससे किसानों में भारी बेचैनी ह। अनक कूपों पर जो किसान की फसल सूख रही है और दीमक से खेत बर्बाद हो गये हैं। मान्यवर, यही नहीं, क्षेत्र के ५० प्रतिशत कूप बन्द हैं और उन पर आबपाशी उस दशा में भी लग रही है, जब यह बन्द हैं। यदि वह अपने खेतों को निजी नलकूपों से लाकर पानी देते हैं तो भी बिना सिंचाई का पानी दिए उन पर आबपाशी लगा रहे हैं।

अस्तु सरकार से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उक्त बन्द राजकीय नलकूपों को ठीक कराया जाय और चालू कराकर सिंचाई को पानी दिया जावे और इस प्रकार झूठी दर्ज आबपाशी समाप्त हो तथा दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को दन्डित किया जाय तथा काश्तकारों को उनकी हुई क्षति का मुआवजा दिया जावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

## नेहरू कालेज, छिबरामऊ, फर्रुखाबाद में प्राचार्य एवं प्रबन्धक के अत्याचार से वहां के कर्मचारियों द्वारा अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)--

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन का ध्यान नेहरू कालेज, छिबरामऊ फर्रुखाबाद में प्राचार्य एवं प्रबन्धक के अत्याचार एवं अनियमितताओं के विरुद्ध शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा दिनांक १२-१२-७८ से अनिश्चित कालीन अनशन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। संस्था के प्राचार्य श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल एवं प्रबन्धक श्री राज किशोर द्विवेदी की तानाशाही प्रवृत्ति और उनके द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं से त्रस्त होकर शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने शासन एवं प्रशासन और जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद जो कि संस्था की प्रबन्धक समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, को कई बार लिखा परन्तु उससे कोई परिणाम न निकला। आमरण अनशन से संस्था के सभी कर्मचारियों छात्रों और क्षेत्रीय जनता में संस्था के पदाधिकारियों के विरुद्ध भारी रोष उत्पन्न हो गया है जो कि धीरे-धीरे जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों एवं छात्रों में फैलता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं के बन्द हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गयी है। नेहरू कालेज छिबरामऊ में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने के कारण प्राचार्य ने संस्था को दिनांक २५ दिसम्बर, १९७८ से बन्द कर दिया है।

श्रीमन्, प्रबन्धक एवं प्राचार्य की अनियमितताओं के संबंध में संस्था के अधिकारियों एवं शासन को मजबूर हो कर यह लिखने पर भी कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों का हल दो सप्ताह के अन्दर न निकाला गया तो वे मजबूर होकर 'अनशन पर चले जायेंगे। महीनों की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी प्रबन्धक समिति के अधिकारियों, प्राचार्य एवं प्रशासन ने जब कोई कार्यवाही न की तब दिनांक ५ दिसम्बर, ७८ से क्रमिक अनशन पर कर्मचारी चले गये एवं अब दिनांक १२ दिसम्बर ७८ से श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं सुशील कुमार सक्सेना लैब अटेन्डेन्ट आमरण अनशन पर बैठ गये हैं और पूर्ण गांधीवादी लोकतन्त्रात्मक पद्धति द्वारा अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अभी तक संस्था के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति की ओर से कोई वार्तालाप तक नहीं की गयी है।

श्रीमन्, पिछले ७५ घंटे से निरन्तर संस्था के दो कर्मचारी अपने प्राणों को दांव पर लगाये हुये आमरण अनशन पर बैठे हैं एवं अन्य अध्यापक और कर्मचारी भी उनका अनुसरण करने जा रहे हैं अतएव आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मामले पर अविलम्ब हस्तक्षेप कर स्थिति को सामान्य बनाने की कृपा करें।

## कानपुर विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर विश्वविद्यालय के गैरशिक्षक कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों के समर्थन में, १ दिसम्बर, १९७८ से पूर्ण हड़ताल कर दी है जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम शुक्ल--]

विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है, परीक्षाओं के परिणाम घोषित होना रुक गया है तथा समस्त कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष है। विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के कर्मचारियों की जायज मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैय ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षामंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं हड़ताली कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर आपसी वार्ता द्वारा कोई सम्मानजनक हल निकालने की कृपा करें।

**प्रदेश के पशुधन विकास सहायक संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आन्दोलन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुधन एवं सहकारिता विभाग के अधीन कार्यरत पशुधन विकास सहायक अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन तथा संघर्ष चला रहे हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उनके वर्तमान वेतनमान में वृद्धि की जाए तथा वर्तमान वेतनमान जो २३०-३८५ रु० है, में वृद्धि करके ३५० रु० से ७०० कर दिया जाय। पशुधन विकास सहायक संघ का प्रतिनिधि मण्डल भी अपनी मांगों के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री जी से मुलाकात कर चुका है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मांगों के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। यही नहीं ११ अक्तूबर, १९७७ को माननीय सहकारिता मंत्री जी ने ग्राम सभाओं के समस्त प्रमुखों तथा प्रधानों को पत्र में लिखा कि सरकार को निर्बल वर्गों और सरकारी कर्मचारियों में भी कम वेतन पाने वालों के बारे में पहले सोचना है।

इधर विगत कुछ दिनों से संघ के पदाधिकारीगण तथा सदस्यगण अपनी मांगों के समर्थन में विधान सभा के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे हैं तथा स्थिति असंतोषजनक हो रही है।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है और आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपेक्षा करता हूं कि शासन शीघ्र ही उपरोक्त मांगों के संबंध में माननीय सदन को अवगत करायेगा।

(श्री बाबू राम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहाकारिता मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, उनसे कुछ कहलवा दें।

**बस्ती जनपद की मुण्डेरवा चीनी मिल चालू न होने से क्षेत्रीय कृषकों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना**

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बस्ती जनपद में मुण्डेरवा चीनी मिल के अब तक न चलने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, अक्तूबर के प्रारम्भ में मुण्डेरवा चीनी मिल के कृषकों ने लगभग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पतीस लाख रुपया गन्ने के बकाये मूल्य को प्राप्त करने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ किया था। कई लोगों ने आमरण अनशन भी प्रारम्भ किया था। उस आन्दोलन में चीनी मिल क्षेत्र के सभी कृषक शामिल थे। भारत के कृषि राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह, बजभूषण तिवारी, संसद सदस्य एवं जिले के प्रायः सभी विधायकों ने किसानों की मांगों का समर्थन किया तथा आन्दोलन को समाप्त कराकर सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग किया था। जिसके परिणाम स्वरूप में रिसीवर की नियुक्ति सरकार द्वारा कर दी गई। रिसीवर ने चीनी मिल अविलम्ब चलाने के लिये २० लाख रुपये की मांग सरकार से की है, परन्तु सरकार मौन है। अब तक न कृषकों के बकाया धनराशि भुगतान हुई है और न चीनी मिल ही चल रही है। मुण्डरवा चीनी मिल क्षेत्र के पैंतीस हजार कृषकों का जीवन अनिश्चय के वातावरण से त्रस्त है। सरकार के अध्यादेश के बावजूद भी मुण्डेरवा चीनी मिल का न चलना एवं गत वर्ष के गन्ने के मूल्य का भुगतान न करना तथा इस क्षेत्र के गन्ने की पेराई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण अब किसान अपना ढाढस खो बैठा है। माननीय गन्ना मंत्री जी तुरन्त वक्तव्य देकर मुण्डेरवा चीनी मिल को अविलम्ब चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।

## उत्तर प्रदेश काटन क्लाथ एण्ड यार्न डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत ली जाने वाली फीस में वृद्धि से व्यापारियों में असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रेवतीरमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न पर शासन एवं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश काटन क्लाथ एण्ड यार्न डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर के अन्तर्गत ली जाने वाली वार्षिक फीस में दिनांक २१ नवम्बर, १९७८ से लगभग ३३ प्रतिशत तक की बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी। इससे सभी श्रणी के कपड़ा व सूत व्यवसायी प्रभावित हुए हैं। इस वृद्धि से सम्पूर्ण प्रदेश में घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त हो गया है।

तालिका निम्न प्रकार है :—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| आयतक कपड़ा | ३० रु० | प्रति वर्ष था अब | १,००० रु० | प्रति बर्ष हो गया है। |
| आयतक सूत | ३० | ,, | ५०० | ,, |
| थोक विक्रेता कपड़ा | ३० | ,, | १००० | ,, |
| थोक विक्रेता सूत | ३० | ,, | ५०० | ,, |
| फुटकर विक्रेता | ८ | ,, | ५० | ,, |
| फुटकर विक्रेता सूत | ४ | ,, | ५० | ,, |
| विक्रय अभिकर्ता कपड़ा | ५० | ,, | १००० | ,, |
| विक्रय अभिकर्ता सूत | ५० | ,, | ५०० | ,, |
| कमीशन एजेण्ट कपड़ा | २० | ,, | १०० | ,, |
| कमीशन एजण्ट सूत | १० | ,, | ५० | ,, |

[श्री रेवती रमण रस्तोगी--]

मान्यवर, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वार्षिक लाइसेंसिंग फीस मे बेतहाशा वृद्धि की गई है । इस वृद्धि से सभी श्रेणी के व्यापारी प्रभावित हुए हैं, । माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो यह थी कि जनता सरकार वार्षिक लाइसेंस फीस को समाप्त कर व्यापारियों को राहत देती । किन्तु सरकार ने इसमें वृद्धि कर व्यापारी समाज को हतोत्साहित किया है । इससे जन आक्रोस बढ़ेगा तथा राजनैतिक आन्दोलन को प्रोत्साहन मिलेगा ।

अतः मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसे तत्काल वापस लिया जाय । नारायण-नारायण ।

श्री अरुण कुमार (जिला जोधपुर)--

श्रीमन्, यह 'नारायण नारायण' कार्यवाही का अंग रहेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

नारायण तो उनका नाम है ।

एक सदस्य--

आप नारायणदत्त का नाम जपिए ।

## मंत्रि परिषद् के कतिपय मंत्रियों द्वारा शासन विरोधी वक्तव्य देकर संयुक्त जिम्मेदारी का उल्लंघन किये जाने के संबंध में आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय इस प्रदेश मे इस मंत्रिमंडल के कतिपय मंत्रिगण खुले आम शासन की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं । वे ऐसी मीटिंगों में शामिल होते हैं, जिसमें शासन की नीतियों की, शासन की उपलब्धियों की कटु आलोचना की जाती है और स्वयं वे उसमें उसके साथ अपनी सहमति प्रदान करते हैं । यह ऐसी विषम स्थिति है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद १६४ (२), जिसमें कैबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी की बात है, के सर्वथा विपरीत है । साथ ही साथ इस तरह की बातें जब जनता में आती हैं तो उससे प्रशासन प्रभावित और शिथिल होता है और मंत्रि मंडल की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है । अतः मैं अपने मुख्य मंत्री से अथवा अन्य उपस्थिति वरिष्ठ मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोकने की कृपा करें, जिससे प्रशासन चुस्त और सक्रिय ढंग से अपना कार्य कर सके और जनता की शासन के प्रति आस्था बढ़ सके । आशा है इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करने की कृपा की जाएगी ।

श्री अध्यक्ष--

८-१० सदस्यों ने इस पर लिखकर दिया है, लेकिन जैसा कि कल भी कहा था.... (व्यवधान) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप पहले इस पर सुन तो लें।

*श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, भाई राजेन्द्र जी माननीय सदस्य हैं, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

लगता कुछ ऐसा है, हमारी जनतन्त्र की जो परम्परा है—जिसमें कैबिनेट की ज्वायन्ट रिस्पांसबिलिटी होती है, उसको हमारे मंत्रिपरिषद् ने बिलकुल खो दिया है। अभी हाल ही में नगर में सिंचाई मंत्री जी ने एक तहसील अस्करी में किसान सम्मेलन में अपना भाषण देते हुए कहा है कि यह सरकार किसानों के लिए अहितकर है, यह किसान-विरोधी है। जब इस प्रकार के भाषण होते हैं, जहां कैबिनेट की खिंचाई होती है और उसके खिलाफ बातें कही जाती हैं, हमारे मंत्री ऐसी कमेटी-मीटिंग में जाते हैं और उसका समर्थन करते हैं तो यह उनका आचरण मंत्रिपरिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी के बिल्कुल विपरीत है। यह उनका बहुत अनुचित आचरण है। मैं निवेदन करूंगा कि जो मंत्री इस सरकार से सन्तुष्ट नहीं हैं, वह इस सरकार से अपना इस्तीफा दे दें।

श्री सुखपाल पान्डेय (जिला बस्ती)—

क्या यह इस तरह से इस्तीफे की बात कह सकते हैं?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा नाम लिया है। शायद किसी अखबार की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी, वह वहां मौजूद नहीं थे। अखबारों का कान्ट्राडिक्शन मैंने कर दिया है। 'नेशनल हेराल्ड' में वह छप भी चुका है।

एक सदस्य—

अन्य भी सूचनाएं ऐसी आई हैं।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक प्रश्न उपस्थित किया है और उस संबंध में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद १६४ (२) का उद्धरण भी दिया है।

उसमें ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी की बात कही गयी। आज मान्यवर, यह बात विपक्ष से नहीं कही जा रही है वरन् सत्ता पक्ष के लोगों का यह निश्चित आरोप है और आप भी उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मंत्रि परिषद् के लोग बिलकुल कंट्रेडिक्टरी बयान दे रहे हैं, पालिसी के मैटर्स पर, एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि अगर मंत्रि परिषद् संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है तो मान्यवर, यह सरकार किस तरह से चलेगी, इस हाउस को आप किस तरह से चलाएंगे और जो यह विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है पूरे प्रदेश में उसका रिपर्कशन इस हाउस में भी देखने को मिलता है। इसका कैसे निराकरण हो, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्री तिवारी जी, जहां तक मेरी व्यवस्था आप चाहते हैं...,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसन (जिला मुरादाबाद)--

यह बड़े महत्व का इश्यु है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप यह बतलाइये, एक तो तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न रखा । अगर आप उन्हीं की व्यवस्था पर कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

नहीं-नहीं, हमारी व्यवस्था का प्रश्न आपसे है तिवारी जी से थोड़े ही है । हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि राजेन्द्र कुमार जी ने एक बात सदन के संज्ञान में ला दी मंत्रि परिषद् के संयुक्त उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में, अगर उसके बारे में सारे लोग विचार प्रकट करते हैं तो जरूरी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां रहें । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद नहीं हैं और इस पर फिर संयुक्त जिम्मेदारी की बात उठती है तो जवाब कौन देगा, बलवीर सिंह जी या रामप्रकाश जी जवाब देंगे, अगर मुखिया नहीं है तो मुखिया को बुलवाइय ।

श्री अध्यक्ष--

मुखिया यहां पर उप नेता मौजूद हैं । जब आपने स्वयं कहा कि संयुक्त जिम्मेदारी है तो कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है । माननीय मुख्य मंत्री आज यहां नहीं हैं । उनकी अनुपस्थिति में माननीय उपनेता मौजूद हैं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह —

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और अन्य सदस्यों ने जो यह प्रश्न रखा ह बड़े महत्व का प्रश्न है । सवाल यह है कि इस सदन के बाहर सारे मंत्रिगण एक दूसरे के विरोधी बयान देने लगें तो यह बहुत दिक्कत तलब बात हो जाती है । उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया था कि किसान रैली के लिए कोई मंत्रि परिषद् का सदस्य चन्दा नहीं करेगा और उसके ठीक बरखिलाफ कृषि मंत्री जी ने बयान दिया, अगर गुरुदक्षिणा देना नियमों के विरुद्ध नहीं है तो किसान सम्मेलन के लिए चन्दा करना भी नियम विरुद्ध नहीं है । यह परस्पर विरोधी बयान आये हैं । इसका बुरा असर समूचे प्रशासन पर पड़ रहा है । माननीय राजेन्द्र प्रसाद जी ने यह सवाल उठाया, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मंत्रि मंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन हो रहा है तो जिस प्रकार माननीय सिंचाई मंत्री ने कह दिया कि जो अखबार में निकला, उसका कंट्रडिक्शन कर दिया और हम लोग आश्वस्त हो गये, सारा सदन आश्वस्त हो गया । तो जैसे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने संयुक्त उत्तरदायित्व पर अपनी बात कही क्या उसी प्रकार मंत्रि मंडल के दूसरे सदस्य क्या यह बात कहेंगे, मैं यह जानना चाहूंगा ? इस प्रदेश में किसान सम्मेलन के सम्बन्ध में कितनी भ्रान्तियां पैदा हो गयी हैं, जिस तरह से कार्यवाही चल रही है खुले आम जिस तरह एक दूसरे की निन्दा की जा रही है इस पर श्रीमन्, विस्तार-पूर्वक चर्चा करा ली जाय और मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से जो जिम्मेदारी के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

साथ कह सके, चाहे उप नेता हों या कोई दूसरा मंत्री, से उत्तर दिला दिया जाय। इससे जो भ्रान्तियां फैली हुई हैं और जो असंतोष है वह दूर हो सकेगा और अखबारों में जो निकलता है वह खत्म हो जायगा। पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन जायगा कि इस मंत्रि परिषद् में दो राय नहीं हैं, एक राय है और एक विचार के लोग काम कर रहे हैं।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने रखा है वह बहुत गम्भीर है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाले अनेक कर्णधारों ने हमको प्रजातांत्रिक प्रणाली दी है। संविधान निर्माताओं ने खूब सोच समझकर प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिए संविधान में धारा १६४ का निर्माण किया। मान्यवर, संयुक्त दायित्व ही एक ऐसा है जिसके सूत्र में पूरा मंत्रि परिषद बंधा हुआ है। हम सत्ता पक्ष के विधायक यहां हैं लेकिन जो हम सुनते हैं उससे सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है और ऐसा न हो कि इस देश और प्रदेश की जनता का प्रजातांत्रिक प्रणाली से विश्वास उठ जाय। आने वाला खतरा बहुत गम्भीर रूप ले सकता है। प्रजातंत्र में आस्था उत्पन्न करना जहां संविधान के निर्माताओं का आशय था वहीं इस सदन और आपका भी दायित्व हो जाता है कि प्रजातांत्रिक मूल्य न गिरने पावे। इसलिए यह विषय गम्भीर है। इसका रूप न बिगड़े इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विस्तार से चर्चा करा दी जाय ताकि जनता में फैला हुआ भ्रम और भ्रान्तियां दूर हो सकें।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो एक ही पर व्यवस्था नहीं हुई।

*श्री कृष्ण स्वरूप—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह कहा कि मंत्रि परिषद् के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और सदस्यों ने भी ऐसा कहा। यह एक 'वेग' बात है। जिस प्रकार माननीय गनेशी लाल चौधरी ने उदाहरण देकर समझाया और सिंचाई मंत्री जी ने उसका खंडन कर दिया, वह ठीक है। अगर इस तरह के आरोप हैं कि मंत्रि परिषद् के सदस्य कंट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं तो उसके स्पष्ट उदाहरण आने चाहिए वरना कोई मंत्री किस प्रकार उसकी सफाई दे सकेगा। 'वेग' आरोप होंगे तो उसका उत्तर न कोई मंत्री दे सकेगा और न मुख्य मंत्री ही दे सकेंगे।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट उदाहरण तो जब चर्चा होगी तब सामने आयेंगे यदि कोई होंगे तो। एक निवेदन सूक्ष्म में करना चाहता हूं कि इस चर्चा को जब सुने तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चर्चा का कोई लाभ तभी हो सकेगा जबकि उसका उत्तर देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जो अवश्य हों।

इस मामले में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो व्यवस्था मांगी, संयुक्त उत्तरदायित्व की तो उस पर मैं क्या निर्णय दे सकता हूं, आप उसी दल के सदस्य हैं यदि आपको शिकायत है तो आप उनसे कहें ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

हम लोग इसी पर बात करेंगे । आप सुनते रहिए ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

माननीय सदस्य, सीतापुर ने और फैजाबाद ने जो प्रश्न उठाया है और बुजुर्ग नेता हमीरपुर माननीय शर्मा जी ने उठाया तो यह प्रश्न कोई परिपाटी का नहीं है । विरोधया सत्ता पार्टी का नहीं है और इसको दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए । सवाल यह है कि यह कोई मिला जुला मंत्रीमंडल तो है नहीं कोलिशन होती तो होता कि कोलिशन है । एक पार्टी का मंत्रिमडल है और मुख्य मंत्री जी उसके नेता हैं । एक पार्टी का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है । उसके अन्तर्गत जैसा उदहरण दिया गया है, कल हमने उदाहरण दिया रैली को लेकर फिर उदाहरण दिया अलीगढ़ के बारे में कि परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं । इस काम को उप नेता चाहें भी तो सम्पन्न नहीं कर सकते हैं । केवल इस मामले में उत्तर नेता सदन ही दे सकता है । क्योंकि कान्स्टीट्यूशन के आधार पर रेस्पान्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है । उप नेता चाहे भी तो उनके लिए स्पष्टीकरण देना कठिन हो जायेगा । वह यही कहेंगे कि मैं मुख्य मंत्री तक इस भावनाओं को पहूंचा दूंगा । वह यह नहीं कह सकते हैं कि मैं मुख्य मंत्री की हैसियत से कह रहा हूं । तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि उनको बुलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

वह आज हैं नहीं । वह देवरिया गये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो अलीगढ़ का जवाब कौन देगा ?

श्री मोती राम--

अभी ११ बजने में १० मिनट बाकी थे तब मुख्य मंत्री जी मेरे साथ लिफ्ट से गये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उनको बुलवा लिया जाये । यह विपक्ष का प्रश्न नहीं है । आगे के लिए क्या व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी उनके पास खबर भेजता हूं ।

*श्री श्यामधर मिश्र--

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग सभी इस प्रश्न पर और कुछ ऐसे प्रश्न और हैं जिन पर कदापि राजनैतिक भावनाओं से ओत प्रोत व होकर कुछ नहीं कहना है । यह बात एक संयुक्त उत्तरदायित्व की है । आपकी ही अध्यक्षता में कल हम लोगों ने एक विशेष विषय को लेकर कार्य-स्थगन की बात कही । कुछ माननीय सदस्यों ने और विषयों को लेकर कार्य स्थगन की बात कही थी और विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था लेकिन हमारी आवाज इतनी कमजोर होती है, इसलिए वह पहुंच नहीं पाती है या उसका असर नहीं होता है । हमने यह कहा था और मैं याद दिला रहा हूं कि परस्पर विरोधी बातें

कही जा रही हैं । आज माननीय उप नेता सदन बैठे हैं और वह उद्योग मंत्री भी हैं, उनकी ओर से एक वक्तव्य आया और उस पर मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न भी उठाया था । वक्तव्य यह आया कि राष्ट्रीयकरण हिन्डालको का नहीं होगा श्री रवीन्द्रकिशोर शाही का आया कि होगा और एक मंत्री का आया कि नहीं होगा । हम किसको सही माने? यही बात आरक्षण के संबंध में देख ले, अलीगढ़ रायटस के संबंध में भी यही बात देख ले । मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह पार्टी है भी या नहीं ? आप ही अध्यक्ष जी, यह बतला दें कि यह पार्टी है?

श्री अध्यक्ष--

पार्टी की मान्यता तो मैंने दे दी है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, यह विषय ऐसा नहीं है कि हल्के ढंग से कुछ कह कर टाल दिया जाये । इसको आप विवाद के लिये स्वीकार करे । संयुक्त उत्तरदायित्व के संबंध में जो मंत्रियों के बयान हो रहे हैं, वे परस्पर विरोधी हैं । जो आर्डर्स हो रहे हैं, वे परस्पर विरोधी हैं । तबादलों के बारे में भी आप फाइल मंगा कर देख ले, मंत्री के अदेश कुछ है, राज्य मंत्री के कुछ है और उप मंत्री के कुछ हैं । अराजकता का राज्य हो गया है । ऐसी सूरत में क्या किया जाये ? इसलिये यह जो प्रश्न उठाया गया है यह सामयिक है और इस पर आपकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता का भी आभारी हूं जिन्होंने एक अहम मसला इस सदन में उठाया है । मान्यवर, "हकीकत छिपाई नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से । आज पूरे प्रदेश में यह भ्रम हो गया है कि क्या यह मंत्रिमंडल अपने संविधान के मुताबिक चल रहा है या भिन्न-भिन्न मंत्रियों की राय से चल रहा है । यह भी हवा हो रही है कि जब मंत्रिमंडल के ऊपर कोई किसी तरह का संकट आता है तो आप उस पीठ से उनकी मदद करते हैं और आपकी मदद से उनकी गाड़ी पार हो जाती है ।

मान्यवर, आपका काफी तजुर्बा है, आपने स्वयं सरकार चलायी है, आप सरकार में रहे हैं, मगर माननीय रामनरेश यादव जी जो हैं, वे जो काम कर रहे हैं, उससे यह समझ में नहीं आता कि आज हो क्या रहा है । अभी माननीय श्रम मंत्री जी का एक प्रोग्राम छपा है, यह मेरे सामने है, ५० गांवों में जाने का उनका यह प्रोग्राम है, किसी भी गांव में २५ मिनट से ज्यादा का उनका रुटे नहीं हैं, आप कृपया इस डिटेल्ड प्रोग्राम पर नजर डालें, इस तरह का प्रोग्राम कहीं भी किसी जन हित के कार्यों के लिये नहीं बनाया जाता । आपने भी अपने प्रोग्राम बनाये हैं, आप भी गांव-गांव में गये हैं, मगर ऐसा प्रोग्राम आपने भी नहीं बनाया होगा आपने । यह किस मकसद के लिये बनाया जा रहा है ? मान्यवर, यह जो रैली होने वाली है, उसको कामयाब बनाने के लिये उस रैली के लिये रुपया इकट्ठा करने के लिये, ज्यादा से ज्यादा आदमी वहां भेजने के लिये यह कार्य-क्रम बनाया गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसेन]--

इन सारी चीजों के लिए यह कार्यक्रम बना है । तो श्रीमन् जो आज श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने प्रश्न उठाया, तो यह पूरा मंत्रि मंडल अपने-अपने रास्ते पर चल रहा है । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यह कोलीसन सरकार है । इस समय जो उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार कहलाती है वह किस आधार पर चल रही है क्या कोलीसन है? घटकवाद की बात कहते हैं, तो कहते हैं कि कोई घटकवाद नहीं है ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

यह जनता सरकार हैं, जनता के सामने कोई आधार नहीं होता ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मकीम साहब ने बिलकुल ठीक ही कहा इस वक्त की सरकार सिर्फ अराजकता की सरकार है, कोई सरकार नहीं है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें । यह मैं आपके पास भेज रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह जो सूचना दी है कि संयुक्त जिम्मेदारी का अभाव है, मंत्रीगण परस्पर विरोधी बात कहते हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह जो कहते हैं कि जनता सरकार है, इस पर क्या व्यवस्था देंगे, मान्यवर?

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें । मान्यवर, दुरुपयोग हो रहा जनता सरकार का ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपका ध्यान नियम २७५ की ओर आकर्षित करता हूं । आप इसी दल के सदस्य हैं, अगर आप समझते हैं कि सरकार ठीक नहीं चल रही है, इसमें संयुक्त जिम्मेदारी का अभाव है, तो यह आपने प्रश्न जो उठाया, इस पर चर्चा की इजाजत कैसे दे सकता हूं ? आपने चर्चा तो कर दी आप लोग तो उत्तेजित हो जाते हैं । इसलिए यदि नियम २७५ के अनुसार सूचना दी जाय, तब मैं चर्चा देने पर विचार करूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मुख्य मंत्री जी को इजाजत देंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी बोलना चाहें, तो मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जायगी । माननीय मुख्य मंत्री जी, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, शतरुद्र प्रकाश, मोतीराम, राम जी, गनेशीलाल, कल्पनाथ सिंह इन लोगों ने कहा है कि सरकार के मंत्री परस्पर विरोधी कार्य करते हैं, सार्वजनिक रूप से सरकारी

नीतियों की अलोचना करते हैं और उन सभाओं में शरीक होते हैं जिनमें सरकार की विफलता की खुलकर चर्चा की जाती है । सभी काम किसान सम्मेलन को लेकर किया जा रहा है । मंत्री मंडल के संयुक्त उत्तरदायित्व का उल्लंघन होता है तथा प्रशासन विपरीत दिशा में प्रभावित होता है और प्रार्थना किया है कि चर्चा हेतु अनुमति प्रदान की जाय ऐसा मैंने कहा है कि यह एक ऐसा विषय है जो नियम २७५ (अविश्वास का प्रस्ताव) के अन्तर्गत उठाया जा सकता है । चूंकि यह आपकी पार्टी की तरफ से प्रस्तुत हुआ है, अगर इस संबंध में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

(मुख्य मंत्री के पुकारे जाने पर)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, अभी आपने नियम २७५ का हवाला देकर इस प्रकार से इस प्रश्न पर, इस विषय पर अपनी व्यवस्था दे दी, तो क्या व्यवस्था देने के बाद भी आप मुख्य मंत्री को बोलने के लिए आदेश कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन नियमों में मंत्रियों को किसी भी समय वक्तव्य देने का अधिकार है । इसलिए मैंने औचित्य की दृष्टि से कहा कि यदि आप उचित समझें तो स्पष्टीकरण कर दें । इसलिए कोई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार जी गुप्त और अन्य साथियों ने जो प्रश्न उठाया है यदि कहीं इस तरह की बात हुयी तो जानकारी में बात लानी चाहिये थी । लेकिन फिर भी सदन के अंदर यह प्रश्न आया है । मैं इतना ही चाहता हूं कि कहीं पर जैसा मैंने पहले भी कल निवेदन किया था कि, कहीं पर चाहे किसान रेली हो या और कोई सम्मेलन हो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जायगा । अगर कहीं पर किसी विशेष स्थिति में कोई बात आती है, किसी सदस्य के ध्यान में, तो उस समय अवश्य विचार किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त संयुक्त उत्तरदायित्व और नीतियों का जहां तक सवाल है जो कुछ निर्णय होता है उसका पालन सभी मंत्रीगण करते हैं कहीं पर कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता है । जब तक कहीं कोई निर्णय नहीं रहता, हो सकता है कि कहीं वह कोई विचार व्यक्त करते हैं । लेकिन सारे नीतियों का पालन सभी मंत्री परिषद् के सदस्य करते हैं । यदि कोई सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो उनकी बात सुनने, समझने और विचार करने के लिए तैयार हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय, मुख्य मंत्री जी ने कल कहा और आज भी कहा है कि ऐसा नहीं किया जायगा और सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायगा । क्या इस संबन्ध में कोई आदेश लिखित रूप से जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों के पास भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री राम नरेश यादव--

आदेश तो बराबर इस तरह के हैं । लेकिन फिर भी इस तरह के आदेश और इस तरह के निर्देश सभी अधिकारियों को दिये गये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## अशरकारी दिवस का का कार्यक्रम बदलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है ? नियम २३ में दिया हुआ है :- "प्रत्येक मास के द्वितीय और चतुर्थ शुक्रवार को असरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें उनको सरकारी कार्य पर अग्रता प्राप्त होगी ।" इसी के उपनियम (१) में कहा गया है कि "जब अध्यक्ष ने उपनियम (१) के अंतर्गत पूर्वोक्त रीति से अन्यथा निदेश दिया हो तो वह सदन नेत मे परामर्श करके असरकारी सदस्यों के कार्य के लिये किसी सप्ताह में कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे ।"

मान्यवर, जब से सदन चला है, केवल २ दिन असरकारी दिवस के लिये मिले हैं । मान्यवर, जनतंत्र में अगर कोई हथियार सदस्यों के पास होता है तो वह असरकारी दिवस होता है । मैं देख रहा हूं कि असरकारी दिनों में कोई भी प्रोग्राम चलता है, रोजाना सूचना दी जाती है यह प्रस्ताव आयेगा, ठीक समय पर उनमें आ जाकर, निर्णय बदल देते हैं । खैर, मुझे कोई एतराज नहीं कि ३ घंटे की बहस लगायी लेकिन वह और काम को निकालकर लाई जा सकती है । मैं व्यवस्था चाहता हूं, आपको नियमावली का मान्यवर, पालन करना होगा, मैनडेटरी प्रोविजन को तोड़ने का आपको भी अधिकार नहीं है । इसलिये मैं व्यवस्था चाहता हूं, असरकारी दिवस के बारे में ?

श्री अध्यक्ष--

नियम २३ का आपने हवाला दिया । इस नियम में है कि 'अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें' इन नियमों पर अभी बहस नियम बनने का निश्चय । आज असरकारी दिवस था लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव किया, माननीय नेता सदन ने उसका समर्थन किया । इसलिये आज का गैर सरकारी दिन समाप्त हो कर अलीगढ़ की बहस को जारी रखा गया । लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने उठाया है, गैर सरकारी दिवस के स्थान पर नेता सदन से परामर्श करके दूसरा दिन मैं तो इसकी व्यवस्था में परामर्श करके करूंगा।--

## श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा नियम १०३ के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयत्न

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) --

मान्यवर, मैंने नियम १०३ के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें है 'यह सदन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई व भारत सरकार से संस्तुति करता है, ...।

श्री शतरुद्र प्रकाश-(जिला बरेली) --

मान्यवर, यहां ह कैसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह कैसे यहां दल में उठा सकते हैं ? इसके लिये नियम १०३ का हवाला है । मान्यवर, आप नियमों की बात करते हैं तो क्या यह नियम के मुताबिक है ? हम कोई बात उठाते हैं तो नियम का हवाला देते हैं और कोई नियम को तोड़कर बोले । जैसे श्री राजेन्द्र कुमार ने उठाया तो आपने कहा २७५ में चर्चा होगा । सदन में जब बात आ गयी तो आपको अधिकार

है कि नियम १० निलम्बित करके उस पर चर्चा करायें । २७५ का हवाला आपने दे दिय और बात पूरी नहीं हो पायी । उस पर मुख्य मंत्री जी ने भी बयान दिया । नियम १०३ में जो बात आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नियम १०३ के अन्तर्गत क्या कोई माननीय सदस्य अपनी किसी सूचना को या संकल्प को या प्रस्ताव को इस तरह खड़े होकर पढ़ सकते हैं ? यदि नहीं, तो नेता विरोधी दल को इजाजत क्यों दी जा रही है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** --

मैंने इजाजत नहीं दिया है ।

**श्री नारायण दत्त तिवारी** --

मैं नोटिस दे रहा हूं कि अलीगढ़...

**श्री शतरुद्र प्रकाश**--

नोटिस नहीं दी जा सकती है ।

(व्यवधान)

**श्री मान सिंह आजाद** (जिला लखनऊ) --

जो चाहे खड़े होकर बोलने लगे और नियमों का उल्लंघन करे । आप उनकी कार्यवाही को कटवा भी नहीं रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष**--

आप बैठें ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** (जिला सीतापुर) --

मान्यवर, मैं नियम ११० की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं तिवारी जी का आदर करता हूं लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वह नियमों को तोड़कर बोलते हैं । नियम ११० को देखें, हमारी नियमावली में व्यवस्था है कि बिना सूचना के प्रस्ताव, बधाई के, स्वागत का, समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव लाय जा सकते हैं । लेकिन जो प्रस्ताव माननीय तिवारी जी प्रस्तुत करना चाहते हैं उस प्रस्ताव का कोई भी परिक्षेत्र इस नियम में नहीं आता है नियम १०३ का हवाला दिया । उसमें व्यवस्था है कि प्रस्ताव की सूचना लिखित दी जायेगी और सचिव को सम्बोधित होगी । नियम १०३ जो नियम १०४ से व होता है, तो १०३ में बिन लिखित सूचना दी गयी है, बिन सचिवालय के माध्यम से दी गयी है, इसलिए बिना लिखित सूचना के कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत नहीं हो सकता है मैं इसमें आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मुझे मालूम हुआ कि १०३ में एक लिखित प्रस्ताव आया है। माननीय राजेन्द्र कुमार ने नियम ११० की बात केवल (५) तक पढ़ी और उसके बाद बदल गए। मैं समझता था कि आगे तक पढ़ेंगे लेकिन वह बन्द हो गए। इसलिए मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं। (८) में माननीय तिवारी जी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे आज्ञा मांग रहे हैं जो बिना सूचना के प्रस्ताव है। नियम ११० जिससे श्री राजेन्द्र कुमार ने (५) तक पढ़ा और बन्द हो गए। ११०(८) में अधिकार है--"किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव" तत्काल बिन सूचना के हो सकता है और उसकी आज्ञा मांग रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय सदस्य, सीतापुर का बड़ा आभारी हूं। बड़ी कृपा उनकी मेरे ऊपर है। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का आदर करते हैं। मैं उनका आभारी हूं। मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि मैंने नियम १०३ के अन्तर्गत लिखित सूचना भेजी है। नियम के अनुसार भेजी है। और मैंने केवल यह सूचना दी है कि अलीगढ़ के वाद-विवाद के बाद पर्याप्त समय दे रहा हूं, नियम १०६ के अन्तर्गत अध्यक्ष से ग्राह्यता के बारे में मुझे सुन ले। इसलिए मैंने कोई नियम के विपरीत कार्यवाही नहीं की है। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रस्ताव का आप समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो सूचना मुझे दी है मुझे १२ बजकर १० मिनट पर प्राप्त हुई है। नियम १०३ में उनको सूचना देने का अधिकार है और वह सूचना सचिव को दे दी गयी है बिल्कुल सही है और सूचना नियमानुसार है। जहां तक ग्राह्यता का सवाल है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

बाद में ले लीजिएगा, अलीगढ़ के बाद।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक ग्राह्यता का सवाल है मैं इस पर विचार कर रहा हूं लेकिन प्रश्न यह है कि अगर मैं इसे ग्राह्य करार दूं तो नियम १०८ के अनुसार इसके लिए समय मुझे निश्चित करना पड़ेगा और समय निश्चित होता है, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियम ११० में आपको यह अधिकार है कि जब मैं इसको ग्राह्यता पर निर्णय दे दूं तब आप यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि उस नियम का निलम्बन करके आज इस प्रस्ताव को ले लिया जाय और सदन स्वीकृति दे देगा तो चर्चा कर सकते हैं। तो वाद-विवाद शुरू हो जाय मैं आपको एक घंटे या अधिक के बाद आपको बतला दूंगा।

## नगर महापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन), नियमावली, १९७८†

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्वायत्त शासन अनुभाग-२ की अधि-सूचना संख्या ४७५०/९-२-४(२३)-डब्लू० टी०-६८-यू० पी० ए०-२/५०-रूल-१९६८ ए० एम० (२)-७७, दिनांक २९ जुलाई, १९७८ द्वारा प्रख्यापित नगर महापालिका, लखनऊ जल परिव्यय विनियमन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

†छापी नहीं गयी।

## उत्तर प्रदेश राज्य, भंडारागार निगम, लखनऊ का १८वां वार्षिक लेखा विवरण, १९७५-७६††

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ का १८ वां वार्षिक लेखा विवरण १९७५-७६ को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ की धारा-३१ की उपधारा (११) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आप यह देखें । सहकारिता मंत्री जी ने १९७५-७६ के लेखे का विवरण रखा है और यह १९७८-७९ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि और जो लेखे हैं उनके सम्बन्ध में हर साल यहां प्रतिवेदन आने चाहिए । लेखे तो कम से कम नहीं पिछड़ने चाहिए । क्या कारण है कि दो वर्ष के लेखे पिछड़े हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष

यह सही है और वर्षों के जो लेखे हैं, वह भी सदन के पटल पर आने चाहिए । यह जो उनका प्रश्न है वह यह है कि १९७५-७६, १९७६-७७ तथा १९७७-७८ में २-३ सालों का लेखा सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा जा रहा है ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मान्यवर, वह भी रख दिया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, सवाल आश्वासन का नहीं । हमारा यह अधिकार है कि हम उसको जान सकें कि व्यापार में कितना नुकसान हुआ है, कितना घाटा हो रहा है । लेकिन तीन वर्ष पहले की सूचना हमारे और आपके संज्ञान में लायी जा रही है । उसके बाद की नहीं । अब ३ वर्षों में क्या घाटा, क्या नुकसान हुआ क्या कार्यक्रम है, यह हमें मालूम नहीं है । दिया जायेगा, इससे क्या होता है ? हम केवल एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्रतिवर्ष जो लेखा-जोखा निगम का है, वह आना चाहिए क्योंकि उससे सरकार के व्यय और कर का सम्बन्ध है ।

श्री अध्यक्ष---

यह जो श्यामधर जी ने प्रश्न उपस्थित किया है, वह विधिवत है । यह १९७५-७६ का लेखा है । उसके बाद का १९७८ तक का लेखा, चूंकि आटोनामस संस्था है, आना चाहिए ताकि सदस्यों को जानकारी हो, तो इसके लिए माननीय मंत्री जी आदेश दे दें ।

---

††छापा नहीं गया ।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८†

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम अनुभाग (३) की अधिसूचना संख्या २३६५ (वि)/७६-३६-३-४ (वि)-७१-सी० ए०-३२-१९६६-रूल १९६६-ए० एम० (२)-१९७७, दिनांक ३१ जुलाई, १९७८ द्वारा प्रख्यापित बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ की बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, १९६६ की धारा ४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

कल मुझे सोहन वीर सिंह तोमर और डाक्टर राकेश ने दो विशेषाधिकार की सूचनाओं की नोटिस दी थी। वैसे नियमों के अनुसार एक दिन में केवल एक ही सूचना आ सकती है। श्री सोहन वीर सिंह की सूचना सिंचाई मंत्री जी के विरुद्ध और डाक्टर राकेश की सूचना मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध है। तो नियम के अनुसार यह है कि अगर कोई सदन का सदस्य हो तो उसको सूचना देना आवश्यक है। इसलिए इसको माननीय सिंचाई मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को भेजा है। उनका उत्तर प्राप्त करने के बाद निर्णय करेंगे। अगर आवश्यकता हुयी तो प्रश्न-कर्त्ताओं को भी मौका देंगे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैंने भी विशेषाधिकार के विषय में दिया था?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मैंने बतला दिया कि एक दिन में एक सूचना उठाई जा सकती है। अब उसको २६ को देखेंगे।

प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य रोक दिए जाने के फलस्वरूप सिंचाई कार्य अवरुद्ध हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, सभी लोकहित के प्रयोजनों के लिए सामान्यतया भूमि भूमि अध्यापित अधिनियम के अन्तर्गत ली जाती है। इसका कभी-कभी यह परिणाम होता है कि कुछ खातेदारों की पूरी की पूरी भूमि अध्याप्त कर ली जाती है और वे अपनी जीविका के साधनों से वंचित हो जाते हैं। अतः जनता द्वारा यह मांग समय-समय पर की जाती रही है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि बड़ी परियोजनाओं के लिए अध्याप्त की जाने वाली भूमि का प्रभाव में सीमित संख्या में कुछ खातेदारों पर न पड़कर पूरे प्रान्त पर पड़े। इस समस्या का आंशिक हल चकबन्दी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए की जाने वाली कटौती की सीमा को ७ प्रतिशत तक बढ़ाकर निकाला गया था, पर इससे लाभ केवल ऐसे ग्रामों को ही पहुंचता था जो चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत थे या निकट भविष्य में चकबन्दी के अन्तर्गत आने वाले थे पर उन ग्रामों के, जहां चकबन्दी समाप्त हो चुकी थी, भूमि अर्जन से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को कोई राहत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत देना सम्भव नहीं पाया गया।

†छापी नहीं गई।

१९७७ में इस बात की जोरदार मांग की गई कि ऐसे ग्रामों में कि जहां चकबन्दी समाप्त हो चुकी है, कुछ ऐसा हल निकाला जाय कि भूमि अध्याप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को विशेषकर छोटे खातेदारों को भूमि के बदले भूमि दी जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए १० अगस्त, १९७७ को एक शासनादेश जारी करके यह व्यवस्था की गई कि जिन ग्रामों में चकबन्दी समाप्त हो चुकी है, उनमें ऐसे खातेदारों को, जिनके पास ६ १/४ एकड़ या उससे कम भूमि अध्याप्ति के पूर्व हो या जिनका भूमि का क्षेत्रफल भूमि अध्याप्ति के फलस्वरूप ३ १/८ एकड़ से कम हो जाता हो, नकद प्रतिकर के स्थान पर भूमि पाने का पात्र मान लिया जाय और उसको इस सीमा तक भूमि दी जाय जो उनके बचे हुए क्षेत्रफल को मिलाकर ३ १/८ एकड़ हो जाए। इस प्रयोजन के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो, यह परियोजना के वास्तविक उपयोग में आने वाली भूमि में जोड़कर पूरा क्षेत्रफल भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अध्याप्त किया जाय। इस शासनादेश के अन्तर्गत यह भी अवश्यक कर दिया गया कि इस प्रकार पुनर्वास के लिए जो भूमि अध्याप्त की जाय वह ऐसे खातेदारों की ही भूमि हो जो ऐसी सीमा के अन्दर न आते हों जिनके लिए भूमि के बदले भूमि देने की आवश्यकता अनुभव की जाय।

इस शासनादेश के कार्यान्वयन में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई और यह कहा गया कि इस शासनादेश से कोई विशेष लाभ भूमि अध्याप्ति से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है।

१० अगस्त, १९७७ के शासनादेश के जारी होने के बाद भी न तो सिंचाई विभाग को ही इससे संतोष हुआ और न सम्बन्धित व्यक्तियों को ही कोई लाभ पहुंचा। अतः समस्या का हल खोजने का प्रयास नए सिरे से फिर किया गया जिसका मुख्य उद्देश यह था कि जहां जोतों को संगठित किया जा चुका है वहां ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए कि किसी की पूरी जोत परियोजना के लिए आवश्यक भूमि के अन्तर्गत आ जाय और वह इसके परिणामस्वरूप अपनी जीविका के साधन को खो दे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिन क्षेत्रों में चकबन्दी प्रारम्भिक स्टेज में है, वहां कटौती की सीमा बढ़ाकर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है, पर जहां चकबन्दी हो चुकी है अथवा जहां चकों का पुष्टीकरण हो चुका है, वहां ऐसा नहीं किया जा सकता है और ऐसे क्षेत्रों के लिए कुछ कानूनी व्यवस्था आवश्यक समझी गई। प्रारम्भ में यह सोचा गया कि जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया जा सकता है, पर उसमें भी अधिक कठिनाई अनुभव की गई, क्योंकि चकबन्दी अधिनियम का उद्देश्य जोतों का संहित करना था न कि भूमि का अध्याप्त करना। अन्ततोगत्वा शासन ने सिद्धान्त रूप से इसे स्वीकार कर लिया कि चकबन्दी किए हुए क्षेत्रों में यदि किसी बड़ी परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता हो तो उसकी अध्याप्ति की ऐसी प्रक्रिया निश्चित की जाय कि उसका प्रभाव गांव के सभी खातेदारों पर पड़े और यह सम्भावना न रहे कि किसी खातेदार की पूरी की पूरी भूमि अथवा अधिकांश भूमि परियोजना के अन्तर्गत आ जाय। शासन को यह राय दी गई कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक नया कानून बनाना आवश्यक होगा। इस कानून की आवश्यकता को भी शासन ने स्वीकार कर लिया है और तत्सम्बन्धी विधेयक को तैयार करने का काम प्रगति पर है। जैसे ही विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया जायगा, उसे अधिनियमित कराने के लिए कार्यवाही की जायगी।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

जहां तक प्रदेश में नहरों का निर्माण कार्य ठप होने का प्रश्न है, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि वर्तमान भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत भूमि की अध्याप्ति का कार्य चल रहा है, यथा चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत जहां चकबन्दी अभी प्रारम्भिक स्टेज में है, वहां नहरों के लिए भूमि चकबन्दी के दौरान कटौती करके दी भी जा रही है ।

एक सदस्य---

माननीय, एक स्पष्टीकरण चाहिए ....

श्री अध्यक्ष---

देखिए, यह वक्तव्य है । इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा ।

श्री ऊदल (जिला बाराणसी)---

अधिनियम बना दिया, विधेयक का रूप हो नहीं सका । जो नई नहरें निकाली जा रही हैं, जैसा मैंने जिक्र किया था । मड़ियाहूं से चिरईगांव और जौनपुर तक चकबन्दी हो गई है लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं है । जबरदस्ती फसल काटी जा रही है । जो नहरें निकाली जा रही हैं इसके सम्बन्ध में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि माननीय मंत्री जी के विभाग से तो यह काम हो ही नहीं रहा है, यह काम तो सिंचाई विभाग से हो रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इसका कोई मतलब नहीं है और सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग के काम से संतुष्ट भी नहीं है । सिंचाई विभाग को यह देखना चाहिए कि किस तरह का सन्तुलन रखा जाय, कैसे किसान संतुष्ट हो। यह बहुत व्यापक सवाल है । इसका उत्तर आना चाहिए । उदाहरण के लिए एक नहर निकाली जा रही है १२० फुट चौड़ी । दोनों तरफ मिट्ठी डालने के लिए न जाने कितनी जमीन चली जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

कल आपने निश्चय किया था अलीगढ़ पर आज भी बहस की जाय और वैसे भी नियम ५१ में साधारणतया १५-२० मिनट स्पष्टीकरण हो सकता है । चूंकि यह मामला अत्यन्त महत्व का है तो १५ मिनट में इसको समाप्त करना होगा ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां चकबन्दी हो गयी है वहां पर नहर निकालने के लिए जमीन लेने के सम्बन्ध में ऐक्ट बनाने जा रहे हैं तो क्या यह ऐक्ट १५ दिन के अन्दर लागू हो जावेगा और ऐक्ट आने के पहले जो बहुत से किसान भूमिहीन हो गए है उन किसानों की जमीन के सम्बन्ध में भी सरकार इस ऐक्ट को लागू करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

मैं नहीं कह सकता कि १५ दिन के अन्दर यह ऐक्ट लागू कर दिया जायगा क्योंकि कुछ तो विधिक कठिनाइयां सामने आती है । लेकिन यह आश्वासन जरूर देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इस विधेयक को इस विधान सभा के सामने लाएं । जहां तक दूसरा प्रश्न है पिछली भूमि जो अध्याप्त कर ली गयी है परियोजनाओं के लिए इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । जो कार्य पूरे हो गए उन सब पर यह ऐक्ट लागू नहीं किया जा सकता ।

श्री ऊदल--

मड़ियाहूं, जौनपुर का जिक्र अभी किया गया । दूसरे, वाराणसी में शारदा सहायक कैनाल १२० फुट चौड़ी खोदी जा रही है। तीसरे, ज्ञानपुर जिला वाराणसी में ज्ञानपुर पम्प कैनाल खोदा जा रही है । जौनपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर तथा इलाहाबाद में चकबंदी हो चुकी है लेकिन जमीन के एक्वीजीशन का काम नहीं किया गया उसके बावजूद भी सिचाई विभाग जबरदस्ती नहर खुदवा रहा है तो क्या इसकी जांच कराई जायगी और सिचाई विभाग को इस बात से रोका जायगा जब तक जमीन एक्वायर न हो जाय तब तक नहर का काम बन्द कर दिया जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

किसी की जमीन जबरदस्ती हथिया ली जाय यह शासन की नीति नहीं है । लेकिन आपने जिन विशेष स्थानों की सूचना दी है उसके बारे में मुझे सूचना नहीं है, लिहाजा इसके बारे में जांच करा ली जायगी ।

श्री बिक्रमा राय (जिला आजमगढ)--

जहां अभी नहर की खुदाई का काम नहीं हुआ है क्या शासन सदन को यह आश्वासन देगा कि जब तक यह ऐक्ट पास नहीं हो जाता है तब तक वहां खुदाई का काम नहीं कराया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

साधारण नियम है कि अधिग्रहण करने का काम जारी रहेगा लेकिन यथाशीघ्र हम इस विधेयक को लाने की कोशिश करेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरी आपत्ति है, खुदाई का काम नहर विभाग का है यह राजस्व मंत्री जी उत्तर कैसे दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

आप जबरदस्ती उत्तर दिलवाना चाहते हैं वह नहीं मिलेगा ।

श्री रामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को इस वक्तव्य के लिए धन्यवाद देता हूं, मैं संतुष्ट हूं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अपने जिलाधिकारियों के द्वारा जो माल विभाग के हैं और जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निकलवा दें और तहसीलों में लटका दें कि सरकार का निश्चित मत है कि जो जमीन ली जा रही है उसके बदले में कटौती की जायगी और अगर कटौती नहीं की जायेगी इसके बदले कटघाट में जमीन दी जायेगी । इस संबंध में यदि राज्य

[श्री श्यामधर मिश्र--]

सरकार द्वारा वहां से ही प्रेस विज्ञप्ति चली जाय और जिलों में और तहसीलों में आज्ञा चली जाय। तो काम भी होता रहेगा और आपके विधेयक बनने में एक महीने बाद या दो महीने बाद जब भी हो, इसमें किसान सहयोग करेंगे। - तो इसके लिए क्या राज्य सरकार तैयार है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, प्रश्न यह किया गया था कि सामूहिक कटौती करने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि नहरों का काम ठप पड़ रहा है इसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि किस प्रकार भूमि नहरों के लिए प्राप्त की जाय जिसकी व्यवस्था मैंने बताई। सरकार छोटे किसानों की सभी भूमि हड़पना नहीं चाहती है इसके लिए सभी की सामूहिक कटौती रखी है। यह बात कही जा रही है कि जबरदस्ती की जा रही है इसका मान्यवर, न इससे संबंध है और न कोई सूचना है। शासन की नीति कहीं ऐसी नहीं है। जिलाधिकारियों को पहले से ही निर्देश है नियमानुकूल ही ली जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से नहरें बनाई जा रही हैं उसी प्रकार गांवों में सड़कें बनाई जा रही हैं जहां रूप चकबन्दी समाप्त हो चुकी है और जमीनें नहीं छोड़ी गई हैं और चकों से सड़कें बनाई जा रही हैं, उन पर भी यह नियम लागू करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह जो व्यवस्था की जा रही है यह बड़ी परियोजनाओं के लिए की जा रही है। जहां तक चक मार्गों का सवाल है जो ५२ से ६९ तक काम हुआ उसमें कहीं इसकी व्यवस्था नहीं की गई। हमने इस बात को कहा है और सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है कि जहां पर प्रारंभिक चकबन्दी हुई है और गलत हुई है, वहां दुबारा चकबन्दी करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जिले के बीजापुर गांव--तहसील अकबरपुर में दो साल पहले नहर बनी और उसमें जो जमीन ली गई उसमें मकान नहर में पड़ गये उन किसानों को अब तक रहने के लिए जमीन नहीं दी गई। मैं वहां के तहसीलदार को दो वर्ष से लगातार लिख रहा हूं लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपने सूचना दे दी, माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय, कुमार गंज और अवध विश्वविद्यालय तथा शारदा सहायक नहर के लिए जो जमीन एक्वायर की गई उसका बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, काश्तकार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस मुआवजा को धनराशि को रोककर आप इस विधेयक के द्वारा आश्वस्त करेंगे कि इसके अनुसार उनको जमीन अब मुआवजे में मिल जायेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जहां तक विश्वविद्यालय हेतु अध्यापित भूमि का सवाल है, कुछ भ्रम हो रहा है। नहर इत्यादि जब निर्माण की जाती हैं, उसकी सीध में लकीर खींची जाती है, उनमें नहर निर्माण में विवशतावश छोटे काश्तकारों की भी जमीन ले ली जाती है। लेकिन विश्वविद्यालय के बारे में कोई ऐसी कठिनाई नहीं है कि छोट काश्तकार की ही जमीन ले लें। उसमें तो हमारे सामने विकल्प रहता है। जो आपने कहा है कि पिछली रकम की जगह पर जमीन दे दी जाय, तो भविष्य के लिए तो हम यह निश्चित कर सकते हैं, किन्तु पिछली बार जिसको रुपया मिला जमीन मिली, इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री राम अधार--

हमारे आजमगढ़ के अन्दर शारदा सहायक नहर जो देवरिया में है, वह काटी जा रही है। मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री आजमगढ़ गये थे, वहां उनसे मांग की गयी थी कि जब तक दुबारा कानून न बने उसे न काटा जाय। उसके कारण आज वहां हालत यह है कि किसी भी समय झगड़ा हो सकता है। ओवरसियर और इंजीनियर कमीशन लेने के लिए इतने उतावले हैं कि काश्तकारों को तुरन्त फसल काटने के लिए विवश कर रहे हैं....(व्यवधान) मैं निवेदन करूंगा कि जब तक नया ऐक्ट न बन जाय, इसे स्थगित कर दिया जाय, नहीं तो आज हम हाउस में कह देना चाहते हैं ...(व्यवधान) आप आश्वासन दें कि जब तक फसल नहीं कटेगी, देवरिया नहर नहीं बनेगी। नहीं तो वहां लाठी-गोली चलने वाली है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे गोरखपुर के सिरसवा निर्वाचन क्षेत्र में चकबन्दी स्कीम लागू है, स्टाफ मौजूद है, धारा ५२ का प्रकाशन भी नहीं हुआ है, अतः वहां पर क्या आप चकबन्दी कराकर नहर निकाले जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जहां चकबन्दी की प्रक्रिया हो रही है, चक कट भी गये हैं, तो उसके लिए आदेश दे दिये गये हैं कि वहां पर उस भूमि को बढ़ाकर काश्तकारों के चक में से निकाल कर ले ली जाय, किन्तु जहां चक कट गये हैं और धारा ५२ का प्रकाशन हो गया है, उसके लिए यह नया विधेयक हम ला रहे हैं।

श्री राम अधार--

मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल का जवाब आना चाहिये। हम पर वह कृपा करें कि जब तक नया ऐक्ट लागू नहीं होगा, वहां पर नहर की खुदाई का कार्य नहीं होगा ?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

(व्यवधान)

वहां पम्प कैनाल जा रही है, साढ़े तीन सौ नलकूप वहां हंडिया तहसील में मौजूद हैं। तो मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ज्ञानपुर

[श्री अठई राम]

पम्प कैनाल जा रही है, उसे बन्द करके केवल एक नहर ले जा कर उस क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं। दोनों नहरों में और साढ़े तीन सौ ट्यूबवेल हैं, जमीन भी बरबाद होगी, जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका राजस्व मंत्री कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री अठई राम—

दो नहरें निकाल कर जमीन बरबाद न की जाय।

(शोर)

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हम को इजाजत दीजिये।

श्री अठई राम—

मैं दो नहरों का सख्त विरोध करता हूं।

श्री भाभी—

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं एक साफ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसे आजमगढ़ जिले में जिन गांवों में धारा ५२ का प्रकाशन हो गया है, चकबन्दी पूर्ण हो गई है, नहर भी खोदी नहीं गयी हैं, लोगों ने मुआविजा नहीं लिया है, क्या जो विधेयक बनाने जा रहे हैं उसके अन्तर्गत जहां पर नहरें खोदी नहीं गयी हैं, जहां पर लोगों ने मुआविजा नहीं लिया है, सिंचाई विभाग के ठेकेदार नहरों की जबरदस्ती खुदाई करते है, जो नहरें अब तक बनी हैं उनको मैं नहीं कहता हूं, जहां पर अब तक जमीन का मुआविजा नहीं लिये हैं, नहरें खोदी नहीं गयी हैं लेकिन धारा ५२ का प्रकाशन हो गया है, चकबन्दी से गांव बाहर हो गया है उन जगहों की जो विधेयक बनाने जा रहे हैं जिलाधीश से रिपोर्ट मंगा कर, उस विधेयक के अन्तर्गत शामिल किया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। जब कोई नहर बनती है तो नहर कहां निकाली जायेगी नाप-जोख शुरू हो जाती है तो काश्तकारों में बेचैनी पैदा हो जाती है। एक वातावरण पैदा किया जाता है। कितनी भूमि में नहर बनेगी, कितनें एकड़ भूमि अध्याप्त करनी है तो सब जगहों पर सामूहिक कटौती सम्भव नहीं है। जहां नहरें नहीं खुदी हैं, जहां पर धारा ५२ का प्रकाशन हो गया है, वहां पर भूमि की आवश्यकता है वहां सब की सामूहिक कटौती से भूमि दी जायगी, किसी एक आदमी की छोटे काश्तकार की भूमि नहीं ली जायेगी। इस विधेयक को लाने की शीघ्रता कर रहे हैं। एक-दो महीने में हम यह कर देंगे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह जो सारी समस्याएं पैदा हुई, इनका मूलभूत कारण सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग दोनों में तालमेल न होना है। जहां-जहां पर उनकी नहरें या ड्रेन प्रस्तावित होती हैं वहां सिंचाई

विभाग को राजस्व विभाग के अधिकारियों और चकबन्दी अधिकारियों से सम्पर्क करना चाहिये । लेकिन वह नहीं होता । मेरे पास उदाहरण है, सिकटा बदल पट्टी ड्रेन, सरपतही ड्रेन, दुबौली ड्रेन, दलहा ड्रेन, करहिया हजारी पट्टी ड्रेन, पिपरा तिवारी बतरडेरा ड्रेन, नादह पटेल मंगलपुर ड्रेन ।

श्री अध्यक्ष--

आप इतनी तफसील में क्यों जा रहे हैं ? यह तो एक सिद्धांत का सवाल है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

रेवेन्यू विभाग को प्रस्ताव नहीं मिलता है । दोनों विभागों में तालमेल न होने की वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं ।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री ऊदल--

माननीय मुख्य मन्त्री जी दो चीजें समझ लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप पहले उत्तर सुन लें ।

श्री ऊदल--

माननीय राजस्व मंत्री ने जो बयान दिया है वह ठीक है अपनी जगह पर उस पर कोई आपत्ति नहीं है । सिंचाई विभाग जबरदस्ती बिना लैंड एक्वीजीशन के खुदवा रहा है । सिंचाई विभाग के मंत्री से उत्तर दिलवायें ।

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों में किसानों के प्रति जो चिन्ता है और उन्होंने जो प्रश्न उठाये हैं वह बहुत आवश्यक है । इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने पहले से ही इस ओर कदम उठाने का प्रयास भी किया है । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी एक व्यक्ति का नुकसान न होने पाये बल्कि सार्वजनिक कटौती से जमीन लेकर उसका निर्माण किया जाय । इतना अवश्य है कि जो कानून में परिवर्तन करना था उसकी सभी प्रक्रियाएं पूरी होने जा रही हैं । जैसा राम अधार जी ने कहा कि इस मामले को लेकर सदन में और बाहर भी वह प्रश्न उठायेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस बात से चिन्तित हैं उसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए कानून बनाने का निश्चय किया है । बन भी गया है । कुछ थोड़ा सा उसका परीक्षण हो रहा है । शीघ्र ही कार्य रूप में वह बाहर भी आयेगा । इस बीच में जहां तक नहर की खुदाई का प्रश्न है तो वह जब सार्वजनिक कटौती से बनने वाली है तो खुदाई का काम रोकने से कोई लाभ होने वाला नहीं है । आपकी जो मंशा है कि किसी एक व्यक्ति का नुकसान न हो तो वह नहीं होगा ।

श्री राम अधार--

यह कोरा वायदा है ?

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र--

अगर अध्यादेश की जरूरत है तो इसमें है ।

श्री रामनरेश यादव-

मैंने बतलाया कि कुछ परीक्षण हो रहा है । लेकिन इसकी तरफ सरकार का ध्यान है ।

श्री रामअधार--

मैं माननीय मख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डेढ़ साल हुआ, एक आदेश हुआ लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ । मान्यवर, नहर खुद जायगी । किसान की जमीन चली जायगी और वह भूखों मरेगा । एक महीने के अन्दर आप ऐक्ट लागू करें और तब तक नहर की खुदाई का काम रुकवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

शासन के सामने आपकी जो कठिनाइयां हैं और जो आपके सुझाव हैं वह आ चुके हैं ।

श्री रामअधार--

किसान भूखों मरेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव--

इस सम्बन्ध में सदस्यों को बहुत चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । हम जल्दी से इस प्रक्रिया को लागू करेंगे ।

श्री विक्रमा राय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं । नहर विभाग की कितनी नहरें हमारे जिले में खुदी हुई हैं । आठ साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा । अगर यह आदेश हो जायेगा कि सार्वजनिक कटौती होगी तो किसान की भूमि बेकार पड़ी रहेगी । या तो एक तरफ से नहर खुदवायें वरना जब तक आपका विधेयक नहीं आ जाता तब तक रुकवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं कि आपने अपनी बात कह दी और मंत्री जी ने आपकी बात को सुन लिया । आप अपनी बात को समाप्त करें । इस पर विवाद नहीं होगा । अब आप बैठिये ।

श्री राम अधार--

मेरे बैठने का सवाल नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि यह वादा करें कि एक महीने में ऐक्ट लागू होगा । ऐसे हम नहीं बैठेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठ जाइये । मैं इसमें अब इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष--

आपका यह तरीका गलत है । इसके माने है कि एक रिवाल्वर लेकर उत्तर चाहते हैं । मैं नहीं अनुमति देता हूं । अब आप बैठ जाइये ।

श्री ऊदल--

बिना मुआवजा दिए क्या सरकार जबरदस्ती काम करेगी ?

श्री राम अधार--

हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं । एक महीने में या दो महीने में ऐक्ट लागू करेंगे ? यह बतायें । हमारे यहां पर झगड़ा हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं मंत्री जी को बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

श्री राम नरेश यादव--

मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रश्न को लेकर माननीय सदस्य चिन्तित हैं उससे सरकार भी चिन्तित है । माननीय सदस्य दो महीने की बात कह रहे हैं हो सकता है कि इसके पहले ही लागू कर दिया जाये । जब सम्मिलित कटौती की व्यवस्था की गयी है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी और मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे इसमें सहयोग दें ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मैं नहीं बैठूंगा । मैं चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन स्थगित करता हूं । यह तरीका ठीक नहीं है । मुख्य मंत्री जी आप के ही दल के सदस्य ऐसा कर रहे हैं । (श्री राम अधार से) आप बैठिये ।

(श्री राम अधार के खड़े रहने पर)

अब मैं सदन १५ मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय १ बज कर ४२ मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुयी तथा १ बजकर ५७ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुई)।

## सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए नेताओं एवं सदस्यों के सहयोग की श्री अध्यक्ष द्वारा अपील

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही तभी चल सकती है जब कि माननीय सदस्यों का सहयोग हो । प्रक्रिया नियमावली में प्रश्न पूछने का और विवाद करने का प्राविधान है, मगर उसके लिए एक समय होता है । मैंने राजस्व मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा ।

[श्री अध्यक्ष]--

उसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई स्पष्टीकरण आदि मांगा जाये। पर मैंने विषय की गम्भीरता को देखते हुये स्वयं प्रश्न पूछने की इजाजत दे दी और १५-२० मिनट का समय दिया। फिर एक-दो माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने लगे। यह न केवल सदन का अवमान है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली को हास्यास्पद बनाना है और यह अत्यन्त अनुचित है। इस ओर मैं माननीय नता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह बहुत ही अनुचित और आपत्तिजनक है कि सत्ता पक्ष के लोग, साधारण शिष्टाचार और लोकतंत्र की मान्यताओं का ध्यान में रख कर, इस सदन की गरिमा को गिराने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया नियमों का पालन करायें। जिन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए मैं बुलाऊं, वे ही बोलें। इस समय दो बजे हैं। जहां आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, मंत्री को उत्तर देने का अधिकार है, लेकिन मैं कैसे किसी मंत्री के मुख में यह रख सकता हूं कि वे वहीं उत्तर दें जिसे आप चाहते हैं ? अगर आप समझते हैं कि उत्तर सतोषजनक नहीं है, अगर आप समझते हैं कि मंत्री संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आपको अधिकार है आप उन्हें हटाइये। आप दूसरी सरकार बनाइये। लेकिन यहां पर नियमों का उल्लंघन करके, इस तरह का प्रदर्शन करना उचित नहीं कहा जा सकता। यह सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी यहां की विधान सभा है, संसार के जितने देश हैं छोटे-छोटे उसके आकार का सातवां या आठवां यह है। यहां प्रेस वाले भी बैठते हैं। जनता भी दीर्घाओं में बैठती है। अगर आप ही यहां पर हिंसा का वातावरण पैदा करेंगे तो बाहर क्या होगा ? हिंसा केवल खून बहाने से ही नहीं होती, हिंसा विचारों से भी होती है। मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इसी तरह की चीजों से जर्मनी आदि कई देशों में लोकतंत्र समाप्त हुआ और अधिनायकवाद कायम हुआ।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवाय (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, हिन्दुस्तान में इंदिरा गांधी ने...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं बोल रहा हूं। आप बैठिये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है मालवीय जी, कि इतना संयम तो कम से कम आपको रखना चाहिए जैसा कि नियमों में लिखा है कि जब अध्यक्ष खड़े हों, मेरी बात नहीं है, अध्यक्ष विधान सभा का सवाल है, उसको मौन होकर सुनना चाहिए और यह आरोप और प्रत्यारोप करने का अवसर तो बहुत मिलेगा। यह चीज मुख्य मंत्री जी से जाकर कह सकते हैं या जब कोई बात समाप्त हो, उसके बाद उठाइये। मुझे १५ मिनट तक सदन स्थगित करना पड़ा। मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था कि मुख्य मंत्री जी को अवसर देता। माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दल के उन सदस्यों से इस बीच बात करके उनको मनवा सकते थे कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलनी चाहिए।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, जो आप चाहते हैं वही होना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, आपने जो यह बात कह दी कि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, जब सदन छोड़कर चला जाना पड़ा। मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य यहां पर कोई झगड़ा करे, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको सदन से बाहर करवा दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह कहा कि मेरे सामने कोई विकल्प नहीं था कि मुख्य मंत्री जी को अवसर देता।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, इधर का कोई अगर सदस्य होता है, तो आप उसको निकाल देते।

श्री अध्यक्ष--

आप फिर वही तरीका अख्तियार कर रहे हैं। आप बैठ जाइये। आप बैठिये, अपनी जगह पर। आप बैठिये।

(श्री गुलाब सेहरा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है...

श्री अध्यक्ष--

मैंने गुलाब सेहरा जी को बुलाया है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अध्यक्ष जी, मैं देखता हूं कि इस सत्र में यह सदन तीन बार स्थगित हुआ है, विशेषकर सत्ता पक्ष के लोगों ने इस तरह का व्यवधान पैदा किया कि आपको सदन स्थगित करना पड़ा। अभी आपने कहा कि क्या कर सकते थे, सिवा सदन को स्थगित करने के, अगर हम इस सदन में कोई भी व्यवधान करेंगे, तो अध्यक्ष जी सदन को स्थगित करके चले जायेंगे, यह भावना हमारे अन्दर पैदा होगी। मैं सोचता हूं कि यह भावना कहीं घर न कर जाय कि व्यवधान करने पर कोई कार्यवाही न की जायगी, बल्कि सदन स्थगित हो जायगा। तो मान्यवर, इस पर आप पुनः विचार करके इधर के लोगों ने जो व्यवधान पैदा किया, उन्हें सख्ती के साथ निकलवाने का प्रयास करें। इस सदन की गरिमा बनाने के लिए कम से कम जो भी पिछली परम्परायें चली आई हैं, जिसमें आपकी शक्ति का भी लोगों को पता लगे, उस बात को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यवर ऐसी भावना घर कर रही है कि ऐसे वातावरण में सदन को स्थगित करके चला जाना पड़ा।

श्री ऊदल (जिला वाराणासी)--

जैसा रियासत हुसैन साहब ने कहा, उससे मैं सहमत हूं। आपने कह दिया कि हमारे पास सदन स्थगित करने के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं था। आज माननीय राम अधार राय जी अकेले खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं बैठेंगे। कल नियम 51 में वक्तव्य का अवसर था। सभी लोग बैठे हुये थे। शांतिपूर्वक सुनना

[श्री ऊदल]

चाहते थे किन्तु सत्ता पक्ष के ५-६ माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के ही माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे थे । उसको आप रोकने में असफल रहे और अन्त में आपने क्या किया ? आप सदन की कार्यवाही को स्थगित कर चले गये । अगर यही एक रास्ता रहेगा तो मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन का काम चल नहीं सकता है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सन् ५९ में शायद आप थे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं था ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, नगर महापालिका विधेयक उस समय पेश हुआ था, मैं तथ्यों की याद दिला रहा हूं । नगर महापालिका ऐक्ट पेश हुआ था, लोग सुनने को तैयार नहीं थे । लेकिन माननीय अध्यक्ष ने सबको निकाल कर बाहर किया, करीब १०० लोग थे और सदन की कार्यवाही एकतरफा चली । तो अध्यक्ष को पूरा अधिकार है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

यह तानाशाही है ।

श्री ऊदल--

तानाशाही नहीं थी । अध्यक्ष को अधिकार है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आपके अधिकारों का प्रयोग जब तक नहीं होगा इस सदन की गरिमा कायम नहीं रह सकती है । अगर आप अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो नतीजा यह होगा कि इसकी गरिमा कायम रहेगी, इस कुर्सी की गरिमा कायम रहेगी, श्रीमन्, आपकी गरिमा रहेगी और सदन शांति से चल सकेगा । इसलिए मेरा कहना है कि आपको कभी-कभी अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा । मैं तो कहता हूं कि अगर इतना हम करते तो आप निकाल देते । मुझे दुःख है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और सदन की गरिमा को कायम रखें और माननीय सदन को शांतिपूर्वक चलायें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इन नियमों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ५१ (३) में है । ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें, तो सूचनांकित विषय सम्बन्धी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे । मान्यवर, और यह जो पुस्तिका विशेषाधिकार आदि के सम्बन्ध में मिली है जिसमें पृष्ठ ५ पर (१२) में लिखा है "मंत्रिगण को प्रश्नों के सम्बन्ध में पूर्णतः तैयार होकर ही सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का समुचित एवं संतोषजनक उत्तर देना चाहिए ।"

तो मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यदि कोई सदस्य यह समझे कि माननीय मंत्री जो उत्तर दे रहें हैं वह संतोषजनक नहीं है तो मान्यवर, शायद आपकी सहायता लेने के अलावा वह क्या कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपने जो प्रश्न उठाया वह ठीक है । पहली बात यह प्रश्न नियम ५१ में नहीं है । यह था काम रोको का, मैंने उसको अग्राह्य किया लेकिन वक्तव्य के लिए अनुमति दी । उस पर नियमानुसार स्पष्टीकरण नहीं हो सकता लेकिन नियम ३१३ का प्रयोग करते हुए मैंने स्पष्टीकरण का अवसर दिया । मेरा कहना यह है कि किसी मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता कि क्या वह उत्तर देना चाहते हैं । यदि उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है तो उस पर संकल्प द्वारा विवाद हो सकता है । लिहाजा कई बार मैं मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और आपकी भावनायें व्यक्त हो चुकी हैं, कि वह इस पर समुचित कार्यवाही करें और मुख्य मंत्री ने बार-बार आश्वस्त किया कि इस पर हम पूर्णतः ध्यान देंगे और किसी को कष्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी आश्वासन पूरा नहीं होता है । तो विरोध पक्ष की ओर से श्री रियासत हुसैन आश्वासन समिति के सभापति भी हैं, वह इसको देख सकते हैं । लेकिन आपने और श्री जयराम ने जैसा कहा उसमें मैंने आठ-दस बार इस पक्ष के सदस्यों को भी निष्कासित किया है । परसों ही निष्कसित किया था । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने मुझे सब अधिकार दिया है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि व्हिप का काम है और वह नहीं होता है तो मैं सदन को अवश्य स्थगित करूंगा क्योंकि नेताओं की तरफ से कोई प्रयास इस सम्बन्ध में नहीं होता है । सदन को चलाने की जिम्मेदारी सब की है, इसलिए उनका कर्त्तव्य है जो इस तरह के सदस्य हैं उनको समझायें । मैं जानता हूं कि किस तरह सदन चलता है और मैंने यहां संसदीय कार्य मंत्री तथा सदन में सचेतक होकर भी सदन को चलाया है । राज्य सभा में भी मैं अपने दल का नेता रहा हूं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई कम बात नहीं है सदन का स्थगित करना । यह आखिरी चीज है जिसको अध्यक्ष इस्तेमाल करते हैं । इस पर अब विवाद नहीं होगा ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

मेरी व्यवस्था हो गयी । इसलिए, अब कोई बात मैं इस पर नहीं सुनना चाहता हूं ।

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य स्थगन का प्रस्ताव श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री राम अधार, श्री रवीन्द्र सिंह, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री मोती लाल देहलवी और श्री मोती राम ने दिया है कि भारत-चीन सम्बन्धों एवं सीमा विवाद के बारे में ३० दिसम्बर, १९५९ को सदन में पारित प्रस्ताव एवं भारत के विदेश मंत्री की आगामी जनवरी में चीन यात्रा के सम्बन्ध में है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

आप बैठें, आप बैठें । मैंने इसको अस्वीकृत कर दिया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

अब जो बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा । यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है । इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मेरी बात सुन लें । आप खाम खा चिल्ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़ें, आप चले जायं । मार्शल श्री देहलवी को बाहर निकालें । इस तरह की बातें करना चेयर का अपमान करना है । (मार्शल श्री मोती लाल देहलवी को विधान सभा रक्षकों की सहायता से सदन के बाहर ले गये ।)

(श्री शतरुद्ध प्रकाश और रवीन्द्र सिंह के एक साथ बोलते रहने पर)

मैं आपको कोई आज्ञा नहीं दूंगा । मैं कहता हूं प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है, मैंने इस पर विचार कर लिया है । आप बैठ जाइये । मैं इस पर अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

(शोर)

(श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री रवीन्द्र सिंह बोलते रहे)

श्री रवीन्द्र सिंह और शतरुद्ध प्रकाश सदन छोड़ें । आप सदन छोड़िये । आप बैठ जाइये । यह तरीका नहीं है । (न बैठने पर) आप सदन छोड़िये । श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री रवीन्द्र सिंह को मार्शल बाहर निकालें . .

(शोर)

मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा । हरगिज आपकी बात नहीं सुनूंगा । आप बाहर निकलें ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह बड़ा महत्व का प्रश्न है. . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर नहीं सुनूंगा । मैंने इसे खारिज कर दिया है ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री रवीन्द्र सिंह के बोलते रहने पर)

कुछ सदस्य—

आप इनको इंगित करिये । इंगित क्यों नहीं करते ?

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

आपकी इनसल्ट है और नेता सदन खामोश बैठे हुए हैं ।

(शोर)

(श्री शतरुद्ध प्रकाश और श्री रवीन्द्र सिंह को विधान सभा रक्षकों की सहायता से मार्शल सदन से बाहर ले गये) ।

## सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष द्वारा चेतावनी

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है कि जो कुछ भी इस समय हुआ और जिस तरीके से आपके द्वारा दिए गये आदेशों और निर्देशों की अवहेलना की गयी है हम तो यह आशा करते थे कि इतना होने के बाद आप इंगित करते और हम, नेता सदन, कोई प्रस्ताव लाते तथा माननीय सदन की गरिमा बनाये रखते और सबके सहयोग से इस सदन की कार्यवाही ठीक से चल सकती। खेद के साथ इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि यह कार्यवाही नहीं हुई। इसका मुझ को दुःख है।

श्री अध्यक्ष--

यह आवश्यक नहीं है...

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह निश्चय कर लिया है कि सदन को ठीक से नहीं चलने देंगे। श्रीमन्, यह जरूरी नहीं है कि जो आप कहें उससे हम सहमत हों। कभी सहमत नहीं भी होते। फिर भी आप जो कुछ कहते हैं उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। आपके सम्बन्ध में कोई अमर्यादा की बात कही जाती है और ऐसी बात कही गयी है, चिल्ला-चिल्ला कर कही गयी है। नेता सदन बैठे थे। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके सम्बन्ध में आप उनको बुलाकर के, नेताओं को बुलाकर के समझा दें। कुछ व्यवस्था तो हो इसके सम्बन्ध में, क्या हो, कैसे हो, कैसे संसद चले, कैसे विधान सभा चले। अगर इसी तरह होता रहा तो कैसे हम लोग बोलेंगे? तो फिर इस प्रजातंत्र का, इस लोकतंत्र का होगा क्या ?

*श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इधर मैं यह परम्परा एक तरह से देख रहा हूं कि सत्तापक्ष के लोग बिना इजाजत के खड़े होकर बोला करते हैं और दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं देते। माननीय नेता सदन भी बैठे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं। मैं यह कहता हूं कि जो यहां पर अध्यक्ष महोदय के सम्बन्ध में बातें कही गयीं और अध्यक्ष महोदय इससे १० मिनट पहले अपनी पूरी व्यवस्था दे चुके तो फिर इस प्रकार की बात कहना बहुत ही अपमानजनक बात है। इस तरह से अगर रोजाना कार्य होगा तो कैसे होगा ? हमारे ऊपर जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग हमला करते हैं यह उचित नहीं है इसके पहले एक बार आप व्यवस्था दे चुके हैं, रोजाना इस तरह की व्यवस्था देंगे। तो यह लोग आइन्दा के लिए ऐसे चुकरते रहेंगे और व्यवस्था होती रहेगी। हमारा अनुरोध है माननीय नेता सदन से, इस मामले के अन्दर, जिस तरीके से गौरी शंकर जी ने माइक तोड़ा, इसके लिए जिस तरह से आम लोगों के विरुद्ध इनक्वायरी होती है उसी तरह से रूलिंग पार्टी के लोगों के लिए भी होना चाहिए। अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ जिस तरह का वातावरण बनता है कि अध्यक्ष बैठकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

जब नहीं कह सकता और कोई भी आदमी आजादी के साथ अपनी बात नहीं कह सकता है । आज आजादी से अध्यक्ष की रूलिंग नहीं पास हो सकती, अध्यक्ष नहीं बोल सकते तो मेरा निवेदन यह है कि जब हम दो शब्द ठीक से बोल नहीं सकते, तो इस प्रकार की व्यवस्था के लिये मुझे खेद है, आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अभूतपूर्व घटना है । सदस्य इस प्रकार से अध्यक्ष के साथ व्यवहार करें यह संसदीय परम्परा के बिल्कुल खिलाफ है । मेरा यह ख्याल है, मालूम यह होता है कि हमारे ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्य यह महसूस कर रहें है कि आज हमारा जो अपोजीशन है वह नहीं के बराबर है और आज अपने सदन में अपोजीशन है ही नहीं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय गनेशी लाल जी ने एक बात यह कही कि सत्तारूढ़ दल के लोग यह समझ रहे हैं कि अपोजीशन जो है, वह कमजोर है या न होने के बराबर है। मैं कहता हूं कि कमजोर हो या मजबूत हो लेकिन अपोजीशन का यह रोल नहीं है जो ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से प्ले किया जा रहा है । उन्होंने इस रोल को अपोजीशन के साथ कैसे जोड़ दिया । इसके ऊपर मुझे आपत्ति है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मैं यही तो कह रहा हूं कि यह एक अभूतपूर्व घटना है । ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से इस तरह का कोई वातावरण या इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि इस मसले पर, जो आदरणीय सदस्य इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं, उनसे अलग-अलग बातचीत करके उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए कि वे सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए आपको और सदन को सहयोग दें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अभी इससे पूर्व सदन स्थगित हुआ, आपने व्यवस्था दी और अभी जो कुछ सदन में हुआ, वाकई में दुःख का विषय है । मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है ऐसा मैं महसूस करता हूं कि नेता सदन यहां उपस्थित थे, संसदीय कार्य मंत्री उनको समझाने के लिए भी गए लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आपकी, अध्यक्ष पद की गरिमा के बिलकुल प्रतिकूल ऐसे शब्दों का उच्चारण किया तो कहीं मैं यह तो न महसूस करूं कि नेता सदन या सत्ता पक्ष के लोगों का कहीं इस कुर्सी से विश्वास तो नहीं उठ गया । क्योंकि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा वह इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं था । उस गरिमा को रखने के लिए हमारे दायित्व से ज्यादा नेता सदन का दायित्व है । नेता सदन और संसदीय कार्य मंत्री शांत रहेंगे और उनकी बात को न मानेंगे मैं ऐसा महसूस करता हूं । इस पक्ष की ओर से आपके ऊपर कुछ विश्वास सा नजर नहीं आता । इस सम्बन्ध में लिहाजा नेता सदन को कुछ प्रकाश डालना चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मुझे भी कुछ निवेदन करना है. . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस दल के सदस्य हैं । आप इस विषय पर क्या कहेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

सदन में कोई घटना घटती है तो प्रत्येक सदस्य पर आघात होता है और अपने पक्ष को वह व्यक्त करता है ।

आज जो इस सदन में हुआ वह अत्यन्त लज्जास्पद है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाला है । सत्ता पक्ष के लोगों न वह भूमिका निभाई है जो उनको नहीं निभानी चाहिए थी । यह बड़े अफसोस की बात है । एक प्रवृत्ति जो हमारे अन्दर काम कर रही है वह यह है जिसका समय-समय पर हम परिचय देते हैं कि किस प्रकार हम अपना प्रचार करें ।

घंट भिन्यात् घटं छिन्यात् कुर्याद् रासभ रोहणम् ।

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् ।

अर्थात् सस्ती लोकप्रियता के लिए घड़े फोड़ दे कपड़े फाड़ दे फिर भी ध्यान आकर्षित न हो तो गदहे पर चढ़ जाये । येन केन प्रकारेण प्रसिद्धि प्राप्त करें । इस तरह की प्रवृत्तियों पर हमको अंकुश लगाना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मुझे खेद है कि अध्यक्ष पद की गरिमा इस सदन के माननीय सदस्यों को अपने आचरण द्वारा रखना चाहिए वह नहीं हुआ । उस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा आज यहां जो कार्य हुआ उसे उनको नहीं करना चाहिए था । सबसे पहले गुलाब सेहरा जी ने जो सत्ता पक्ष के सदस्यों के दायित्व के सम्बन्ध में कहा उसका मैं विरोध करता हूं सत्ता पक्ष के सदस्यों का ही नहीं सम्पूर्ण सदन का आप पर विश्वास है । मैं स्वयं गया था और मैंने प्रयत्न किया था कि वह सम्बन्धित सदस्य चले जायं और आपकी आज्ञा का पालन करें । सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति और नेता सदन कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, न करना चाहिए क्योंकि संसदीय प्रणाली के अनुकूल यह आचरण नहीं था । जो आपकी आज्ञा हो उसका तो पालन होना ही चाहिए चाहे कितनी भी वह कटु हो या मन के खिलाफ हो, तभी सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सकती है और जो हमारा कर्त्तव्य है—कुर्सी की इज्जत करना, वह करना चाहिए । मैं यह भी उनसे कहने गया था कि माननीय अध्यक्ष ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई विचार प्रदर्शित नहीं किया है, आप अलग से बात कर लें । आम तौर पर माननीय अध्यक्ष के विचार से किसी सदस्य का विरोध हो तो वह आपके चेम्बर में बात कर सकता है और इसमें आप काफी सहलियत बरतते हैं और लोगों को काफी मौका देते हैं अपनी बात कहने का । इनमें ऐसे सदस्य भी थे जो पहली दफा नहीं आये हैं । उनको चाहिए था कि यहां की जो परम्परायें हैं उनका निर्वाह करते और जो नियम व कानून है उसका पालन करते । मैं विश्वास दिलाता हूं हमारे जो सदस्य हैं हम आपस में बातचीत करेंगे, दल में भी बातचीत करेंगे लेकिन यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर जो माननीय सदस्यों द्वारा आचरण हो रहा है उस पर विचार करके निश्चित् ही कोई

[श्री मधुकर दिघे--]

न कोई रास्ता निकाला जायगा । अगर आप इंगित करते तो माननीय नेता सदन आपकी आज्ञा के अनुसार प्रस्ताव रखते लेकिन यह उचित नहीं था कि हम बीच में खड़े होकर प्रस्ताव रखते । मान्यवर, हमने आज्ञा के पालन हेतु ही प्रयत्न किया और माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि बाहर चले जायें । लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूं ।

(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, आज सदन में जिस प्रकार की घटना घटी है, उसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है । सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है । विशेष रूप से जब सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस तरह की बात करते हैं तो उससे सदन के माननीय सदस्यों के मन में बड़ी ठेस पहुंचती है। तो मैं अपने सभी माननीय सदस्यों से--विशेष रूप से सत्ता पक्ष के सदस्यों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सदन की कार्यवाही चलाने में अपना योगदान दें । यह हम सबका कर्त्तव्य है और यह हम सबका गौरव है । इससे लोकतंत्र की मर्यादा बढ़ती है । उस लोकतंत्र की मर्यादा की आधारशिला इस सदन में दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हमलोग इस तरह का आचरण करते रहेंगे तो जनतंत्र के मूल्यों और परम्पराओं से लोगों का विश्वास हटता चला जायेगा । इसलिए आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का व्यवधान --चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों--नहीं होना चाहिए ताकि जो कार्य-सम्पादन होना है, वह समय पर सम्पन्न हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यधिक खेद है जो आज घटना हुई है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कुछ महीने पहले भी, यहां के कुछ वातावरण को देखकर लिखितरूप से माननीय मुख्य मंत्री जी से इजाजत चाही थी कि वह हमको इस पद से मुक्त होने दें । यह पहले भी मैंने घोषणा की थी । सवाल मेरा नहीं, सवाल सदन की मर्यादा का है । लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ सदस्य लोग इस बात पर तुल जाते हैं और यह समझते हैं कि यह हमारी बड़ी बहादुरी है कि हम सदन का अपमान करें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जो प्रस्ताव था, कई सदस्य मेरे कक्ष में आये । एडवोकेट-जनरल से बात कर ली । लेकिन प्रचार के लिए इस तरह के प्रश्न पर इस तरह से करना जिसका उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, कतई ठीक नहीं है और मैं इस तरह से आतंकित होकर या भयभीत हो र उसको कभी भी स्वीकार करने वाला नहीं हूं और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य के बारे में कभी कोई बात हो, अगर मैं कनविन्स हो गया तो तुरन्त इस कुर्सी को छोड़ दूंगा । लेकिन आतंकित होकर या भयभीत होकर उस तरह से नहीं होने दूंगा । आखिर हमको इस कुर्सी की मर्यादा कायम रखनी है । मैं एक सप्ताह और देखता हूं । अगर इसी तरह से व्यवहार होगा, तो मैं त्यागपत्र भेज दूंगा क्योंकि इस तरह की बातों को मैं इस सदन का अपमान समझता हूं ।

श्री रामधर मिश्र--

मान्यवर, आप ऐसे लोगों को दंडित करें ।

श्री अध्यक्ष--

कुछ सदस्य चाहते हैं कि वे जब चाहें तब सदन की कार्यवाही को रोक सकते हैं। चाहे नियम हो या न हो, उनका अधिकार है कि वे खड़े हो जायं। यह मेरे लिए कम से कम सहन करना मुश्किल है क्योंकि यह इस कुर्सी की मर्यादा के लिए, इस सदन के लिए और मेरे लिए अशोभनीय है।

मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आखिर किसी दल की कुछ जिम्मेदारी हुआ करती है। नियम १०३ के अन्तर्गत जो प्रस्ताव आते हैं उनके सम्बन्ध में चाहे वह इस पक्ष के विरुद्ध हो या उस पक्ष के विरुद्ध हो, मुझे निर्णय करना पड़ता है। एक न्यायाधीश की हैसियत से करना पड़ता है। निष्पक्ष होकर नियमावली का इण्टरप्रिटेशन करना पड़ता है। अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करना है। लेकिन आज जैसा आचरण किया, आतंकित करने या दबाव डालने का। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल मेरा अपमान नहीं, यह तमाम सदन का अपमान है क्योंकि यह कतई ठीक नहीं है कि कोई सदस्य इस तरह से आतंकित करे और नियमों के खिलाफ कोई चीज लिखकर दे और कहते जायं कि हमको बोलने दो तो यह अत्यंत अनुचित है। मैं पुनः कहना चाहता हूं मैंने अर्ज किया कि इसकी विशेष जिम्मेदारी नेताओं की होती है। अगर नेता लोग चाहते हैं तो मैं सदन का संचालन करना चाहता हूं वर्ना मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं। जिस तरह का व्यवहार आज किया गया है मैं समझता हूं कि सदन के इतिहास में इस तरह की चीजें बहुत कम हुआ करती हैं। इस पर जैसा माननीय रियासत साहब ने कहा और मैं समझता हूं कि चूंकि मेरे प्रति कहा इसलिए मैंने निष्कासित किया लेकिन पृथक से आपको सोचना चाहिए कि इस तरह के सदस्य, जो अनुशासनहीनता करते हैं, जो सदन की गरिमा गिराते हैं, क्या कार्यवाही उनके विरुद्ध की जाय, यह आप समझिए। यह दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं है, इस पर नेताओं को विचार करना चाहिए।

## अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

अब कल जो निश्चय किया गया था अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में विवाद चल रहा था वह आज जारी होगा। कल मैंने फजलुलबारी साहब को बुलाया था। मैं यह भी कहना चाहता हूं बहुत से सदस्यों से मैंने बात की है। चूंकि सवा दो बज चुके हैं अब पांच बजे तक विवाद चलेगा, इसलिए ७ मिनट का समय निश्चित किया जाता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

माननीय, २.४० हो गए हैं।

*श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से चर्चा चल रही है। यह मसला हिन्दुस्तान का एक गम्भीर मसला है और इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। मैं यह सोच रहा हूं कि इस पूरे मसले पर धार्मी निगाह से सोचा जायगा तो हिन्दुस्तान में रोज-रोज होने वाले दंगों पर काबू पाना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए माननीय

†दिनांक १४ दिसम्बर, १९७८ को कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फजलुलबारी--]

मैं अपनी बात वहां से शुरू करता हूं जब देश आजाद हुआ और हिन्दुस्तान में रहने वाली अकलियतों पर हमला हुआ तो महात्मागांधी मैदान में आये। जम्हूरी तारीख इस बात की गवाह है कि यहां पर कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

अफराद थे जो जमहूरियत को पसन्द नहीं करते थे और महात्मा गांधी जमहूरियत की हिफाजत में पहुंच गए और उसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। महात्मा गांधी के कातिल गोडसे की किताब छप चुकी है। उसमें कहा है कि महात्मा गांधी का कत्ल करके मुझे अफसोस है लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने गांधीवाद को समाप्त कर दिया। अब तय करना है कि आया हिन्दुस्तान में गांधीवाद जिंदा रहेगा या फासिस्ट ताकतें ऊपर आयेंगी। ऐसी सूरत में मैं सोचने जा रहा था कि इंदिरा गांधी के दौर में जम्हूरियत पर जबरदस्त हमला हुआ था और अकालियों पर जो हमला हुआ है और उन्होंने जो खून बहाया है वह एक दिन जरूर रंग लायेगा और वह दिन आ गया। मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर और तुर्कमान गेट में खूनी वाकयात हुए और एक डिक्टेटरशिप का दौर चला। उसका मुकाबला जनता ने किया और जो लोग उसकी हिफाजत की सोच रहे थे वह पार्लियामेन्ट में पहुंच गए। हिन्दुस्तान में जम्हूरी ताकतें बढ़ेंगी ऐसा लगता था और मुल्क के अकलियतों को हिफाजत मिलेगी इमरजेंसी के दौर में बात की जा रही थी कि कोई ऐसी पार्टी बने जो इसका मुकाबला कर सके। ८ जुलाई, ७६ की मीटिंग में इस सिलसिले में एक नोट चौधरी चरण सिंह ने लगाया था कि जो नई पार्टी बने उसमें आर०एस०एस० के वालंटियर्स को शामिल नहीं होना चाहिए और उनके इस नोट के जवाब में माननीय श्री ओ०पी० त्यागी जी ने अपना जवाब यह दिया--"चूंकि आर० एस० एस० बैन हो चुकी है, इसलिए आर० एस० एस० वालंटियर्स का कोई सवाल नहीं उठता है" और नतीजे के तौर पर यह बात मान ली गई कि जनता पार्टी जो वजूद में आयेगी, उसमें आर० एस० एस० के वालंटियर्स सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। अब सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में बल्वे हो क्यों रहे हैं? हमारे सामने बहुत सी रिपोर्ट आई, लेकिन उसमें कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं, जो इस चीज को जाहिर करती हैं। जो साउथ इंडिया के फसाद के बारे में बिठाटियल कमीशन की रिपोर्ट है, उसने वहां के हाल ही में हुए फसाद के बारे में अपनी फाइंडिंग्स दी है। उसने उस रिपोर्ट में उन ताकतों के बारे में हवाला दिया है--"आर० एस० एस० बिहाइन्ड कम्युनल राइट्स और उस किताब में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बातें सामने रखी गई हैं कि क्यों आर० एस० एस० का हाथ फसाद में होता है।

एक बात और सामने लाई गई है--अगर बहुसंख्यक वर्ग में अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ नफरत का जजबा बढ़ाया जाएगा तो फसाद पैदा होंगे। ऐसा ही जर्मनी में हुआ है, वहां पर बहुसंख्यक नाजी पार्टी ने यहूदियों के खिलाफ घृणा के जजबात फैलाए और उनके खिलाफ मारकाट का वातावरण पैदा किया। उसका नतीजा यह हुआ कि हिटलर के नाजियों के हाथों उस पूरी यहूदी कौम को गैस-चैम्बर तक में जाना पड़ा। इसलिए जब किसी फसाद पर विचार करें, तो हम इस तरह की तमाम बातें अपने सामने रखें और यही बातें चौधरी साहब के सामने रही होंगी, इसलिए उन्होंने यह नोट उस ड्राफ्ट पर लगाया।

अब मैं अलीगढ़ के सिलसिले में बहुत वसूल के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि जब वहां के दंगे को रोकने के लिए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी वहां गये, वहां कयाम किए थे और वापस आए तो मैं उनसे मिलने गया, सूरतेहाल जानने के लिए। उनके सामने मैंने यह सवाल किया कि आखिर भूरा की लाश को लोग अस्पताल से उठा ले गए, तो क्या वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं थी ? मैं सोचता था कि पुलिस की व्यवस्था वहां नहीं रही होगी। किन्तु मुझे अत्यन्त अफसोस हुआ यह जानकर कि माननीय गृह मंत्री ने मुझसे कहा कि वहां पर पुलिस का माकूल इंतजाम था, वहां पर पुलिस के और ऐडमिनिस्ट्रेशन के आफिसर्स मौजूद थे। मैंने कहा जनाबेआला, अगर ऐसी कोई बात थी...

श्री उपाध्यक्ष--

आपका केवल डेढ़ मिनट रह गया है।

श्री फजलुलबारी--

बात अब शुरू हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अध्यक्ष ने हर एक के लिए ७ मिनट का समय निश्चित किया है, जिससे अधिक सदस्य लोग बोल सकें। आपको माननीय अध्यक्ष की घोषणा का पालन करना चाहिए। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री फजलुलबारी--

वह तो सही है, लेकिन अब तो आपके रहमो-करम पर सब चीज है। तो मैं कह रहा था, उन्होंने (गृह मंत्री) कहा यह उनका बयान है--लेकिन उन आफिसर्स में कुछ ऐसे आफिसर भी थे, जो हिटलरी सलूट करते थे, वे गुरू-दक्षिणा में जाते थे या गए थे इस तरह की बात उन्होंने कही। इसका मतलब यह है कि इस किस्म के अफसरों की वहां पर मौजूदगी जो आर० एस० एस० का एक अंग हो, यह साबित हुआ, मेरे बयान से नहीं बल्कि माननीय गृह मंत्री के बयान से। मुझे अफसोस है कि जब माननीय गृह मंत्री संतुष्ट थे कि एक अफसर की गलती की वजह से प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर....।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। बड़े महत्व का और संवेदनशील मामले पर बहस हो रही है। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं, लगभग दो दर्जन मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं। मैं देख रहा हूं कि एक परिवहन मंत्री को छोड़कर कोई मंत्रि-परिषद् का सदस्य यहां पर मौजूद नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर कल चर्चा हुई सारे सदन के अनुरोध को माननीय मुख्य मंत्री ने माना और माननीय अध्यक्ष ने अपेक्षा किया कि दो घंटे की बहस आज हो। कोई मंत्रि-परिषद् का सदस्य मौजूद नहीं है। शासन बहस से कैसे लाभान्वित होगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय परिवहन मंत्री, आप गृह मन्त्री को तुरन्त बुलवा लें ?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

ऐसा मालूम होता है कि परिवहन मंत्री को इसलिए बैठा दिया है कि दोनों दिन की कार्यवाही जो इस सम्बन्ध में हो बस में भर कर किसी नदी नाले में डाल आएं ।

श्री आबिद अली (परिवहन मंत्री)—

मैं पहले से बैठा हुआ था । लोग ११ बजे से बैठे हुए थे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर,....

श्री मुकीमुर्रहमान—

श्रीमन्, मैं कल से खड़ा हो रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मुकीमुर्रहमान साहब, आपको मौका मिलेगा । आप तीन-चार मर्तवा और न खड़े हों ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

आप अपनी व्यवस्था दें, मैं गड़बड़ी नहीं करता हूं । कल से अब तक बिलकुल गैरमुताल्लिक चर्चा करवा रहे हैं । मैं वाक आउट करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप तीन-चार बार और न खड़े हों, हम आपको मौका देंगे ।

(श्री मुकीमुर्रहमान सदन त्याग कर चले गए।)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

क्या कोई लिस्ट आपने बना रखी है ? जिधर आपकी नजर पड़े आपको बुलाना चाहिए। मैं कल से खड़ा हो रहा हूं । नियमों के अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं । लिस्ट सामने कोई रखी है । लिस्ट के नाम पुकार रहे हैं । यह शोभा नहीं देता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो कोई हों । मैं कल से उठ रहा हूं । एक मिनट बोलने का मौका नहीं मिला ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

श्रीमन्, अलीगढ़ की घटना के परिपेक्ष्य में साम्प्रदायिक दंगों पर, इस माननीय सदन में कल से चर्चा चल रही है । जितने भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मैंने सब के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना । आपकी अनुमति से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल को और विरोधी दल के दूसरे नेता को जिन्होंने समस्या की गम्भीरता का सही आंकलन करते हुए स्पष्ट शब्दों में इस बात को स्वीकारा है कि अलीगढ़ में जो घटनाएं घटीं, वह हिन्दू मस्लिम दंगा नहीं था, साम्प्रदायिक दंगा नहीं था बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों का झगड़ा था, प्रशासनिक असफलता के कारण जिसने गम्भीर रूप धारण किया । उसी भावना से बहस में भाग लेते हुए मैं इस बात पर खेद भी प्रगट करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी और

पूज्य बापू का उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश की कि मानो शान्ति के संदेशवाहक केवल वह और उनके दल के लोग ही हैं और सारे लोग अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले हैं । यदि हम इस मसले में गम्भीरता और ईमानदारी से हम समस्याओं का विश्लेषण करेंगे तो ईमानदारी से चाहे इस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, चाहे उस पक्ष में बैठे हुए लोग हों, सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज देश के अन्दर महात्मा गांधी और गणेश शंकर विद्यार्थी की शहादत के बाद भी साम्प्रदायिकता का दानव जिन्दा है, जातिवाद का जहर जिन्दा है तो हम सब उसके लिए बराबर के भागीदार हैं । अगर हमने उन शहादतों से सबक लिया होता और उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया होता तो यह साम्प्रदायिकता का दानव आज हमें देश के अन्दर दिखाई न पड़ता ।

हमारे सदस्य, मुरादाबाद यहां है । सदस्य, संभल और मेरठ यहां पर नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस साम्प्रदायिकता के जहर को दफनाना है तो वह मौजूदा वातावरण में नहीं दफनाया जा सकता जो भय अविश्वास का वातावरण में है । इस प्रकार के वातावरण साम्प्रदायिक सद्भावना की प्राप्ति की कल्पना करना कोरी कल्पना मात्र रह जायगी । इसे प्राप्त करने के लिए माननीय सदस्य मुरादाबाद और अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के सभी अन्य मित्रों को ईमानदारी से यह महसूस करना पड़ेगा कि चंगेज खां, मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग जैसी विदेशी ताकतें जो यहां देश को लूटने के लिए आयीं, वह देश के दुश्मन थे तथा राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी उनके पूर्वज और पुरखें थे, वहीं मुझ जैसे बहु-संख्यक लोगों को यह दिमाग बनाना पड़ेगा कि जीनत महल, अहमद शाह सीमांत गांधी, अब्दुल हमीद जो हिन्दू नहीं थे, वह भी हमारे पूर्वज और पुरखे थे और जयचंद और मान सिंह हिन्दू होते हुए भी देश के दुश्मन थे । जब इस तरह का दृष्टिकोण हम सभी अपनायेंगे तभी हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकेगी । मान्यवर, ऐसा नहीं है कि यह स्थिति प्राप्त न की जा सके । हमने देखा कि सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन के दौरान लोक नायक जयप्रकाश नारायण के भागीरथ प्रयासों से सम्पूर्ण क्रान्ति की लोक गंगा में जातिवाद और साम्प्रदायिकता का जहर बह गया था ।

मान्यवर, अगर इस मामले में हम ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं तो हमको कम्युनलिज्म से लड़ने के लिए पहला काम जो करना पड़ेगा, वह यह कि एपीजमेन्ट की पालिसी को हमेशा के लिए तिलांजलि देनी पड़ेगी । हिन्दू, मुसलमान, माइनरिटी और मेजोरिटी कम्युनलिज्म, इस प्रकार का डिस्टिंक्शन नहीं चलेगा । जहर-जहर है चाहे माइनारिटी का हो या मेजोरिटी का हो । अगर हम इस जहर को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें इस डिस्टिंक्शन को पहले खत्म करना होगा । तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं । जब हम इस भावना से काम करेंगे तो हमको ईमानदारी से गुंडा तत्वों को, अवांछनीय तत्वों को साम्प्रदायिक तत्वों को निकालकर नक्कू की तरह समाज के सामने खड़ा करना पड़ेगा, उनको बहिष्कृत करना पड़ेगा ।

मुझे आज प्रातः अलीगढ़ के मेरे एक मित्र ने बताया कि वहां पर राहत कमेटियां काम कर रही हैं । वह सिर्फ चंदा उगाही का काम कर रही हैं । अगर हम ईमानदार हैं तो सारी कमेटियों को भंग कर चंदा वसूली का काम बन्द करना पड़ेगा । मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं । पिछले साल हमारे भूतपूर्व गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह लखनऊ आये थे और उन्होंने विधायकों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से घोड़ा जानता है कि सवार की रान में कितनी ताकत है, उसी तरह से नौकर शाही जानती है कि शासन करने वाला मन्त्री कितना सक्षम

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--]

है, कितना चरित्रवान है, कितना कर्मठ है और कितना होशियार है। हमें इसे भी स्वीकारना पड़ेगा कि आज प्रदेश का मन्त्रिमन्डल अक्षम, अकर्मण्य, गैर जिम्मेदार और भ्रष्ट लोगों से भरा हुआ है। अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी ईमानदारी से इस प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, साम्प्रदायिक सद्भावना के वातावरण को बनाना चाहते हैं तो अक्षम और भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार मन्त्रियों को निकालना पड़ेगा। जो यह ज्वाइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी का पालन नहीं करते हैं, इस प्रकरण को खतम करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

एक मिनट में समाप्त करता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। मैं डाक्टर लोहिया का चेला हूं। जिन्होंने हमें सिखाया है कि जिन्दा कौमें ५ साल तक इन्तजार नहीं करतीं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने भी यही पाठ पढ़ाया है, कुर्सी पाकर हम उस बात को भूल सकते हैं मगर हम १० करोड़ जनता की भलाई नहीं कर सकते हैं तो वह इस मन्त्रि मन्डल को हटायेगी मैं कहना चाहता हूं कि पी० ए० सी० का पुनर्गठन किया जाय और उसमें अल्प संख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये और ऐसे नियम बनाये जायं, जिससे वह सीमा से अधिक शक्ति का प्रयोग न कर सके और उसके लिये तथा राजनीतिज्ञों के लिए भी एक आचार संहिता बनाई जाए और उसका कड़ाई के साथ पालन किया जाए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं''।

श्री मान सिंह आजाद--

मैं कल से खड़ा हो रहा हूं और बोल नहीं पा रहा हूं। आप हरिजनों का अहित कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इस सदन में बैठे हुए सदस्यों ने इस सच्चाई को तस्लीम किया है कि वह कोई फिरके, दंगे नहीं थे। जो घटना हुई है, इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का मस्तक झुक जाता है। जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और गणेश शंकर विद्यार्थी हुए हैं और उनकी बात आई तो उसी प्रकार से गुरू नानक, रहीम और रसखान ने अपनी पवित्र संस्कृति इस देश में फैलाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साम्प्रदायिक सद्भावना के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक राजनीतिक के कार्यकर्त्ता हैं, वह उच्च मिशनरी की भावना से काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में नजीरें मिलती हैं कि रसखान ने गंगा की महिमा का वर्णन किया है। कोई भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता इस प्रकार के सांस्कृतिक चिंतन से दूर है। मैं उनका एक पद प्रस्तुत करता हूं जो रसखान ने गाया है--

बैद की औषद खाऊं कुछ न करों ब्रत संयम री सुनु मो से।
तेरी ई पानी पियों रसखानि सजीवन लाभ ल्हों सुख तो से॥

ऐसी सुधाययी भागीरथी कोऊ पथ्य कुपथ्य करे तऊ पो से ।
भांग धतूर चबात फिरे बिष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥

भारतेन्द्र हरिश्चंद्र ने कहा है--इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये । तो यह भावना थी, उनकी मुसलमानों के प्रति । श्रीमन्, जो कुछ भी हुआ वह न हिन्दू ने किया न मुसलमान ने किया, बल्कि कुछ गुन्डों ने किया और वे ही आज गुलछर्रे उड़ा रहे हैं । शासन भी इसके लिए जिम्मेदार है । आंकड़ों और फाइलों के सहारे सही स्थिति की जानकारी नहीं हो सकती । मान्यवर, रोशनी कमजोर होती जा रही है, धूप रिस्वत खोर होती जा रही है, रात करवट ले रही है फाइलों में, आंकड़ों में भोर होती जा रही है । तो यह स्थिति है आज ।

एक बात और कही जाती है कि पी० ए० सी० के लोग जुल्म करते हैं । चाहे हमारा प्रदर्शन हो, चाहे कहीं झगड़ा हो, पी० ए० सी० को तो जब कभी मौका मिलता है, वह सरगर्म करती ही है । मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जो जितना पीड़ित होता है, वह उतना ही कठोर भी हो जाता है । क्योंकि बुभुक्षितं किन करोति पापम् क्षीणाः जनाः निष्करुणाः भवन्ति पी० ए० सी० के जवान भूखे हैं उत्पीड़ित हैं, वह अपना विवेक खो देता है । ऐसी दशा में शासन का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह उनको नियन्त्रित करे । लेकिन हो क्या रहा है--

लोग अक्सर सच्चाई पर संगीन तान लेते हैं,
फौलाद की कलाई से फूलों का इम्तिहान लेते हैं,
लाठियां भी हैं उनके कन्धों पर, अश्रुगोलों की झोलियों के सिवा ।
उन्हें कौन समझाये--सवालों के और भी हल हैं, गोलियों के सिवा ॥

मान्यवर, इसका हल केवल आयोग बिठाने से नहीं होने वाला है । आयोग तो सन् ७१ में भी बैठा था । उसका क्या असर हुआ ? रद्दी की टोकरी में उसकी रिपोर्ट चली गई । जब तक शासन सख्त नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है । एक दूसरे पर छींटाकशी करने से कुछ हल होने वाला नहीं है । जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा है कि जब घोड़ा यह जान लेता है कि घुड़सवार कमजोर है तो वह भी दुलत्ती मारकर उसे किनारे फेंक देता है । कांग्रेसी शासन में भी इस तरह की घटनायें होती रही हैं । २९ फरवरी, १९७६ को सम्भल में जो शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, उसी की पुनरावृत्ति अलीगढ़ में हुई । पुलिस का रवैइया कुछ ऐसा हो गया है कि समझ में नहीं आता कि वह--

चिड़ियाघर का अजनबी जन्तु जल पर है या पशु पक्षी है,
तक्षक सा घोर विषैला है, निर्दय नृशंस नर भक्षी है ।
दुर्धर्ष दुराचारी दानव जो दुराराध्य दुर्लक्षी है,
अप शब्दों का भंडार विपुल, उत्तर प्रदेश आरक्षी है ।

तो साम्प्रदायिक सौहार्द सद्भाव केवल गुरुनानक, कबीर, रहीम, रसखान, गांधी आदि महापुरुषों के आदर्श को अमली रूप देने से ही हो सकता है, इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगों के ऊपर कल से चर्चा हो रही है और मेरे ख्याल में हर तरफ से ही उसके ऊपर चिन्ता और दुख व्यक्त किया गया है। जितना इस प्रदेश में, देश और दूसरे देशों में अलीगढ़ के दंगों की वजह से बदनामी हुई ह, जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, उनमें एक खौफ पैदा हो गई है। उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारा वजूद खतरे में है, हमें इन्साफ नहीं मिल सकता है। यह जो धर्म निर्पेक्षता के सिद्धान्तों को मानने वाले लोग हैं, उनको चिन्ता है कि इसमें अल्पसंख्यकों का क्या होगा, जैसी कि बात चल रही ह।

इन दंगों की तफसील में मुझे जाना नहीं है। मैं तो अखबार में ही पढ़ता रहा। मन्त्रि मन्डल के ३-४ सदस्यों के बयान पढ़े, उन्होंने सीधे-सीधे आर० एस० एस० के ऊपर इलजाम लगाया और जनता पार्टी ही के जनरल सेक्रेटरी के ऊपर इलजाम लगाया और उन लोगों पर इलजाम लगाया जो वयोवृद्ध नेता थे। हमारे प्रदेश के श्री सी० बी० गुप्ता, उन्होंने इस पर चिन्ता जाहिर की कि आर० एस० एस० का प्रभाव जनता शासन पर ज्यादा पड़ता चला जा रहा है। मैं तो यह नहीं कहता कि आर० एस० एस० को पार्टी ने कोई प्रस्ताव पेश किया हो। मगर एक बात कहता हूं कि आर० एस० एस० ने अपनी आइडोलाजी जो इस हिन्दुस्तान में पेश की, वह एक तरफा है। बहु संख्यक समुदाय को इकट्ठा रखने के लिए बहु संख्यक समुदाय को शक्तिशाली बनाने के लिए सिर्फ बात कही। उसमें धार्मिक पहलू भी नहीं है।

हिन्दू समाज में ही, मुसलमानों के समाज में कितने कमजोर लोग हैं कि जिनको इन्साफ नहीं मिल पाया, जिनको तरक्की करने के मौके नहीं मिले, रोजी-रोटी के भी मौके नहीं मिले, बल्कि जो हिन्दू और मुसलमानों के एक सेन्टेसिस से, मिलजुल के सामाजिक और नैतिक और आध्यात्मिक, मेल-मिलाप के बाद में एक कौम एकता का तसव्वर पैदा हुआ, उसको तोड़ दिया। मैं दाद देता हुं आर० एस० एस० के नेताओं को कि वह बहुत होशियारी के साथ उन्होंने सियासत से दूर रहकर सियासत पर हावी होने का एक तरीका अख्तियार किया। इस प्रदेश में ऐसा महसूस होता है कि जिले-जिले में, जो मन्त्रीगण आर० एस० एस० के हैं, उन्होंने अपने पैट अधिकारी बना रखे हैं, उनकी मर्जी के बगैर उनका तबादला नहीं हो सकता। जो बड़े अफसरान हैं कि उनको कोई छू नहीं सकता। उनकी मर्जी चलती है। उनकी मर्जी के ऊपर सब कुछ चलता है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो आइडोलाजी है, जिस आइडोलाजी का आधार सिर्फ हिन्दुत्व के ऊपर है, उसमें भी अनुसूचित जाति की बात नहीं है।

कितने हिन्दुओं में बंटवारा हुआ। डाक्टर अम्बेदकर ने बौद्ध धर्म अख्तियार किया। हो सकता है, उन्होंने यह बात जोर जबरदस्ती के खिलाफ की हो लेकिन इस्लाम की तरक्की पसन्द पालिसी, बुनियादी पालिसी है, भाई चारा, हिन्दुओं की भी यही पालिसी है और मुसलमानों की भी। लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला।

मैं यह समझता हूं कि यहां सवाल इंसानियत का है, सवाल इंसानियत की सुरक्षा का है। एक तबका थोड़ी तादाद में है और मुकतलिफ अकीदा रखता है अगर उनकी जिन्दगी की गारन्टी नहीं दी जा सकती, संविधान के अन्दर गारंटी दी गई है, उनका धर्म, कल्चर अगर महफूज नहीं रहेगा तो मुझे बड़ा दुख होता

**श्री उपाध्यक्ष--**

आपका समय समाप्त हो गया ।

**श्री हामिद रजा खां--**

उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाती है । एक बात और अर्ज कर दूं ऐसा महसूस होता है कि एक अभियान चल रहा है, बात सही साबित करने के लिए, जुल्म को सही कहने के लिए । मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान की जम्हूरियत इसी हालत में जिन्दा रह सकती है जब हिन्दू और मुसलमान इकट्ठे होकर गरीबी और अन्याय के खिलाफ लड़े । मैं आशा करता हूं कि इस मसले पर यह न देखा कि हिन्दू कौन है, मुसलमान कौन है । सब मिलकर इसको सही करने की कोशिश करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर ।)

**श्री उपाध्यक्ष--**

आप सबको मौका मिलेगा । आप उनको बोलने दें ।

***श्री मुकीमुर्रहमान--**

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती ।

श्रीमन, मैं कल से बहस को सुन रहा हूं और मैंने यह रिजल्ट निकाला, मैं तो इसके समर्थन में नहीं था कि बहस होनी चाहिए, बल्कि अमल होना चाहिये कि इस साइड के बैठने वाले कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में यह हुआ । इन लोगों ने कहा तुम्हारे जमाने में यह हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिये तो इन्होंने न कुछ किया और न उन्होंने कुछ किया । न इन्होंने कुछ दिया और न उन्होंने कुछ दिया । मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं, मैं, कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा और न आरोप लगाऊंगा । शासन में कोई हो उसकी जिम्मेदारी है कि शासन के अधिकारी देखरेख करते और उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिये अन्दर भेजते ।

आज आरोप पर आरोप लगाये जाते हैं । किसी ने कहा कि आर० एस० एस० ने किया है । कांग्रेस के जमाने में रायट होता था तो उन्होंने कहा कि जनसंघ ने करा दिया । हमारी पार्टी में जो हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने करा दिया । तो मेरे कहने का मकसद यह है कि मैं तो नेता सदन से और अपनी रूलिंग पार्टी को एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं । झगड़े ३० सालों से हैं, न रुके हैं न रुकेंगे । सरकार हमारी रहे या न रहे कोई सरकार जानबूझकर झगड़ा नहीं कराती है लेकिन सरकार को नीतियों में झगड़ा होते रहते हैं । मैं तो माननीय नेता सदन से अपील करता हूं कि उनको चाहिये कि हम किसी भी जगह जाय तो हमें नुमाइन्दगी मिलनी चाहिये जो कि नहीं मिलती है । हमारी पार्टी ने डी० जी० सी०, ए० डी० सी० के नामिनेशन किये, मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कितने हमारे हुये ? इस पर नेता सदन को गौर करना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ उनकी एक और जिम्मेदारी है और वह उनके अन्दर डाक्टर राम मनोहर लोहिया की झलक आनी चाहिये और उनकी नीतियों पर मुख्य मंत्री जी को चलना चाहिये । जैसे ३० साल के कांग्रेस शासन में गांधी जी की कहने को आत्मा रही है और हुआ जबकि वसा नहीं है । इसलिये हमको क्या मिला ? अमली जामा में तो शासन कह सकता है लेकिन शासन का कोई मंत्री खड़े होकर कहे कि हमने फला जगह तुमको इतनी सीटें दिया, जबकि अनुसूचित जाति का कोटा है । हम नम्बर दो की जिन्दगी मांगते हैं लेकिन हमको उसम भी नहीं मानते हैं । हमको तो केवल यहां खड़े होकर भाषण करने को मिल जाता है । डेढ़ साल में आश्वासन नहीं दिया गया कि तुम्हारी बातों पर विचार किया जायेगा । इसलिये मैं अपील करता हूं कि जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि राइट्स इन फोर्स करना चाहिये तो उसमें मिले जुले आदमी होने चाहिये । इस-लिये शासन और पार्टी को इस पर सोचना चाहिये । मेरी खामोशी-खामोशी नहीं है । किसी चीज को सहन करने की कैपेसिटी होती और उसके बाद परिणाम ठीक नहीं होते हैं । इसलिये आने वाले भविष्य के लिये मुख्य मंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूं कि थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि ५० जिलों में ३-४ उम्मीदवार हमारे नजर आने चाहिये, ४-५ कांस्टेबिल नजर आने चाहिये ।

मान्यवर, एक किताब मैं लाया हूं, उसमें बच्चों को पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है । उस एजूकेशन को बिल्कुल बैन कर देना चाहिये जिससे हमारे अन्दर जहर फैलता हो । हमने हिन्दुस्तान के लिये खून बहाया है । इसलिये हम राम नरेश के लिये भी खून बहा सकते हैं लेकिन आरोप के लिये नहीं । पुस्तक में हम लोगों के प्रति किसी ने जहर भर दिया है ।

इसी के साथ-साथ मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करता हूं कि वहां कमिश्नर ने जो भी आदेश पारित किये हैं उसमें चर्चा न होकर गुप्त इंक्वायरी करवायें । क्योंकि सिकन्दराबाद से बुलन्दशहर के बीच कुछ ऐसे पैम्फलेट बंटे हैं जिससे उनकी आलोचना हो रही है और एक नया खतरा पैदा हो जाने की सम्भावना है । इसलिये उनको वहां से हटाया जाय ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अलीगढ़ के बारे में नेता विरोधी दल को मैंने सुना । बहुत अच्छी तरह गंभीरतापूर्वक मैंने सुना और माननीय विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की बात सुनी । मैं आप से एक बात निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार और हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगों के बाद वास्तविक बलवाइयों को दंड दिया गया होता और जिन लोगों का दंगों में हाथ था एक बार भी दंड दिया गया होता इस देश में तो दंगों की पुनरावृत्ति नहीं होती । जब दंगा खत्म हो जाता है तो सारे लोग यह चिल्लाने लगते हैं कि साम्प्रदायिक दंगा नहीं था मूल कारण यह है कि मरने वाले कौन थे किसने मारा था । लेकिन एक ही आलोचना रह जाती है कि प्रशासनिक अधिकारियों की अक्षमता थी, उनके अन्दर निकम्मापना था और उन्होंने हिन्दू और मुसलमान परि-वार को मारा बेरहमी से पीटा और हमारे देश के नेतागण ऐसे बलवाइयों के मुकदमों को वापस कराने में सरकार पर प्रभाव डालते हैं । इस प्रकार की कार्य-वाही बार-बार इस देश में होती रही है । इसी कारण इस देश में आज भी हिन्दू और मुसलमान दंगों का परिणाम हमें देखना पड़ रहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं अपने मुख्य मंत्री और अपनी सरकार से साफ-साफ कहना चाहता हूं कि हमने यह कसम खाई है जनता पार्टी के निर्माण पर कि हमारे देश में, हमारे शासन में हिन्दू और मुसलमान के साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये दंगे हुये । हमें एक उदाहरण बनाना चाहिए । एक ऐसा उदाहरण जिससे आने वाले भविष्य में इस प्रकार के दंगों की पुनरावृत्ति न हो । अलीगढ़ के दंगों में जिन लोगों का हाथ है, जिनका हाथ साबित हो जाता है उनके खिलाफ मुकदमें को वापस करने की कार्यवाही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नहीं होनी चाहिए ।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविकता के दोनों पहलू देखने चाहिए । बलवाइयों के मुकदमे वापस हो जाते हैं और अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही थी वह भी ठप हो जाती है । माननीय तिवारी जी, आपके शासन काल में इस तरह का अनार्थ हुआ और उस अनर्थ के कारण आज भी वही जन्तु हमारे देश में विद्यमान हैं ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो लोग लाश को उठाकर ले गये थे जिनकी जानकारी हिन्दुओं को भी और मुसलमानों को भी है, राजनीतिक नेताओं को भी है, सामाजिक नेताओं को भी है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी है, फिर उन लोगों को दण्ड देने में इतनी देर क्यों हो रही है ? ऐसे आदमियों का मुंह काला करना चाहिए और ऐसा वातावरण अलीगढ़ में जाकर दोनों सम्प्रदाय के लोगों के बीच बैठकर हमारी सरकार को बनाना चाहिए । जो वास्तव में अपराधी लोग थे उनका मुंह काला कर के राजनीति से और समाज से उनका काला मुंह करके उनका बहिष्कार करना चाहिए चाहे वे हिन्दू हों चाहे मुसलमान हों । यदि हम कड़ाई के साथ इस प्रवृति को दबाने में सक्षम हों तो निश्चित रूप से अपने देश से साम्प्रदायिक दंगों को भगाने में हम सफल होंगे । यह बड़ी कड़वी घूंट है और इसे पीने के लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी । सजा देते वक्त किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़े । मुख्य मंत्री जी यदि आप लोहिया जी से कुछ प्रेरणा लेते हैं तो निश्चित रूप से मुकदमें वापस नहीं होने चाहिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनको दंड देने की कार्यवाही क्यों नहीं की जाती ? जो बिना पोस्ट मार्टम के शव ले गये, जिसका कोई रिकार्ड नहीं है, ऐसे मुलजिमों को किस तरह सजा आप देंगे ?

एक निवेदन यह है कि पी० ए० सी० का पुनर्गठन होना चाहिए और दंगों को दबाने के लिए अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि होना चाहिए ।

एक निवेदन यह भी है कि इन दंगों को दबाने के लिए दंडात्मक कर लगाना होगा अलीगढ़ की घटना को ले कर मुल्क की तस्वीर गिरी है और यदि आप चाहते हैं कि दंगे न हों तो दन्डात्मक कर लगायें । इससे वहां की जो स्थिति है, वह ठीक होगी । इसलिये मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ में इस तरह की स्थिति को रोकने के लिये दन्डात्मक कर की व्यवस्था करनी चाहिये । तभी इस तरह के दंग रोक पायेंगे ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, दंगों के विषय में मैं कल से सुन रहा हूं । मेरे विचार से इस पर कम से कम दलगत राजनीति के तौर पर विचार नहीं होना चाहिये । क्योंकि

[श्री सोहनबीर सिंह तोमर]

इसका किसी एक दल से सम्बन्ध नहीं है । यह कहना कि यह कांग्रेस के राज्य में नहीं था, या जनता पार्टी के राज्य में नहीं है, इस तरह से दलगत राजनीति के रूप में कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह बात तो हमें विरासत के रूप में मिली है ।

जब १८५७ में अंग्रेजों को मालूम हुआ कि हमारे खिलाफ हिन्दू और मुसलमान लड़ सकते हैं तो उन्होंने इस चीज को पैदा किया जब उनको मालूम हुआ कि एक मुसलमान सिपहसालार के नेतृत्व में हिन्दू लड़ सकते हैं और एक हिन्दू सिपहसालार के नेतृत्व में मुसलमान लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को पैदा किया । मुझे गदर की वह बात मालूम है जब कि वहां के हिन्दू और मुसलमानों ने एक साथ झंडे को उठाया था । तभी से अंग्रेजों ने इस तरह का बंटवारा कर दिया । तभी से मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन किया । यह शहर चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, ये आपसी दुश्मनी के अड्डे बन गये । और अंग्रेजों का यही उद्देश्य था । तो हमें उन राष्ट्रीय नेताओं पर कोई भी लांछन नहीं लगाना चाहिये ।

आज भी जनता पार्टी के अन्दर राष्ट्रीय आंदोलन के लोग हैं । वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान हों । उन पर व्यक्तिगत कीचड़ उछालने से समस्या का हल नहीं होगा । लेकिन यह बीमारी हमारे बीच है अवश्य । और इसका इलाज होना चाहिये । लेकिन हम यहां बैठकर कहें कि इन्होंने दंगा कराया, या आर० एस० एस० ने कराया, यह ठीक नहीं है । लेकिन मेरे खून के अन्दर कमी जरूर है कि हिन्दू-मुसलमान इस तरह से लड़ते हैं ।

मान्यवर, हमने इस देश को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र माना है । हमने इसको महात्मा गांधी का देश माना है । तो यह कह देना कि मुस्लिम लीग ने दंगा करा दिया या आर० एस० एस० ने दंगा करा दिया, यह ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि हमको यहां पर सही बात कहनी चाहिये । हम न हिन्दुओं के नुमायन्दे हैं और न मुसलमानों के नुमायन्दे हैं । हम इस देश के नुमायन्दे हैं । हम इस विधान सभा के सदस्य हैं । हमें सोचना चाहिये कि इसकी बुनियाद कहां है । इसकी बुनियाद हमारे रक्त में है । उसको मिटाने के लिये केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा । जब हम उसके लिये कुछ कर गुजरेंगे तो समस्या का हल होगा केवल कहने से काम नहीं चलेगा । उसके लिये हमें धैर्य रखना होगा । ऐसा न करने से जो हमको नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते ।

भारत के खिलाफ बहुत बड़ा प्रचार हुआ । पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट आदि देशों ने इस दंगे के बारे में प्रचार किया । उससे इस देश का फायदा नहीं हुआ । उससे इस देश के मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसका सेन्ट्रल कैबिनेट का मिनिस्टर क्रिश्चियन जबकि देश में क्रिश्चियन नहीं के बराबर हैं, हो ? मुसलमान हर जगह यहां मौजूद हैं । लेकिन पाकिस्तान धर्मराज्य है, बंगाल धर्मराज्य है । हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है । तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इस भेद भाव को मिटाने की कोशिश करें ।

मन्जूर भाई ने आर० एस० एस० का बहुत नारा लगाया । नारायण दत्त जी ने बहुत गम्भीरता से बोला लेकिन उन्होंने भी लांछन लगाया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन्सान में, हर दोनों में कमजोरियां हैं । मुजफ्फरनगर की मस्जिद में आज भी कुछ मुसलमानों का खून लगा हुआ है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं

कि क्या उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं थे आपने एक शब्द नहीं कहा। राजनरेश जो अच्छे बुरे जैसे भी हों, उन्होंने जुडीशियल इन्क्वायरी का आदेश दिया, उन्होंने कहा कि हम कार्यवाही करेंगे, उन्होंने कहा कि हम सस्पेनसेशन देंगे। क्या आपने जुडीशियल इन्क्वायरी कराई और आपका इन्सान उस समय कहां सो गया था ? मैं आपको फिरकापरस्त नहीं कहूंगा, मैं आपको कमजोर कहूंगा, आपका समाजवाद सो गया था। उस समय आप किसी कारण से दब गये थे। हमें नारायण दत्त जी की नकल नहीं करनी है।

आज इस मुल्क के अन्दर एक मुसलमान मारा जाता है तो यह हम पर कलंक है हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अगर आर० एस० एस० जो दंगा करती है, जनसंघ करती है तो क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, राजस्थान में नहीं हुआ, हिमांचल प्रदेश में दंगे नहीं हुए। आंध्र प्रदेश में क्यों दंगा हो गया था ? फिर तो हम यह कहेंगे कि जहां कांग्रेस शासन है वहां पर दंगे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। दंगे हमारी अपनी बीमारी है। माइनारिटी कमीशन की बातें बहुत कही जाती हैं। मैं मुसलमान दोस्तों से निवेदन करूंगा मैं मेरठ से हूं। मेरठ में मुसलमानों की तादाद ४० परसेन्ट है और डेढ़ परसेन्ट मेरठ कालेज में पढ़ते हैं। डेढ़ परसेन्ट पढ़ेंगे तो कहां से ४० परसेन्ट को रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा। मैंने अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिये कितने सेक्टर में छोड़ दिया है। हम सारे राष्ट्र से अलग हो गये हैं। अगर हमें नया समाज बनाना है तो हमें इस देश में इस बीमार मस्तिष्क का इलाज करना पड़ेगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह दुखद कांड जो अलीगढ़ का है इस पर कल से चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे लेकिन अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जो एक बात मैं महसूस करता हूं कि यह इतना बड़ा-दुखद कांड है, इतना मार्मिक कांड है कि सुनकर और देखकर भी दिल दहलता है। मैं देखता हूं कि 'यों तो मौत बसा करती है दूर सन्नाटा लिये बियावानों में, फिरकापरस्ती जब खाती है जवां जिस्मों को, मौत ठहर जाती है मकानों में और बस्तियों में।

इस फिरकापरस्ती को तो दो महीने दस दिन हो गये लेकिन आज भी अलीगढ़ की स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पायी है। अलीगढ़ है तो उत्तर प्रदेश का शहर लेकिन इससे भारत की धर्म निरपेक्षता पर इतना कुठाराघात हुआ है, भारत की धर्मनिरपेक्षता की जो एक अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इमेज थी वह इससे गिरी है। श्रीमन्, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अखबार जंग ने यह लिखा कि भारत धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाला देश बना बैठा है और वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती की जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी एशिया के कितने ही अखबारों ने कुवैत के अखबार ने तो यहां तक लिख दिया कि जो शासन यहां चल रहा है वह अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दे पा रहा है। यानी हमारी धर्मनिरपेक्षता पर एक सबसे बड़ा कलंक यह अलीगढ़ का कांड है। इसकी दोषी है इस प्रदेश की जनता सरकार, जिसके प्रशासनिक गलत निर्णयों से यह कांड हुआ।

श्रीमन्, जब हम अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो हमको उन चीजों को भी देखना होगा जिनकी वजह से आज दो महीने दस दिन बीत जाने के बाद भी वहां पर अमन और शांति नहीं हो पाई है। मैं प्रशासन की अक्षमताओं की बात केवल प्वाइंट के हिसाब से बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है श्रीमन्, सबसे बड़ी बात यह हुई कि जबरदस्ती उस लाश को ले जाया गया, यह प्रशासन

[श्री गुलाब सेहरा-]

ने मंजूर किया है कि वहां दो पी० ओ० और दो एस० डी० एम० उस वक्त मौजूद थे । उसके बावजूद भी लाश को उन तत्वों ने जबरदस्ती छीन कर जलूस निकाला और मानक चौक पर आकर कुछ असामाजिक तत्वों ने या किसी सामाजिक संस्था के लोगों ने भाषण दे कर उस कांड की शुरुवात की, उसको यह प्रशासन नहीं रोक पाया ।

दूसरी बात यह है कि ४ अक्तूबर को १० बजकर २५ मिनट पर कंट्रोल रूम को एग्रीकल्चर विभाग के एस० आई० भरद्वाज ने कहा कि भूरे की हालत बहुत खराब चल रही है, उत्तेजना बढ़ सकती है उसके मरने के बाद उसके लिये कुछ न कुछ जरूरी कार्यवाही की जाय । पुलिस फोर्स का इन्तजाम किया जाय ताकि शान्ति भंग न हो । उसका यह कथन रपट नं० २० के मातहत दर्ज है ४ अक्तूबर को लेकिन वहां का प्रशासन सोता रहा ।

दूसरे वहां पी० ए० सी० द्वारा इस दंगे को रोकने के बजाय जुल्म किया गया । एक मशहूर पत्रकार हैं दीवान बदरीनाथ जी उन्होंने एक पी० ए० सी० के जवान का इन्टरव्यू लिया । उसने कहा कि ये दंगे तो हमारे धन्धे की जड़ हैं । वहां पर पी० ए० सी० के जवानों ने लूटमार और हत्यायें की जिसकी बाबत प्रशासन को तथा वहां के लोगों को मालूम है ।

फिर जनता पार्टी के मिनिस्टरों ने सबसे ज्यादा विवादास्पद स्टेटमेन्ट दिये जिससे आरोप प्रत्यारोपों की शृंखला बन गयी । कल लारी साहब जब भाषण दे रहे थे तो यहां कुछ बात कह रहे थे लेकिन अलीगढ़ जांच के बाद जो भाषण दिया उसको जरा आप देखें । यहां तो वह प्रशासनिक जनता की बात कह रहे थे कि शासन बड़ा जागरुक था लेकिन यह अखबार है दैनिक प्रताप रविवार, १२ नवम्बर का जिसमें श्री रऊफ लारी साहब का बयान निकला है दंगों को रोकने में मौजूदा सरकार असफल रही । उन्होंने स्वयं बतलाया है कि भूरे की घटना के तुरन्त बाद प्रशासन उस कांड के आराधियों को गिरफ्तार करता । इस पिछले प्रशासन की निरन्तर नाकामयाबी का यही नतीजा है उन्होंने यह कहा कि पिछला प्रशासन नालायक था और दंगे का कलंक प्रशासन तथा दल दोनों के माथे पर है । यहां कहते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा है दूसरे मंत्री राजेन्द्र सिंह का बयान देखें । उन्होंने एक संस्था पर सीधे-सीधे आरोप लगाया । इसी तरह से नगरिक अधिकार संघ के अधीन एक कमेटी गयी उनने कहा कि यह एक आतुरी संस्था का काम है । यह एम० पीज० की कमेटी थी ।

मैं अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में एक बात आपके सामने लाना चाहता हूं । पिछले साल मैंने नियम ५१ में और नियम ३०१ के अन्तर्गत दो प्रस्ताव इस प्रशासन की जागरूकता के सम्बन्ध में दिये थे । १९७७ में नवम्बर के महीने में हिन्दू महासभा का सम्मेलन मेरठ और धामपुर में हुआ और उसमें यह बात तय की गयी कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के भाई का अभिनन्दन किया जाय और महात्मा गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया कि देश में माइनारिटी को न रहने दिया जाय । सरकार ने ५१ और ३०१ में उठे प्रश्नों का उत्तर दिया कि वहां सम्मेलन हुआ था और माइनारिटी के खिलाफ वहां प्रस्ताव पास हुआ था । मैंने कहा कि इन सब चीजों को रोका जाय । जो संस्थायें वैमनस्यता और जातीय दंगे भड़काती हैं उनके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्यवाही की जाय ।

श्रीमन्, शासन की ओर से उत्तर क्या दिया गया जो मैंने नियम ५१ में उठाया था नवम्बर महीने में कि कानूनी सलाह ली जा रही है कि इन संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। तो श्रीमन्, मेरा स्पष्ट आरोप है कि एक विरोधी पक्ष की हैसियत से हमने प्रशासन को पिछले साल सन् ७७ में संभल के झगड़ों से पूर्व बता दिया था कि हिन्दू महासभा के लोग जगह-जगह सम्मेलन करके माइनोरिटी के लोगों में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रशासन बिलकुल चुप रहा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ८ मिनट दे चुका हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

कार्यमंत्रणा समिति में तय हुआ था कि २० मिनट मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

साढ़े चार बजे तक बहस चलेगी फिर सरकार को उसका जवाब देना होगा।

श्री गुलाब सेहरा--

डिप्टी लीडर को १५ मिनट देने का तय हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष जी ने ७ मिनट के लिए कहा था। आप दो मिनट और बोल लें।

श्री गुलाब सेहरा--

किसने यह दंगे कराये यह हम नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल यह बात कह रहे हैं कि इस बारे में जनता पार्टी के घटकों ने ही आरोप प्रत्यारोप लगाये हैं जिनकी एक शृंखला चल पड़ी। २८ अक्तूबर के हिन्दुस्तान में राजनारायण जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के दंगे आर० एस० एस० ने कराये और उनके महामंत्री वहां गये उन्होंने कहा आर० एस० एस० का हाथ नहीं है। फिर जनता पार्टी के लोग गये उन्होंने कहा कि महामंत्री की रिपोर्ट गलत है।

अलीगढ़ के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में एक गुरु दक्षिणा महोत्सव मनाया उसमें मान्यवर, जनता पार्टी के घटक के लोग गये। केवल इतना ही नहीं उस गुरुदक्षिणा पर्व में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि दो पुलिस आफिसर भी शामिल हुए और भगवा झंडे की सलामी ली। सरकारी अफसरों ने उसमें भाग लिया। अलीगढ़ के झगड़े के परिपेक्ष्य में मैं कह रहा हूं इस झगड़े की शुरुवात बहुत पहले से हुई।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है उसको अल्पसंख्यकों की संस्था की मान्यता देने की बात थी उसके विरोध में ६ महीने पहले एक पैम्पलेट अलीगढ़ शहर में बांटा गया। यह सब झगड़ा जो है उन संकीर्ण विचारधारा वालों के द्वारा इस तरह का वातावरण बनाकर पैदा किया गया। यह सब एक पूर्व नियोजित तरीके से किया गया और उसके बारे में जितनी जागरूकता प्रशासन में होनी चाहिये थी, वह नहीं रही। माननीय मुख्य मंत्री जी गवाह हैं, मैं अलीगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कहूंगा

[श्री गुलाब सेहरा—]

कि सामाजिक संस्थाओं या किसी धर्मविशेष की संस्थाओं पर जैसे केरल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, उनकी सार्वजनिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और सार्वजनिक साधनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी तरह यह भी करना चाहिये कि किसी भी धार्मिक संस्था की रैलियां या शाखायें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने सदन में बता दिया कि हिन्दू महासभा जगह-जगह सम्मेलन करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिहाद पैदा कर रही है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इन संस्थाओं पर सरकार जरूर प्रतिबंध लगाये।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मान्यवर, अलीगढ़ दंगों के संदर्भ में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए विचार करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मुझे खेद है कि माननीय नेता विरोधी दल ने कल जो भाषण दिया उसमें केवल आरोप लगाये और कोई ठोस सुझाव नहीं दिये। बड़ी शेखी बघारते हुए उन्होंने कांग्रेस दल को गणेश शंकर विद्यार्थी के विचारों से अनुप्रणित बताया। और जो कांग्रेस दल में हैं और कांग्रेस दल को गांधी के विचारों से अनुप्राणित बताते हैं, शायद उसी दल को सबसे बड़ी नेता ने अभी हाल ही में फतेहपुर के उपचुनाव में जो भाषण दिया है, शायद उसको विरोधी दल के नेता ने सुना नहीं या उसे याद नहीं रख सके। वहां उनका यह कहना कि फतेहपुर के उप चुनाव में जनता पार्टी के रूप में एक मुसलमान चुनाव लड़ रहा है, जिस जनता पार्टी ने अलीगढ़ में मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। वही धर्मनिर्पेक्षता है, तो यह उनको मुबारक हो।

इससे यह बात निकलती है कि साम्प्रदायिक दंगे की जितनी भी चर्चा होती है, उसको हमेशा पालेटिक्लाईज करने की, राजनैतिकीकरण करने की कोशिश की जाती है।

यह वोट की राजनीति जब तक चलती रहेगी, यह दंगे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं मिश्रा जी से निवेदन कर दूं वोट की राजनीति कतई ठीक नहीं है। आप सब मसलों पर, नीतियों पर राजनीति कीजिए, लेकिन हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता को वोट की राजनीति में न लपेटिए साम्प्रदायिक दंगे कराकर चुनाव जीतने और लड़ने की बात न कीजिये। यह बात करेंगे, तो जैसे ३०-४० साल का इतिहास दंगों का इतिहास रहा है, उसको आप रोक नहीं सकेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं जिन्हें आर० एस० एस० के खिलाफ अपने मन की भड़ास निकालनी होती है वह दंगों के साथ उसका नाम जोड़कर अपनी शेखी बघारने का असफल प्रयास करते हैं। मंजूर अहमद साहब ने भी उसका नाम लिया, हमारे दल के साथी, उन्होंने भी उसका नाम लिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक भी दंगे में उसका कहीं भी हाथ नहीं रहा है। अभी सोहनवीर सिंह जो बता रहे थे कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं जनता पार्टी के शासन में, तो शासन न तो दंगे कराता है और न वह उसे रोक सकता है। उसे हम और आप ही रोक सकते हैं, हमारी मनोवृत्ति उसे रोक सकती है।

एक मुसलमान लड़के ने एक हिन्दू लड़की को अगर भगाया है तो यह उस नौजवान का अपराध है, यह जुर्म है, इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए । हमेशा अपराध को उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए । किन्तु वास्तव में क्या ऐसा होता है ऐसा देखने को नहीं मिलता है । वहां एक कुश्ती हुई--उसमें एक हारा एक जीता । भूरा घायल हुआ उसको अस्पताल ले जाने वाला भूरे का भाई प्रकाश है । अलीगढ़ की इन्दिरा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी-महामंत्री हैं नन्द किशोर, जो अमर-उजाला के विशेष प्रतिनिधि हैं, वह गये भूरे को भरती कराने और उन्होंने वहीं से नारा लगाना शुरू कर दिया कि "जनता पार्टी मुर्दाबाद," और उन्होंने नारा लगाया कि "खून का बदला खून से लेंगे ।" जिन्होंने उसकी लाश अस्पताल से उठाई, वह उसे मरघट या घर पर ले जाने के बजाए, ऐसे नाजुक स्थानों पर कैसे ले गये । नन्दकिशोर आज भी मुक्त हैं, इसमें प्रशासन की घोर अक्षमता है, इसमें शासन ने भारी अक्षमता दिखाई है कि इसके लिए जिम्मेदार नन्दकिशोर अभी तक पकड़े नहीं गये हैं । उनका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें अनवर, हबीब और आजाद पर आरोप लगाए गये लेकिन आज भी यह तीनों के तीनों अपराधी पकड़े नहीं गये ?

प्रशासन की इस बात की जिम्मेदारी है इस दंगे को रोकने की या सामना करने की । यह कमियां रह गयी हैं । अभी एक साहब जिक्र कर रहे थे कि आर० एस० एस० दंगे कराता है । उनको बड़ा कष्ट हो रहा है । १९७१ की माथुर कमेटी की रिपोर्ट है, अलीगढ़ में जो दंगा हुआ था । आज रामनरेश यादव मुख्य मंत्री हैं । जनता पार्टी का राज्य है । जब १९७८ में दंगा हुआ । १९७१ में कांग्रेस का राज्य था । माथुर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके पृष्ठ ७६ पर है--"संक्षेप में साम्प्रदायिक दंगा २ मार्च १९७१ को अमरकोट के मुसलमानों द्वारा प्रारम्भ किया गया था जिसके साथ बनी इसराइलान, लंदह बाड़ा और बावरी मंडी के मुसलमान मिल गये थे और जो कुछ हिन्दुओं ने किया वह बदले की भावना से किया था ।" यह रिपोर्ट है माथुर कमीशन की । भावना बदलने की आवश्यकता है । चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है । अगर साम्प्रदायिक दंगों को पालिटिकलाइज करना बन्द कर देंगे तो साम्प्रदायिक दंगे निश्चित रूप से बन्द हो जायेंगे । अगर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, दिलों की भड़ास निकालने के लिए आर० एस० एस० और अन्य संस्थाओं को बदनाम करने के लिए कहते रहे तो साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं पैदा होगा । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन सुनेगा लेगी चाक दामनी का अफसाना यहां सब अपने-अपने पैरहन की बात करते हैं । आज न इधर न उधर, न इनकी न उनकी, मेरा एक सवाल है । हर कौम के रहनुमा से किसने जिम्मेदारी उठानी है कि इस मुल्क की तरजुमानी का इस कौम की रहनुमाई का, आज जवाब का मौका आया है । यह दंगे कब तक होते रहेंगे (व्यवधान) कब तक सर कटते रहेंगे, कब तक लाशें दफन होती रहेंगीं और कब तक कब्रों पर मिट्टी डाल कर यह कह दिया जायगा कि आयोग बिठा दिया गया है उसकी रिपोर्ट आयेगी तो कार्यवाही होगी । जवाब दे कौम के रहनुमा । उस मां के सामने आकर क्या कहें जिसका लाल पिट गया ? उस बहन के सामने जाकर क्या कहें जिसका भाई छिन गया ? यह कहेंगे कि हमने आयोग बिठा दिया उसकी रिपोर्ट आये तो कार्यवाही होगी ?

जब वतन पर कुर्बानी का सवाल आया, तुलसी ने जो बाग लगाया, अकबर ने उसे सींचा, शाहजहां ने उसको खूबसूरती बख्शी, अपना लहू बहाया गंगा में,

[श्री अशफाक अहमद खां--]

मेजर उस्मान ने अब्दुल हमीद ने, हैदर अली टीपू सुल्तान ने जो आजादी के लिये गंगा की लहरों में खन बहाया, उसे कौम को बताया नहीं गया। कौम जान नहीं सकी। किसी को मौका नहीं मिला, देखा जाय कि इस कौम को किस राह पर लिये जा रहे हैं।

एक वाक्या याद आता है मुझे नाइन्थ क्लास का। हिन्दी की एक किताब चलती है। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया मुझे किसी कौम से शिकायत नहीं है शिकायत हर रहनुमा से है जिसने जिम्मेदारी उठायी। एक किताब चलती है। भूषण एक कवि गुजरा है। उसका एक चेप्टर है शिवजी और औरंगजेब की लड़ाई का इतना जहर उगला गया है उसमें नासमझ बच्चे उसको दो कौमों की लड़ाई समझ लेते हैं। पढ़ाने वाले नहीं बताते कि यह दो बहादुरों की लड़ाई थी जो हुकमरानी के लिए लड़ी गई। ऐसे लिटरेचर इस मुल्क में चल रहे हैं।

आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई चाहे इधर के हों या उधर के उनको देखा जाय। उनको सुना जाय, उनको पढ़ा जाय, कौम की रगों में ऐसा जहर घोल दिया गया है कि सालहों साल से लोगों की रगों में वह जहर बढ़ता जा रहा है। कुछ रहनुमाओं ने जिम्मेदारी उठायी कि मैं तुमको सीधा राह दिखलाऊंगा लेकिन उनका अपना मतलब निकल जाता है तो वह उस राह से दूर हट जाते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। कितने सवालात उन रहनुमाओं के सामने आये होंगे, कितने सवालात उनकी नजरों के सामने गुजरे होंगे लेकिन कब तक वह धोखे में रखेंगे, कब तक बहलायेंगे वह इन सवालात के जवाब लेकिन नहीं। हां, कभी कोई उठ खड़ा हुआ और कभी कोई उठ खड़ा हुआ और लोगों को धोखे में रखा।

कल मैंने सुना माननीय नेता विरोधी दल की और उधर कुछ और लोग भी बोले। उनकी बात से एक बात समझ में आयी कि चाहे फतेहपुर का चुनाव रहा हो या समस्तीपुर का चुनाव, मैं अपनी कौम से भी कहना चाहता हूं कि उसके साथ साजिश की गयी है कि यह हुकमरान कौम रही इसका कमर तोड़ दें और ये बात हमेशा के लिये खत्म कर दें कि कैसे हक लिया जाता है अपना। आज जब पूछा जाता है तो किसी ने कह दिया कि आर० एस० एस० ने कराया, उनसे पूछा तो कह दिया कि कांग्रेस (आई) ने कराया। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। सरोकार मेरा इससे है कि कौमों को धोखे में कौन रखते हैं? कुछ मुसलमान ठेकेदार बनकर घूमने लगते हैं।

श्री मन्जूर अहमद--

यह किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री अशफाक अहमद खां--

मन्जूर साहब को बड़ी तकलीफ होती है। यह कौम के ठेकेदार बनते हैं। मुसलमान किसको कहते हैं, इनको मालूम नहीं। मैं इधर और उधर के बैठने वालों को बताना चाहता हूं कि अगर इन मसलों पर विचार न किया गया तो हम यहां नहीं कल और कहीं मिलेंगे और फिर मुकीमुर्रहमान और मन्जूर साहब से पूछेंगे कि कितना दम है।

*श्री मान सिंह आजाद--

उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि अंग्रेज जब हिन्दुस्तान में थे तो उन्होंने भी हरिजनों को लड़ा दिया, हिन्दू मुसलमानों को लड़ा दिया। हमें वह दिन याद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जब हम अंग्रेजों के साथ लड़े थे और गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहने का मुझे अवसर मिला था । अब यह झगड़ा कराया सियासत ने तो यह लज्जा की बात है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा आपके शासन में लोग बगैर समझे बूझे इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती है । ये लोग शासन में रहते हुए भी जातिवाद की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश को आजादी मिली थी वह इन्हीं लोगों की बदौलत मिली है । जो जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके मुख्य मंत्री राम नरेश यादव हैं । मैं विधान सभा में एलान करता हूं कि वह इस पद से इस्तीफा दें । यह साम्प्रदायिक झगड़े करवा रहे हैं । आये दिन झगड़े हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अलीगढ़ के मामले में कुछ बोलें ।

श्री मानसिंह आजाद--

मान्यवर, मैं उसी पर बोल रहा हूं । इस हाउस में मुसलमानों और हिन्दुओं का जिक्र किया गया । इससे झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है । हमारे साथी जब इलेक्शन में जाते हैं तो उन्होंने फतेहपुर में देखा कि इन्दिरा गांधी वहां पर गयीं और उन्होंने वहां पर अलीगढ़ के दंगे के बारे में जिक्र किया । मैं कहता हूं कि उनको लज्जा आनी चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हरिजन हों, चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों सभी लोगों ने मिलकर अंग्रजों को भगाया था । हरिजनों को पी० ए० सी० में लिया जाना चाहिए और थानेदार बनाना चाहिए । इन सब चीजों की जिम्मेदारी आपकी है राम नरेश जी । राम सिंह को होम मिनिस्टर बना दिया है लेकिन आप उसमें दखल देते हैं । इसीलिए यह दंगे हो रहे हैं ।

*श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अलीगढ़ के साम्प्रदायिक दंगे पर चर्चा हो रही है सचमुच यह घटना बड़ी विनाशक है । बरअसल में यह साम्प्रदायिक दंगा जो आज विद्यमान है, यह अंग्रेजों की देन है । जैसा कि तोमर जी ने कहा है और कुछ तथ्यों की ओर उन्होंने इशारा भी किया । अगर इस बात की प्रमाणिकता को जानना चाहते हैं तो पंडित सुन्दर लाल जी की लिखी हुई किताब है इसमें साफ लिखा है । साम्प्रदायिकता का रोग कैसे होता है और उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है । कहां-कहां पर साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और किन-किन कारणों से नहीं होते हैं । इन सबका वर्णन है उसमें । माननीय सदस्य तथा माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर गम्भीरता से विचार करें ।

अगर यह साम्प्रदायिक दंगे राजनीति से प्रेरित हैं तो सचमुच में यह लोकतंत्र के लिये बहुत बड़ा आघात है, और यदि यह सामाजिक कारणों से होते हैं तो हमें इस पर विचार करने की जरूरत है । आखिर यह साम्प्रदायिक दंगे बंगाल और केरल के अन्दर क्यों नहीं देखने में आते ? माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विरोध पक्ष के हों, मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मित्र सेन--]

एक दूसरे पर दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा । दोनों के दामन पर आज साम्प्रदायिक दंगों का दाग लग चुका है, कोई भी उससे बरी नहीं हो सकते । यह साम्प्रदायिक दंगे किसी कारण से भी हो रहे हों मगर आज जो इस पर छींटाकशी हो रही है वह अकारण नहीं हो रही है । आप उससे बच नहीं सकते । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को रोकने के लिये ताकि ऐसी दुखद घटनायें भविष्य में न हों, मानवता के विकास के लिये, मानवता को ही धर्म मान कर, उसकी रक्षा के लिये, यह अत्यन्त आवश्यक है किसी भी साम्प्रदायिक संगठन को मान्यता न दी जाय, उसकी गतिविधियों पर तीव्र नजर रखी जाये और उन पर रोक लगायी जाये । साम्प्रदायिक दंगों का मूल कारण यह साम्प्रदायिक संगठन हैं । इसलिये इन पर कड़ी नजर रखी जाये ।

आज जिस प्रकार से साम्प्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका असर हमारे छोटे-छोटे स्कूल के बच्चों पर भी पड़ रहा है । कुछ स्कूलों में आज शिक्षा भी साम्प्रदायिकता के आधार पर दी जा रही है । इससे उनका दिमाग दूषित हो रहा है इसका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी पर अवश्य पड़ेगा । यह बहुत ही दुखद बात है । जब तक इस ओर सरकार ध्यान नहीं देगी, इसे नहीं रोकेगी तब तक साम्प्रदायिक दंगों को भी नहीं रोका जा सकेगा । बंगाल और केरल में साम्प्रदायिक दंगे इसीलिये नहीं होते क्योंकि वहां पर साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक लगी हुई है । इसलिये हमारे माननीय मुख्य मंत्री को भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आज अलीगढ़ के दंगे के बारे में कल से चर्चा यहां पर हो रही है । मान्यवर, दुःख इस बात का है कि १८ महीने हुए जनता पार्टी का शासन बना तभी से किसी न किसी काण्ड की, किसी न किसी दंगे की, कभी पन्तनगर की, कभी बनारस गोली काण्ड की, मान्यवर, १८ महीने इस सदन का बहुत सा समय दंगों और गोली काण्ड पर गया । मुझे बहुत दुःख होता है, इस बात को कहते हुए कि पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर जहां पर मार्क्सवादी सरकार है, वहां पर एक बार भी दंगे नहीं हुए । मध्य प्रदेश में, हिमांचल प्रदेश में नहीं हुए । क्या बात है मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दंगे और गोली चलती है ।

तीन घंटे तक भूरा की लाश को लेकर अलीगढ़ के अन्दर घुमवाया गया, हो सकता है कि कोई आर० ए० एस० का आदमी रहा हो, अखाड़ा में लड़ता रहा हो, हम इस पर नहीं जाते हैं, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि तीन घंटे तक उसकी लाश घुमवाई जाय, उस समय आपकी सरकार, आपकी पुलिस कहां थी ? सवाल इस बात का है कि दंगे होने के पहले कमिश्नर, भूतपूर्व इंदिरा गांधी का प्राइवेट सेक्रेटरी, श्री टण्डन था, उसके बाद जिलाधीश और एस० पी० का तबादला होता है । धन्य है सरकार, जो दोषी हो, वह दंगा कराये और कलक्टर और एस० पी० का स्थानांतरण हो ।

मैं तो समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी में, गृह मंत्री जी में, आई० जी० पुलिस में, पुलिस विभाग में, ऐडमिनिस्ट्रेशन में एकता नहीं है, किसी नीतियों पर एकता नहीं है । एक कहता है, तो दूसरा रोकता है । स्थिति यह है कि उत्तर

---

*वक्ता ने अपना भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में अराजकता की स्थिति है । उत्तर प्रदेश में शिया मोहर्रम न मनावें, इसलिए कि सुन्नी नाराज होंगे । मान्यवर, अलीगढ़ के साथ इन सारे सवालों को जोड़ना चाहता हूं । आज किसी गांव के अन्दर बुनकर कम हैं और हिन्दुओं की बड़ी संख्या है, अगर हिन्दू लोग कह दें कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, मैं समझता हूं कि इस तरह से किसी प्रजातांत्रिक सरकार के लिए, इस तरह का प्रतिबन्ध लगा देना कहां तक उचित होगा ।

कानपुर में १२-१२ आदमी काट दिये गये, उस समय आपकी सरकार कहां थी ? मैं समझता हूं कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि कौन रेडियो से बयान दे दिया कि स्थिति सामान्य है और दूसरे दिन खबर आती है कि दो आदमियों का कत्ल हो गया ।

मान्यवर, ट्रान्सफर जिलाधीश और एस० पी० का करते हैं । हमारे दल के लोग भी इंदिरा गांधी की मदद कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हो, उसकी जांच करें । आर० एस० एस० के अन्दर कोई खराब आदमी हो, आज न कोई हिन्दू और न मुसलमान, बिलकुल जनता पार्टी की सरकार है । पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर लड़ाई हो रही है, ठाकुर भूमिहार का झगड़ा, ठाकुर-हरिजन का झगड़ा, हिन्दू-मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, यह क्या बात है ?

सारी नीतियों पर बहस करके, प्रशासन के बारे में विचार करना होगा । अगर नहीं कर पाये तो मैं समझता हूं कि इसी तरह के फसाद होते रहेंगे, गोलियां चलती रहेंगी । गांव में कहावत है कि कानों पर जूं नहीं रेंगी ।

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार संयुक्त तरीके से काम करे । अगर नहीं करती है तो अलीगढ़ जैसे दंगे होंगे । जितने दंगे हैं चाहे बम्बई का दंगा हो चाहे रांची का दंगा हो यह इंदिरा गांधी कांग्रेस के राज्य में होते रहे, वह आज भी कायम रखना चाहते हैं । कांग्रेस आज भी चाहती है कि मुसलमानों के वोट लेने के लिये दंगा कराया जाय । दंगा हो तो जनता पार्टी के प्रति नफरत दिखाई जाय । मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार से यदि आप प्रशासन चलाने में अक्षम पाते हैं तो केन्द्रीय नेताओं से कह दीजिये कि यह सरकार हमारे बस में नहीं है । यह प्रशासन हमारे बस में नहीं है, हम प्रशासन से हटना चाहते हैं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें ।

श्री मुफ्ती जलील अहमद (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । आज सवाल यह है कि फिरकावाना फसादात हिन्दुओं और मुसलमानों में इस मुल्क के अन्दर क्यों चल रहे हैं ? कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे या जनता पार्टी की हो, यह सिलसिला खत्म नहीं होता । इस पर बहुत सी बातें कही गयीं हैं । यह एक ऐसा मामला है कि अगर इस मुल्क से यह खत्म नहीं हुआ तो जम्हूरियत खत्म हो जायगी और अकलियतें अपने को इस मुल्क में गैर महफूज समझेंगी जम्हूरियत का नारा लगाना बेकार होगा । सिर्फ अलीगढ़ के मामले को लेकर नहीं बल्कि मुल्क में जहां कहीं फसाद हो रहे हैं या हो सकते हैं वहां इनको

[श्री मुफ्ती जलील अहमद--]

खत्म करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि कुछ तेजी में इस तरह की हैं जो चाहते हैं कि फसादात होते रहें। कुछ तखरीब पसंद अनासिर उभर कर आते हैं और कुछ लोग उनकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं यह बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि जब यह चीजें चलती हैं तो उस वक्त पुलिस और पी० ए० सी० अपना फर्ज नहीं अदा करती है।

मैं अलीगढ़ गया था। वहां पर मुझे बतलाया गया कि जितना जुल्म वहां तखरीब पसंद अनासिर ने किया है उससे अधिक पुलिस और पी० ए० सी० ने किया है। सारे मुल्क के मुसलमान अब यह सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि हमें अपना तहफ्फुज खुद करना पड़ेगा। वहां पर गोलियां चलायी गयीं हैं, मस्जिदों के ऊपर गोलियों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं इसलिए पी० ए० सी० तोड़ी जाय, उनका कहना है कि अगर पी० ए० सी० रखी जाती है तो हम गैर महफूज हैं और अगर न रखी जाय तो तखरीब पसंद अनासिर से हम खुद निपट सकते हैं। इसलिए पी० ए० सी० को तोड़िये और ऐसी तंजीम बनायी जाये जो बलवाइयों को रोक सके। पी० ए० सी० और पुलिस में हिन्दू और मुसलमानों की तादाद बराबर होनी चाहिये ताकि यह जजबात उभर कर न आये कि हम हिन्दू हैं या हम मुसलमान हैं।

(इस समय ४ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं अलीगढ़ गया, वहां देखा और लोगों ने बताया कि ५ नवम्बर को फसाद इस वजह से हुआ कि कमिश्नर की तरफ से यह ऐलान हुआ कि कर्फ्यू हटाया जा रहा है और कलेक्टर की तरफ से एलान हुआ कि कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि वहां के इंतजाम करने वाले अधिकारी नाकारा हो चुके थे। इसलिए यह जरूरी है कि वहां के अधिकारियों जैसे डी० एम० कलेक्टर, एस० पी० और कमिश्नर को तुरन्त हटाया जाय ताकि वहां लोगों को राहत मिल सके। मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यदि यही सिलसिला वहां जारी रहा तो मुसलमानों को वहां रहना दुश्वार हो जायेगा और दहशत से वह चाहेंगे कि हमारा एक अलग राज्य बना दिया जाय। इसलिए जहां फसाद हो रहे हैं वहां जिले के अधिकारियों और पी० ए० सी० को जिम्मेदार ठहराया जाय तथा पी० ए० सी० को हटाकर वहां सिर्फ मुकामी पुलिस ही रखी जाय।

*श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि अलीगढ़ जैसे गम्भीर मसले पर मुझको बोलने का मौका दिया। कल से अलीगढ़ मसले पर बहस चल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष ने जो एक दूसरे पर इल्जाम लगाये हैं कि आर० एस० एस० बलवा कराती है और आर० एस० एस० के लोग कहते हैं कांग्रेस बलवा कराती है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता समझ लिया गया है कि जहां-जहां बलवा हुआ उसमें केवल यह अहसास दिलाया गया कि बहुत बुरा हुआ। तो यहां यह बुराई कब तक पनपती रहेगी? इसका इलाज कब होगा? जो इस बात का अहसास करते हैं कि हिन्दुस्तान में जम्हूरियत है, तो उनको कैसे विश्वास दिलाया जाय कि हमारे मुल्क में जम्हूरियत है और वह अकलियत पसंद है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन का जो हाल है उसको भी रोना है। कांग्रेस के समय से, जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ तब से १,३०० बल्वे कराये गये जिसमें अकलियत का कई बार खून कराया गया। कांग्रेस के जमाने में और जब जनता पार्टी शासन में आई उस समय भी फिरकापरस्ती के यहां बीज बोये गये। जबकि जनता पार्टी के आने से पहले जनसंघ, आर० एस० एस० मुस्लिम लीग सभी एक साथ हो गये लेकिन अफसोस है कि इस १८ महीने में वही बल्वे मुसलमानों के साथ होते रहे जो ३० साल कांग्रेस कराती आयी, उसका कोई आज तक अहम हल नहीं निकला और न इस मसले के हल के लिये कोई ठोस कदम ही उठाये गये कि जिससे अकलियत को अहसास होता कि वह यहां ठीक रह सकती है। केवल १३ करोड़ मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए यहां नई-नई तरकीबें अपनाई गयीं। जब राजनीतिक खड़े होते हैं तो कांग्रेसी चोला पहन कर कहते हैं कि मुसलमान के वोटों के दावेदार हम हैं। जनता पार्टी का चोला पहन कर कहते हैं कि मुसलमान के मतों के दावेदार हम हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन में रहते हुये भी मुसलमान के बारे में कभी नहीं सोचा गया।

आज भी मैं समझता हूं कि विधान सभा में इस पर चर्चा हो रही है लेकिन महीने दो महीने के बाद जब बलवा शांत हो जायेगा तो फिर कोई और बलवा खड़ा हो जायगा। महीने दो महीने बाद इस पर फिर घण्टे दो घण्टे चर्चा होगी और फिर कुछ समय बाद एक बलवा और खड़ा हो जायेगा। यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से अपने विधान सभा के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह झगड़ा खत्म करो कि आर० एस० एस० ने किया या कांग्रेस ने किया। अकलियत को तो महफूज बनाओ। यह एहसास दिलाओ कि हम हिन्दुस्तान के वासी हैं हमने इस मुल्क की आजादी के लिए खून बहाया है।

हमारे बीच में ऐसे लिटरेचर, ऐसी किताबें मत लाओ जिससे हमको तकलीफ हो। आज हिंदुस्तान के अन्दर मुसलमानों को यह अहसास दिलाया जा रहा है कि तुम नम्बर तीन दर्जे के हो नम्बर दो के भी नहीं। आज अछूतों को आरक्षण दिया गया है, आज बैकवर्ड के लिए भी आरक्षण दिया गया है। मुसलमानों के लिए क्या सोचा गया? जार्ज फर्नांडिस ने फतेहपुर के चुनाव में कहा था कि मेरी गर्दन शर्म से झुक जाती है जब मुसलमानों की नुमायन्दगी की बात आती है। उत्तर प्रदेश की ढ़ाई लाख की पापुलेशन में २६६ मुसलमान पुलिस में हैं। कितने मुसलमान अधिकारी हैं, कितने मुसलमान अफसर हैं क्या आप को मालूम है?

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मुझ दो मिनट बोलने दीजिए....

श्री अध्यक्ष--

आप एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री काशिम हुसैन--

अलीगढ़ का वाकया, वाकया नहीं है। जब तक मुसलमानों को अकलियत की तहफुज के लिए आप पुलिस मैनेजमेंट को अच्छी नुमायन्दगी नहीं देते तब तक ये वाक्यात होते रहेंगे और होते रहे हैं। पी० ए० सी० को खत्म कर दीजिए। पुलिस को नुमायन्दगी अच्छी कीजिए। हर सर्विसेज में मैनेजमेंट अच्छा रहे ताकि मुसलमान यह अहसास न कर सके कि जहां भी हम जाते हैं हम से नफरत से पेश आया जाता है। हम झगड़ा नहीं चाहते यहां पर। हम चाहते हैं कि विधान सभा से ले कर शासन के कन्ट्रोल में नुमायन्दगी मिले।

[श्री कासिम हसन--]

अलीगढ़ के बलवे में थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं। अलीगढ़ का बलवा इस में कोई शक नहीं चन्द गुन्डों के बीच में हुआ। प्रशासनिक यह कमजोरी थी कि आज भी बलवे को कन्ट्रोल नहीं कर सका। आज भी तनाव का वातावरण वहां पर बना है। ऐसा क्यों है ? बलवा होता है दो-तीन दिन चलता है लेकिन यह बलवा दो महीने, ढाई महीने चलता रहा और आज भी वहां पर तनाव है। यह बलवा आगे मत बढ़ाइये। इसे खत्म कीजिए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि मुसलमानों की नुमायन्दगी और उन के अकलियत की तहफूज के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी जानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

(श्री अरुण कुमार से) आप पांच मिनट में खत्म कर लें। उसके बाद मंत्री जी को उत्तर देना है और फिर अनुपूरक बजट पेश होना है, ज्यादा समय न लें।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अभी नहीं। आप बैठें।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से सदन के अन्दर अलीगढ़ साम्प्रदायिक दंगे के बारे में बहस चल रही है। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की। इन सारे लोगों के विचार सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इसमें दोषी है। साथ ही साथ इसमें दूसरी तस्वीर भी झलकती है। कहीं न कहीं ऐसे लोग जरूर हैं जिन्होंने इस दंगे को हवा देने में और इसको भड़काने में साजिश की है। उनका नाम आर० एस० एस० से जोड़ा जाता है या उनका सीधा सम्बन्ध आर० एस० एस० से रहा है। भले ही वे जनता पार्टी के अध्यक्ष हों लेकिन उनका रिश्ता इससे जरूर रहा। यह न केवल मेरी राय है बल्कि जनता पार्टी के त्रिदलीय कमेटी की रिपोर्ट है, अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट है और जनता पार्टी के वक्तव्य इसके लिए देख लिए जायं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं आर० एस० एस० के लोगों का इसमें हाथ है। उनकी साजिश है जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं।

कुछ पूर्व वक्ताओं ने तुलनात्मक जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के ३० साल के वाकयात को दोहराया। लेकिन मैं दम्भ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि ३० साल के कांग्रेस के शासन में इतने दिनों तक कभी करफ्यू नहीं रहा। इस तरह के काण्ड हुए तो उन्होंने उसको दबाने का प्रयास किया, नियंत्रण करने का प्रयास किया। लेकिन आज हालत क्या है ? दो-ढाई महीने हो गये लेकिन आज की तारीख में सम्मानित जनता पार्टी के सदस्य कहते हैं कि अलीगढ़ में शांति नहीं है। उसके बाद सरकार बयान देती है कि अलीगढ़ में स्थिति सामान्य है। तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके ऊपर स्पष्ट रूप से शासन को विचार करना पड़ेगा । शासन अपने निकम्मेपन से अपने को अलग नहीं कर सकता है । आखिर किस तरह से लाश ले जायी गयी, यह निकम्मापन नहीं तो और क्या है ? दंगा वहां भड़क रहा था और मुख्य मंत्री जी ने उस व्यक्ति को जमानत पर छुड़ा दिया जिसको हिरासत में ले लिया गया था । जिसका दंगे से सीधा सम्बन्ध था । वह हमारे नोमानी साहब थे ।

मान्यवर, मैंने वहां जाकर स्थिति को देखा । वहां मुसलमान नहीं, हिन्दू शिकायत कर रहे थे कि मुसलमानों के साथ गुनाह किया जा रहा है । हिन्दू ही आसानी से बात करने को मिल सकते थे क्योंकि मुस्लिम एरिया में तो करफ्यू लगा हुआ था । पी० ए० सी० को शांति और सुरक्षा के लिए लगाया जाता है लेकिन पी० ए० सी० को देखकर लोग कराहते थे । जिस एरिया में पी० ए० सी० चली गयी थी, दंगे जरूर हो जाते थे ।

मेरा निवेदन केवल इतना है कि जिन माननीय सदस्यों ने कहा कि इसको रोकने का प्रयास करना चाहिये, ठीक ही कहा और यह बहुत ही सकून विषय है जिस पर धैर्य से बहस होनी चाहिए । लेकिन जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे और बढ़ोत्तरी हो रही है । शासन के पदाधिकारी भी इसको जानते हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रान्सफर हो रहे हैं । अभी रामपुर के परगना अधिकारी का ट्रान्सफर किया गया । उसके बावजूद भी आर० एस० एस० के लोग यह कह रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं । जिसको शासन ने शायद ट्रान्सफर किया, वह सदर के परगनाधिकारी हैं । वह आर० एस० एस० के यूनीफार्म में गये थे । आज अधिकारियों पर आप दोषारोपण करते हैं । शासन के अन्दर बैठे हुए लोग आर० एस० एस० को शहादत दे रहे हैं । आर० एस० एस० के साथ समझौते किए बैठे हैं और आर० एस० एस० का काम कर रहे हैं । उनको डर है, शासन की दृष्टि देखने के बाद उनको भी एहसास हो रहा है कि हमारी जान कैसे बचेगी ।

आज जो कुछ प्रशासन के अन्दर किया जा रहा है, मैं यह नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को हटाने की यह साजिश है या क्या है । लोग कहते हैं कि जहां आर० एस० एस० के मुख्य मंत्री हैं वहां नहीं हो रहा है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का सीधा सम्बन्ध आर० एस० एस० से नहीं है लेकिन यह जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर का बयान है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अरुण कुमार—

मुझे ऐसा लगता है कि शासन में बैठे हुए लोग मुख्य मंत्री जी के खिलाफ हैं और मुख्य मंत्री जी को हटाने की साजिश कर रहे हैं इसलिए इन्होंने दंगा करने में सहयोग दिया । जो मंत्रीगण सीधे इसमें इन्वाल्वड हैं उनमें दो मंत्रियों का सीधा सम्बन्ध अलीगढ़ से है । मान्यवर, एक मंत्री का सीधा सम्बन्ध नोमानी साहब से है । उनको बचाने के लिए कितना दबाव डाला गया है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री अरुण कुमार--

सिर्फ नोमानी को बचाने के लिए उन्होंने मुख्य मंत्री पर कितना दबाव डाला जो मेरी जानकारी में है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस पर अब मुख्य मंत्री जी को बोलना है । जिनके नाम मैं नोट कर रहा हूं, २८ तारीख को शांति व्यवस्था पर बहस होगी तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी । कृपया अब मुख्य मंत्री जी को सुनिये क्योंकि सिर्फ २० मिनट का समय रह गया है ।

एक सदस्य--

२८ तारीख को किसको आप प्राथमिकता देंगे ?

श्री रेवती रमण रस्तोगी --

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना देना चाहता हूं कि अलीगढ़ में फिर दंगा हुआ है । मुझे विशेष सूचना मिली है जो मैं सदन को देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठिए । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

कल ४ लोगों को चाकू मारा गया । आज अलीगढ़ में कत्लेआम हुआ है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि इसकी पूरी जानकारी सदन को दें ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव) --

मान्यवर, कल से जो चर्चा चल रही है उसमें इस सदन के माननीय विरोधी दल के नेता तिवारी जी, मिश्रा जी, आज गुलाब सेहरा जी, ऊदल जी, रियासत हुसैन साहब और भी बहुत से लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये । सत्ता पक्ष की तरफ से भी काफी विधायकों ने, सम्मानित सदस्यों ने भाग लिया और सब लोगों ने, जो कुछ उनके विचार हो सकते थे अपने विचार सदन के सामने रखे । मैं समझता हूं कि जो आज और कल तो चर्चा चल रही है उससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा और उसका लाभ भी हमें मिलेगा और जैसा कि मैंने कल ही संकेत किया था कि जब हम सब लोग, विरोधी दल के लोग और अपने लोग १५ जनवरी को बैठेंगे तो विस्तार से किस प्रकार से इस विशाल जहर को समाज से, प्रदेश से खत्म किया जाय उस दिशा में मैं समझता हूं बहुत कुछ सहायता मिलेगी ।

आज के इस परिवेश में मैं यह जरूर अपेक्षा करता था जब विरोधी दल के नेता तिवारी जी खड़े होंगे तो कुछ ठोस तथा रचनात्मक सुझाव इस दिशा में अवश्य देंगे लेकिन उन्होंने जो विचार रखे केवल कुछ प्रश्नों तक ही अपने को सीमित रखा । कैसे और क्या समाधान हो सकता है, कैसे प्रदेश तथा समाज को इस जहर से बचाया जा सकता है उस सम्बन्ध में एक भी शब्द तिवारी जी के मुख से नहीं निकला । उन्होंने कुछ इस तरह के आरोप लगाने का प्रयास किया कि वास्तव में यह प्रशासन ढीला है । गृह विभाग तथा मुख्य मंत्री में मतभेद है ।

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गृह सचिव तथा अधिकारियों में मतभेद है । मैं समझता हूं कि तिवारी जी को यहां सत्ता पक्ष में बैठने का अवसर मिला है । मुख्य मंत्री और मंत्री की हैसियत से वह अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन फिर भी जानबूझ कर जिस तरह से उन्होंने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है मैं समझता हूं उन जैसे व्यक्ति के लिए वह अच्छा नहीं है । उनको अच्छी तरह से ज्ञात है कि प्रशासन के कार्य का किस तरह से बंटवारा होता है । यह जानकारी उनको आज भी है और पहले भी रही है और उसके आधार पर उन्होंने कार्य भी किया है । पुलिस अधीक्षक ही नहीं, जितने वरिष्ठ अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी किसकी है, तिवारी जी इसे अच्छी तरह से जानते हैं । फिर भी उनको जो समय मिला था उसका इस्तेमाल उन्होंने इस तरह के आरोप लगाने में किया ।

मैं स्पष्ट रूप से बतलाना चाहता हूं कि शासन में जहां तक रूल्स आफ बिजनेस का सवाल है जिसके आधार पर प्रशासन चलता है, नियुक्तियों का निर्धारण होता है उसकी सारी जो विधिवत् प्रक्रिया होती है, वह हो रही है। इस तरह का सदन में वक्तव्य देकर वह हम लोगों में मतभेद पैदा करने में सफल होने वाले नहीं हैं ।

जहां तक नोमानी को छुड़ाये जाने का आरोप है विशेष रूप से उस तरफ के बैठे हुए लोगों ने जो कहा कि मैंने जाने के बाद नौमानी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाया तो कदाचित तिवारी जी ने मेरे बाद के वक्तव्य को अच्छी तरह से देखा नहीं । अगर देखा होता तो सम्भवत: सदन में इस तरह का बयान देने का साहस उन्होंने न किया होता क्योंकि मैं जानता हूं कि तिवारी जी जो वस्तुस्थिति होती है उसको जरूर ध्यान में रखते हैं ।

मैं जरूर गया था और मेरा जाना भी स्वाभाविक था क्योंकि जब प्रदेश के किसी अंचल में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सजग होकर तत्काल कदम उठाया जाता है और पीड़ित जनता को क्या सहायता दी जा सकती है उसके लिए प्रयास किया जाता है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर मैं वहां गया था । उस दिन गया तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सारी जिम्मेदारी उनकी थी और इतना जरूर कहा चाहे कोई बड़े से बड़ा कार्यकर्त्ता हो, नेता हो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। चाहे नोमानी हो अथवा और लोग । जो पकड़े गए थे उनके विरुद्ध कुछ क्षोभ था । लोग कोतवाली में गए। पुलिस के अधिकारियों अथवा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन लोगों को नहीं छोड़ा । न्यायालय से उनकी जमानतें हुई थीं लेकिन मेरे द्वारा जाकर कहने से अधिकारियों द्वारा छोड़ने का कोई सवाल नहीं था। इस तरह का जो आरोप लगाया गया है वह बिलकुल ही निराधार है ।

इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूं हो सकता है आप सब लोग जो उधर बैठे हैं, तिवारी जी भी बठे हैं इस प्रक्रिया का अवलम्बन किए हों इसलिए उन्हें संदेह हो सकता है लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसी घटनाओं में नहीं होने दिया । इसी भावना से हम वहां गए हैं । इसीलिए उसके पहले ही जब घटना होती है २४८ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और ऐसा नहीं है कि आज भी वहां शासन ठप है और कोई काम नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि करीब ५३३ गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें दोनों पक्ष के लोग हैं । हम नहीं कहते हैं कि साम्प्रदायिकता अच्छी चीज है। जैसी आपको तकलीफ होती है वैसी ही शासन को भी होती है । जिस प्रकार से

[श्री राम नरेश यादव--]

आप बदनामी कर रहे हैं हमारी सत्ता पक्ष में होने के नाते, वह उचित नहीं है। सत्ता पक्ष जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है और तैयार रहना भी चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब इस तरह की स्थितियां आती हैं जिसकी जिम्मेदारी शासन की है तो उसके निर्वाह के लिए शासन को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए हम इसमें सजग हैं।

जो लोग मारे गए उनको राहत पहुंचानी चाहिए और हमने पहुंचाई है और जो घर तबाह हो गए हैं उनको राहत पहुंचाई है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं उनको पकड़े जाने की मांग थी उसमें शायद आपके मन में ऐसा हो कि उनकी गिरफ्तारी में देर हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब हमलोग गए थे तो दोनों पक्षों से यह बात आई कि सी० आई० डी० के जिम्मे जांच सुपुर्द की जाय। इनवेस्टीगेशन में वह दिया गया और उसके दौरान जिन लोगों के खिलाफ आरोप पाए जाने की संभावना थी उनकी गिरफ्तारी हुई और जो लोग मौजूद नहीं थे उनके खिलाफ ८२ के आदेश हुए। आज भी कुछ लोग भागे हुए हैं। जो चिंता आपके मन में है, हम भी चिंतित हैं। यह आपका सवाल नहीं है, हमारा सवाल नहीं है सब का सवाल है। जिस प्रकार कुछ साथियों के मन में डर है कि अल्प-संख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है इस बात को ध्यान में रखकर कि कहीं इस तरह की ज्यादती न हो, दोषी लोग पकड़े जायेंगे और वह बच नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वह लोग बाहर नहीं रह पायेंगे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आयोग बैठाया गया है उस आयोग के सामने सारी चीजें विचाराधीन हैं। आरोप-प्रत्यारोप की बातें कुछ लोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी मंत्री को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हुए नहीं पाया गया। यह अवश्य है कि हमलोग वहां पर गए थे लेकिन अपना राजनीतिक दबाव डाल कर किसी अधिकारी को गलत काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। कहा जाता है कि जिस समय लाश ले जाई गई उसे क्यों परमिशन दी गई, यह बात सही है। लेकिन यही सारे तथ्य प्रथम सूचना में दर्ज हैं इन सारी बातों पर आयोग बैठा है और सारी बातें उनको दे दी गई हैं। इसलिए आज उसके सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया जाय मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं है। जिस प्रश्न पर आयोग को विचार करना है उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं जिसके कारण उसके प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर मैंने पहले भी आश्वासन दिया था कि हम व्यवस्था करेंगे कि जांच में विलम्ब न हो। जब जांच रिपोर्ट आयेगी और उसमें जो दोषी अधिकारी पाये जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। आपको विश्वास रखना चाहिए कि जब हम सब लोग चाहते हैं कि साम्प्रदायिकता को आगे बढ़ावा न मिले तो हमको अपने वचनों से और कार्यों से इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए जिससे समाज विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिले। मैं समझता हूं कि इस तरह की भावना रख कर यहां चर्चा करते हैं उससे शायद यह साम्प्रदायिकता समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैं अपने अल्पसंख्यक लोगों से भी कहना चाहता हूं कि यह आपका ही सवाल नहीं है, यह मानवता का, इंसानियत का सवाल है।

ऐसी बात होती है, जैसा राम अधार ने कहा बहुत से दंगे हुए जनता पार्टी के शासन काल में। किन्तु इस तरह की चीजें यदि पैदा कर दी जाती हैं तो उनसे निपटने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी सबकी है, हम सभी की है। जनता के सभी वर्गों की है। शिया-सुन्नी के दंगे जो लखनऊ में होते हैं, जो लखनऊ जैसे शहर पर बदनुमा कलंक हैं, उनको भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन वह फिर भी होते हैं। उसको दूर करने के लिए दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया, लेकिन यदि वह समझौता परस्पर करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह सरकार या कोई भी सरकार इस बात की इजाजत नहीं दे सकती है कि वह आपस में मारकाट करें, सड़क पर चलते लोगों को बन्दूक की गोलियों से और बन्दूक के कुंदों से घायल होना पड़े, लोगों को मारा जाए। सरकार ऐसी स्थिति को देखने वाली नहीं है और न बर्दाश्त करने वाली है और मैं समझता हूं कि यह भावना आप सबकी भी है कि ऐसी स्थिति प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। उसमें भी ऐसी बात होती है, कहीं हम रोक लगाते हैं तो आप सबको उसकी सराहना करनी चाहिए। हमने ऐसी स्थिति पैदा करके प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था को बचाने का प्रयास किया है। कानपुर में भी ऐसी स्थिति थी, वहां पर भी दो मनोवृत्तियों का टकराव हुआ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि कैसे इस मनोवृत्ति को रोका जाए। इसमें कभी राजनीतिक भावना को प्रश्रय नहीं देना चाहिए और न इससे प्रेरित होकर कभी किसी पर आरोप-प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें ठंडे दिल से यह विचार करना चाहिए कि समाज में हम कैसे ऐसी भावना बनावें कि जिससे ऐसे दंगे न होने पावें। शासन सजग रहेगा, लेकिन जनता का भी कर्त्तव्य है और सबकी जिम्मेदारी है कि वह देखें कि यह सारी चीजें बहुत बुरी हैं और उनको समाज से, अपने बीच से दूर करें।

इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि जहां तक माइनारिटी आयोग की सिफारिशों की बात है या ७१ में जो माथुर कमीशन की सिफारिश आई थी, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं और कल भी कहा था कि सारी संस्तुतियों पर सरकार विचार कर रही है, जो भी तत्काल लागू करने वाली चीजें होंगी, उनको लागू किया जाएगा। माथुर कमीशन की बहुत सी सिफारिशों को हमने अलीगढ़ में लागू भी किया है, अखाड़े की घटना के समय से ही लागू किया है...

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

माथुर कमीशन की सिफारिशें हैं क्या? आखिर यह तो बता दीजिए।

श्री रामनरेश यादव--

मान्यवर, तिवारी जी को मालूम है कि क्या सिफारिशें हैं। अभी कल वह समाचार-पत्रों का उद्धरण दे देकर बता रहे थे कि क्या उसकी सिफारिशें आई हैं। इसीलिए मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता।

श्री ऊदल--

१५ जनवरी को बताइयेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी १५ जनवरी बहुत दूर है। जल्दी बुलवाते तो अच्छा रहता। अभी तो उसका एक महीना है। (व्यवधान) यह बताएं कि उसमें यह इतनी देर क्यों कर रहे हैं?

श्री रामनरेश यादव--

जो ७१ का भी आयोग था, उसको भी लागू करने की जिम्मेदारी आपकी रही है, लेकिन आपने नहीं लागू किया है। किन्तु अब उसकी बहुत सी सिफारिशों को हमने अलीगढ़ में लागू किया है। इसी आधार पर हम माइनारिटी कमीशन की सिफारिशों के ऊपर भी विचार करेंगे। यह आपका सवाल नहीं है, हमारा-आपका सवाल नहीं है, यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह शुद्ध मानवता का सवाल है और सबको इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां पर यह विषैला कीड़ा बैठा हुआ है, जो चल कर समाज में ऐसी विषम स्थिति पैदा कर देता है, जो हमें ऐसा बदनसीब दिन दिखला देता है।

यहां मंत्रियों के बारे में भी बहुत सी बातें कही गई हैं मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। तिवारी जी, जानबूझकर, विपक्ष में बैठे हुए, चर्चा करना चाहते हैं, आक्षेप भी करना चाहते हैं, जानबूझ कर इस तरह की बात होती है। जिस तरह के सुझाव आये हैं, सत्ता दल और विपक्ष के लोगों के उनको ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सबका है, समाज सब का है, चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों, या सिक्ख या पारसी हों, सभी लोगों का देश है। इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए सभी लोग खुले दिल से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें और ठीक से इसका समाधान निकालना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं जानना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी अलीगढ़ गये। उन्होंने समाचारपत्रों में भी कहा और पार्लियामेंट की जो होम डिपार्टमेंट की एडवाइजरी कमेटी है उसमें भी उन्होंने कहा, कम से कम प्रधान मंत्री ने क्या सलाह दी और उस पर माननीय मुख्य मंत्री क्या कर रहे हैं, हमें बता दें। दूसरी बात यह है कि आज १५ तारीख है। एक महीने के बाद मीटिंग बुला रहे हैं। इतनी देरी क्यों, कल क्यों नहीं बुलाते। दो बातें बता दें।

श्री रामनरेश यादव--

यह लोक हित, जन हित, सरकार के हित में जो पत्र आते हैं, जो बातें आती हैं, सबके तथ्यों को बताना आवश्यक नहीं होता। १५ जनवरी की तारीख इसलिए रखी कि जिन माननीय सदस्यों को आमंत्रित करेंगे, विपक्ष के नेता लोगों को इस बीच में बहुत गहराई से विचार कर लें कि आखिर कौन से कदम हो सकते हैं, जिनको हम उठा सकते हैं, ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा जवाब नहीं मिला। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। सारे देश में जो प्रधान मंत्री ने कहा है, समाचारपत्रों में छपा है। गोपनीय नहीं है, कि य० पी० सरकार से मैंने यह कहा है, उसमें लिखा हुआ है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जो वार्ता हुई है, जो घोषित किया है, उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि गोपनीय है, जनहित में नहीं है। यही तो उन्होंने कहा है। यह कहा है कि जनहित में नहीं है। जो प्रधान मंत्री का वक्तव्य है वह देश के सामने है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं व्यवस्था चाहता हूं। जिस बात को प्रधान मंत्री, भारत सरकार के गोपनीय नहीं मानते, जिसका सार्वजनिक वक्तव्य देते हैं, क्या उसे गोपनीय माना जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह केन्द्र की सरकार है। यह यहां की सरकार है। यह माननीय मुख्य मंत्री को निर्णय करना है। यहां का स्वायत्त शासन है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने फरमाया कि नौमान को कोर्ट ने जमानत दी थी। तो २१ नवम्बर को नौमान का सरेंडर करना और उनके खिलाफ अरेंजमेंट करने की कार्यवाही की क्या आवश्यकता हुई? दूसरे यह कि ५ अक्तूबर को जो बलवा हुआ है उसमें कितने लोग एफ० आई० आर० में नामजद थे और उनमें से कितनों की गिरफ्तारी हुई है ?

श्री रामनरेश यादव--

मान्यवर, बहुत सी रिपोर्टें लाज हैं, उसके सम्बन्ध में ८२-८३ की कार्यवाही हुई है। ५ तारीख को जो बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ ८२-८३ की कार्यवाही हुई है। कुछ लोग उसमें से हाजिर नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, पांच बजे।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद में जानकारी कर लीजियेगा, अभी नहीं।

## १९७८-७९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

(वित्त मंत्री) श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७८-७९ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी प्रतियां वितरित कर दी जायं। मालवीय जी, आप जानकारी कर लें।

## अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगे के सम्बन्ध में चर्चा (क्रमागत)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मुझे यह जानकारी करनी है कि अल्पसंख्यक आयोग ने इस बात का आरोप लगाया है कि वह लोग अलीगढ़ गये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया। दूसरा यह कि तत्कालीन एस० पी० और जिलाधिकारी से बात करना चाहते थे लेकिन उनसे नहीं मिले और उनसे मिलने की अनुमति उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं दी। तीसरा यह कि आयोग को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। क्या यह आरोप सही है या निराधार है ?

(मुख्य मंत्री) श्री रामनरेश यादव--

मान्यवर, जिस समय वे गये इन दोनों अधिकारियों का वहां से ट्रान्सफर हो गया था और नये अधिकारी पहुंच गये थे। उनसे इन्होंने भेंट की थी और बात की थी। रह गया यह कि इन लोगों ने कुछ चीजें भेजने की बात की थी। तो मैं पता लगाऊंगा कि वे भेजी गयीं या नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

समझ नहीं पाये। साफ-साफ बतलायें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष--

माइनारिटी आयोग की शिकायत है कि उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं रहा। कलेक्टर और एस० पी० उनसे मिले नहीं और उनको पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा प्रश्न मुख्य मंत्री जी पहले समझ लें। जिस वक्त अलीगढ़ में दंगे हुए उस समय वहां जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक थे जिनको सरकार ने हटाया वे आयोग से मिलने गये थे या नहीं ?

श्री रामनरेश यादव--

यह मैं पता लगाऊंगा कि वह मिले थे या नहीं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मुख्य मंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

उनका कथन है कि जिस वक्त आयोग गया, ये अधिकारी वहां नहीं थे। अगर उनसे मिले तो जानकारी नहीं है। मुख्य मंत्री जी, क्या आपने इस तरह का आदेश दिया था कि वे आयोग से न मिलें ?

श्री रामनरेश यादव--

इस प्रकार का कोई आदेश नहीं था कि उनसे असहयोग किया जाय।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा था स्वयं कि पुराने जिलाधीश और पुराने एस० पी० हमसे मिलें। बावजूद इसके वह नहीं मिले। इस सम्बन्ध में उनको शिकायत रही की वह नहीं मिले। मैंने भी कल कहा था कि वह नहीं मिले और अखबारों में भी आया है कि नहीं मिले। साफ उत्तर आना चाहिए कि क्यों नहीं मिले ?

श्री रामनरेश यादव--

मैं देखूंगा कि क्यों नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष--

क्या आयोग ने कोई पत्र लिखा है कि इन अधिकारियों को मिलने के लिए भेजें ?

श्री रामनरेश यादव--

ऐसा पत्र नहीं लिखा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब मैंने यह प्रश्न पूछा तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि गोपनीय है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने रिपोर्ट के लिए कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने सिफारिशों के लिए पूछा। उनमें से एक की चर्चा हो गयी। जब एक सिफारिश की चर्चा और कार्यवाही हुई तो वह एक ही प्रकार का उत्तर देते कि सब जानते हैं इसलिए उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब यह लगता है कि उन्होंने अपने को संशोधित कर दिया। यह न्याय का तकाजा है, सदन का अधिकार है कि मुख्य-मुख्य सिफारिशें बतावें और यह भी बतावें कि क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

कौन सी सिफारिश ? आयोग से वह अधिकारी नहीं मिले या नहीं मिले तो मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि उन अधिकारियों के मिलने और न मिलने का कोई ज्ञान नहीं है और आयोग ने कोई पत्र नहीं लिखा कि जिनका स्थानान्तरण कर दिया गया है उनको आयोग से मिलने का आदेश दिया जाये। तो सिफारिश कोई हुई नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसमें सिफारिश की गई है, उसमें आलोचना की गयी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने असहयोग किया कि एस० पी० और जिलाधिकारी नहीं मिले। उसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया। उनको पूरी रिपोर्ट रखनी चाहिए। मजिस्ट्रेरियल कमीशन की रिपोर्ट गोपनीय नहीं है। मैं अपेक्षा करता था कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। जो कमीशन बैठा उसकी रिपोर्ट जब आवेगी तब आवेगी

[श्री नारायण दत्त तिवारी---]

लेकिन जो स्थायी कमीशन है जिसको भारत सरकार ने बनाया है वह गोपनीय भी नहीं है, उन्होंने कहा कि पी० ए० सी० को अलीगढ़ से हटा लेना चाहिए। अब मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप जानते हैं। मेरे पास जानकारी कोई नहीं है कि माइनारिटी कमीशन ने क्या कहा। इतनी बड़ी बात छपी है कि माइनारिटी कमीशन ने कहा कि पी० ए० सी० को हटा लेना चाहिए। यह उनकी मांग है। उन्होंने यह कहा है या नहीं कहा यह मुझे मालूम होना चाहिए और सदन को मालूम होना चाहिए। एक सिफारिश के बारे में राय बना ली है तो इन सिफारिशों के बारे में भी राय बना लिया होगा। कहां, हम गुमराह कर रहे हैं तो इससे काम चलने वाला नहीं है। माइनारिटी कमीशन की सिफारिश क्या है? संक्षेप में बताना चाहिए और क्या कार्यवाही कर रहे हैं? श्रीमन्, आप रक्षा करें। आप ही पूछ लें कि माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट क्या है और क्या वह गोपनीय है जो अखबारों में छपी है?

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल का प्रश्न है कि माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई है या नहीं? और यदि प्राप्त हुई है, तो आपने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री रामनरेश यादव---

माननीय तिवारी जी ने कहा कि गोपनीय है। मैं समझता हूं कि मैंने गोपनीय शब्द का प्रयोग इस बात के लिए किया कि प्राइम मिनिस्टर से जो चर्चा हुई थी उसके बारे में किया था। इस माइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट शासन को मिली है और शासन उस पर विचार कर रहा है। जो उसकी रिकमेन्डेशन है उसको हम कहां तक लागू कर सकते हैं, इसी बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

माइनारिटी कमीशन ने जो कहा वह अखबारों में निकल गया उसको बताने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री रामनरेश यादव---

तिवारी जी को उसकी जानकारी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

नहीं है।

श्री रामनरेश यादव---

इसीलिए उन्होंने उस सवाल को उठाया था। मैंने कहा था कि उनको जानकारी है और फिर भी वह चाहते हैं कि मैं बताऊं। मैंने कहा कि इस पर शासन विचार कर रहा है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

यहां पर बहुत से ऐसे सदस्य हैं जिनको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तो क्या मैं समझूं कि नेता विरोधी दल और नेता सदन की बात हो गयी है ?

श्री रामनरेश यादव—

मान्यवर, मैंने तो यह कहा था कि १५ जनवरी को जब हम बैठेंगे तब विचार कर लेंगे उसी बैठक में । अगर माननीय तिवारी जी तैयार हैं तो हम उनसे भी बैठ कर बात कर लेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, अगर माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की बात होती तब तो हम समझ लेते, मगर यह चीज सदन में आ चुकी है, इसलिए सदन को यह बता दें कि मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? यह उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख दें ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

कमीशन ने यह कहा है कि कमिश्नर को हटाओ तो क्या मुख्य मंत्री जी उसे हटाने को तैयार हैं ?

श्री रामनरेश यादव—

मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रशासनिक मामला है, इस मामले में जितनी भी रिपोर्टें आयी हैं उन पर शासन विचार कर रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ । माननीय मुख्य मंत्री जी को जो कुछ उत्तर देना था वे दे चुके हैं । मैं उनको और बाध्य नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

इतना बतला दें कि माइनारिटी कमीशन ने शासन को क्या-क्या मुख्य बातें लिखी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप भी वही दोहरा रहे हैं ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

पहले कांग्रेसी शासन के समय में भी और इस सरकार के समय में भी पी० ए० सी० के रोल की आलोचना होती रही है और इसके अत्याचार फिरोजाबाद, आगरा और अलीगढ़ आदि में देखने में आये । वह फोर्स, रक्षक की जगह घातक बन गया है । तो क्या सरकार इस पी० ए० सी० में कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री रामनरेश यादव—

सान्डवर, पी० ए० सी० के बारे में तथा अन्य मामलों में जितनी भी सिफारिश हैं सब पर सरकार विचार कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ।

## नियम ५१ के अन्तर्गत की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

श्री ओंकारनाथ की एक सूचना हमीरपुर में नित्य डकैतियां पड़ने व उनका पता न लगने से जन जीवन की असुरक्षा के बारे में नियम ५१ की है, उसे मैंने स्वीकार किया है।

दूसरी सूचना श्री राधेश्याम शर्मा की है जो मथुरा जिले के तेल शोधक कारखाने के बारे में जो एक माह से बन्द हो जाने के कारण श्रमिकों का हड़ताल पर होना तथा धारा १४४ तोड़ने से गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में है। इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

माननीय सदस्य इसके बारे में अगर सूचना चाहते हैं तो मैं आज ही दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं।

## शुक्ला गंज जिला उन्नाव के निवासी श्री प्रकाश त्रिवाठी उर्फ पुन्ना तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में हुए वक्तव्य पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष —

उन्नाव के सम्बन्ध में वक्तव्य तो हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी तो हैं नहीं, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कल हम लोगों की मांग थी कि सी० बी० आई० से जांच करा दी जाय, जिससे जो उत्तेजना का वातावरण है, वह भी समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष —

आपका प्रश्न यह है कि सी० बी० आई०, गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से जांच करा दी जाय। यह आपका प्रश्न है।

(श्री राम नरेश यादव) मुख्य मंत्री—

अभी तो मैजिस्टीरियल जांच चल रही है, इसलिए इस समय सी० बी० आई० को जांच कराने के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकता। यह हम जरूर कर सकते हैं कि सी० आई० डी० से जांच करा सकते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी० आई० डी० से जांच कराने की बात कही है, वह वकील भी रह चुके हैं। मान्यवर, मैजिस्टेरियल जांच की तो कोई बात है नहीं, कल माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि जो लोग मारे गए हैं, वे बड़े भारी डकैत थे। मान्यवर, इस देश में तो एक बड़ा भारी डकैत था सुन्दर डाकू, माननीय तेज सिंह जी उनके साथ बन्द थे। जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार ने भिन्डर, डी० आई० जी० को दिल्ली से हटाया और उनके ऊपर आज भी प्रासीक्यूशन हो रहा है और मुकदमा चल रहा है। माननीय सदन जो है इनकी भावनाओं का आदर करे और आदर करके इस घटना की जांच सी० बी० आई० से करा दें या उन्नाव के अतिरिक्त जो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनसे करा दें।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, ऐसा है कि जहां तक मुझे सूचना है जो रिपोर्ट हैं, उसमें उनके खिलाफ बहुत से केसेज हैं और ७१ से लेकर अब तक बहुत से केसेज दर्ज हैं, जिसमें कि मर्डर के भी हैं, ३०७ के भी हैं। इसलिए एक तरफ तो हम लोग शांति व्यवस्था की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो हम लोग जिसकी चर्चा करते हैं, सम्भवः वह चर्चा होती ही रहेगी। इसलिए इस बात को ध्यान में रख कर तफतीश मैजिस्ट्रेट की चल रही है, जांच रिपोर्ट आने पर ही विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष --

माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मालवीय जी का प्रश्न है, अगर वह डकैत भी है, पतित भी है, तो उसको कोर्ट के द्वारा विधि के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। उनका आरोप यह है कि चाहे वह कितना ही बड़ा डकैत हो, बस्तु हो, इनकाउन्टर पुलिस का दिखाकर उसको मारा है, बस से उतार कर, यह उनका कथन है, तो इस बात की जांच चूंकि पुलिस के खिलाफ आरोप है, तो क्या सी० बी० आई० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, हमारे सामने दोनों पक्ष उपस्थित है और उन्नाव के भी विधायक हैं, सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, एक तरफ इनकाउन्टर और एक तरफ भय को कहा जाता है। जैसा कि श्रीमन्, कह रहे थे सी० आई० डी० से जांच कराने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि उनके सामने में दो पक्ष उपस्थित हैं। कुछ माननीय विधायक उन्नाव के भी हैं, जो इस विषय में अन्यथा राय रखते हैं।

श्रीमन्, उन विधायकों की बात सुनें न इन विधायकों की बात सुनें। श्रीमन्, इसमें जो प्राग साक्ष्य है एक मिनट में निवेदन कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से। फिर मुख्य मंत्री जी से न्याय का तकाजा करता हूं कि इसको सुनन

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री उदित नारायन---]

के बाद जो मांग की जा रही है, वाजिब है या नहीं, उसको करें । इसमें दो विधायक, श्रीमती सूर्य मुखी शर्मा, जो मेरे पीछे बैठी हुई है । उनका कहना है कि यह आठ बजे तक उनके साथ थे । यह प्राइमा फेसी है, मैं नहीं कहता हूं । दूसरे माननीय बोरा जो बैठे हैं उनका कहना है कि साढ़े ८ बजे उसको बस में बैठाया । दूसरी इवडेंस है, उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर दोनों की । उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है कि १० बजे गंगा घाट पर वह लोग उतार कर ले गए । यह एक प्राग साक्ष्य है । इनको मान लीजिए । इसके अलावा जो उनका वे बिल है उसमें लिखा है कि मुन्ना तिवारी को उतार कर ले गए इसलिए जितनी सवारी थीं उसमें एक कम हो गई । श्रीमन्, यह प्राग साक्ष्य है, इस तरह का गुरेज करना मुनासिब नहीं होगा ।

जो उनका वे बिल है उसमें लिखा है हमारी एक सवारी कम हो गई, उसको १० बजे उतार लिया गया । साढ़े आठ बजे बस रवाना हुई । कंडक्टर और ड्राइवर हलफनामा देते हैं कि पुलिस जबरदस्ती कर रही है वह चीफ सेक्रेटरी के पास आता है । यह प्राइमा फेसी इवीडेंस है । इसकी इन्क्वारी साधारण तरीके से नहीं होनी चाहिए । साधारण न्यायालय नहीं होना चाहिए । जिस्ट्रेट कैसे यह जांच करेगा । इसलिए यह मामला ऐसा है कि सी० बी० आई० से जांच करायें । सारे पक्ष साफ हो जायेंगे । जिससे मालूम हो कि आप, लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं । हम यह कहते हैं कि किसी दूसरी जगह के डिस्ट्रक्ट जज से कह दीजिए, वह जांच करे । उसके बाद कोर्ट में केस जाकर ट्रायल होना चाहिए । ऐसे स्पष्ट तथ्य किसी दूसरे मामले में नहीं मिला करते हैं । इस बात का गुरेज करेंगे तो फिर क्या कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष - -

उनका कहना है कि क्या न्यायिक जांच किसी अतिरिक्त जज, उन्नाव के द्वारा करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मैजिस्ट्रीयल जांच इसमें चल रही है । उसकी रिपोर्ट आ जाय तब उसके बाद कोई बात हो सकती है कि ऐसे मामले में जुडीशियल इन्क्वारी बैठायें ।

श्री उदित नरायन---

श्रीमन्, क्या एक मांग यह भी आई कि जो मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाय ?

श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, १३ तारीख को गंगा घाट के तमाम लोग लखनऊ आए थे उन्होंने एक ज्ञापन मुख्य मंत्री को दिया है ? वह क्या है ? मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें क्या जांच होगी ?

श्री अध्यक्ष ---

शर्मा जी ने यह कहा है कि क्या मैजिस्टीरियल इन्क्वारी समाप्त करने की मांग आई है ? दूसरे क्या १३ तारीख को वहां के लोगों का कोई प्रतिनिधि मंडल

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, इस समय वह ज्ञापन मेरे सामने नहीं है। इतना जरूर स्मरण है कि ज्ञापन दिया गया था जिसमें जो मुन्ना है उसके सारे जो मुकदमे चले थे उनकी सारी चर्चा थी और इस बात का उल्लेख संभवतः था कि कुछ लोग ऐसे हैं, मान्यवर, ज्ञापन इसमें है, मिल गया है। इसमें ७ बातें लिखी गई हैं। इसमें बहुत सी बातों का उल्लेख है और उन लोगों ने यह मांग किया था कि कुछ लोग इसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें ध्यान दिया जाय और आवश्यक कार्यवाही की जाय।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)---

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जिस एस० पी० ने यह षड़यंत्र कराया है वह लगातार हाउसफा में घूम रहा है और किराए के लोगों को लेकर मुख्य मंत्री पर दबाव डाल रहा है कि निष्पक्ष जांच न करायी जाय जिससे षड़यंत्र को दबाया जा सके ?

श्री रामनरेश यादव---

मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है किन्तु जैसा श्री बाजपेयी जो कह रहे हैं तो हो सकता है कि सब इस्पेक्टर या इस्पेक्टर मुझे मिला हो और कोई बात किया हो लेकिन एस० पी० कोई मुझसे नहीं मिला और न पुलिस का कोई अधिकारी मिला है। और न यहां कोई बात सामने आ रही है कि दबाव डालकर इस चीज को समाप्त किया जाय।

*श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी हम सब विधायकों के बीच दो ग्रुप बनाकर एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। यह सदन इसलिए है कि जो कानून, नीति हम बनाए उसका प्रशासन पालन करे। मुन्ना तिवारी मारा गया इसके लिए हम विधायक आर्गूमेन्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मुआवजा नहीं दिलाना चाहते हैं बल्कि हम चाहते हैं, सम्मानित सदस्य उन्नाव के लोग चाहते हैं कि आये दिन जो सी० आर० पी० सी० कहता है कि घटना स्थल को न छिपाया जाय, छिपाना क्राइम है, इसलिए पुलिस पर दफा ७ चल सकती है। मुख्य मंत्री ने दो वर्ग करके, शासन विशेष वर्ग को लेकर ध्वस्त हो रहा है। झांसी का मामला....।

श्री अध्यक्ष ---

आप विषयान्तर हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें ५ बजे एक मुखबिर ने सूचना दिया तो जो सूचना दी जाती है उसको रोजनामचे में दर्ज किया जाता है। मुखबिर ने सूचना दिया कि कोठरी में षड़यंत्र हो रहा है। तो कोठरी किस की थी और वह मुखबिर कौन था ? क्या मुख्य मंत्री जी वह रोजनामचा सदन के पटल पर रखेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

आप तफसील में जा रहे हैं । यह प्रश्न श्री उदित नारायण शर्मा कर चुके हैं कि सी० बी० आई० से जांच करायेंगे कि नहीं ? उसका उत्तर दिया कि जब तक मैजिस्ट्रेट की जांच उनके सामने नहीं आयेगी तब तक इस प्रश्न पर वह अभी कोई भी निर्णय लेने को तैयार नहीं हैं ।

सी० बी० आई० को भेजेंगे या न्यायिक जांच करायेंगे इसका उत्तर दे दिया । बार-बार इसे दोहराने से कोई लाभ नहीं । कल भी इस पर १५-२० मिनट चर्चा हुई और आज भी ।

श्री अशोक वाजपेई—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कथित हत्या काण्ड में मुन्ना तिवारी था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

एफ० आई० आर० में मुन्ना तिवारी का नाम..

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जहां तक सारे फैक्ट्स का सवाल है वह तो इस समय प्रश्न नहीं था विचार करने का । इसके बारे में आपकी व्यवस्था भी हो गई है । मैंने बताया भी ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह समाप्त हुआ ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

एक छोटा सा सवाल है...।

श्री अध्यक्ष —

इसका उत्तर आ चुका है...।

श्री रियासत हुसैन—

भविष्य के लिए । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस तरह के आदेश दे दिए हों कि

[ × × × ]

श्री अध्यक्ष —

यह आक्षेप है ।

श्री वी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

मेरे ऊपर उन्नाव के विधायकों ने आरोप लगाए हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि मुझे भी सवाल करने का और कुछ बातें करने का अवसर दिया जाय ।

---

नोट—[ × × × ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शुक्लागंज, जिला उन्नाव के निवासी श्री प्रकाश त्रिपाठी उर्फ मुन्ना तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के सम्बन्ध में हुए वक्तव्य पर अग्रेत्तर स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष --

स्पष्टीकरण . . .।

श्री डी० पी० बोरा--

माननीय अध्यक्ष महोदय १० अक्तूबर को, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, साढ़े आठ बजे मैंने मुन्ना तिवारी के बहनोई और उसकी बहन के साथ बस में.... (व्यवधान) आठ बजे माननीय विधायक श्रीमती सूर्यमुखी जी ने भी बात की थी। उस समय मैं भी मौजूद था, १० तारीख के सवा सात बजे इनकाउन्टर करके फर्जी इन्काउन्टर दिखला कर उस नौजवान को बस से उतार कर दस बजे रात गोली का शिकार बनाया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ११० विधायकों की इच्छा को नहीं रखना चाहते हैं। उनकी बातों का पालन नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ एस० पी० उन्नाव जो एक हफ्ते से लखनऊ में कैम्प कर रहे हैं, दारुलसफा के कमरे कमरे में जा रहे हैं, उनकी फोटो यहीं पर एक माननीय सदस्य के पास है, उनके कहने पर और दो तीन विधायकों के कहने पर इस तरह का अन्याय करेंगे तो मान्यवर, कोई आदमी इस सदन की प्रतिष्ठा नहीं कायम रख सकता। मुझे इस बात का दुःख है कि सदन के ११० विधायक किसी बात को रखें और माननीय मुख्य मंत्री जी उस बात को मानने के लिए तैयार न हों। मैं चाहूंगा कि आप को अपने पद का सदुपयोग करके मान्यवर, उन पर दबाव देना चाहिए कि सी० बी० आई० से इसकी निष्पक्ष जांच हो। आपको अपने पद का प्रयोग करना चाहिए।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी केवल एक मिनट आपका समय लूंगी ज्यादा नहीं लूंगी। मुन्ना तिवारी के साथ....

श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि मुन्ना तिवारी गुन्डा था या नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा कि वह यह बतायें कि जो १३ तारीख को प्रतिनिधि मंडल आया था उसने क्या कहा था ? क्या मुन्ना तिवारी के खिलाफ कत्ल, मारपीट के केसेज नहीं थे ? गुन्डा ऐक्ट, मीसा तथा डी० आई० आर० में वह बंद रहा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह नहीं है। उसके खिलाफ यह सारे केसेज हुए हैं। प्रश्न इतना था कि उनको कैसे दंडित होना चाहिए। प्रश्न यह था कि इसकी निश्पक्ष जांच कैसे हो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि न्यायिक जांच सी० बी० आई० से कराने के लिए वह तैयार हैं।

[श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा--]

माननीय अध्यक्ष जी मैं भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। मैं यह जानना चाहती हूं.....कि इसमें यह लिखा हुआ है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि ८ बजे मुन्ना तिवारी से मेरी बात हुयी। लिफ्ट से मेरे साथ नीचे आया और डी० पी० बोरा के साथ गाड़ी में बैठकर बस स्टैन्ड गया। तो क्या मुन्ना तिवारी की रुह से बात करी थी ? अगर इस तरह से अन्याय होगा और एकलौते बेटे को इस तरह से मारा जायेगा तो ठीक नहीं है। मैं इस बात को अखिल भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि इस मामले को लिया जाय। यह आज मुन्ना तिवारी के साथ हो सकता है, कल दूसरे के साथ हो सकता है और परसों तीसरे के साथ हो सकता है। मालूम नहीं कितने मुन्ना तिवारी मर जायेंगे। इस माननीय सदन में इस तरह से अन्याय होने लगेगा तो यह ठीक नहीं है। मैं शपथ खाकर कहती हूं कि ८ बजे मुन्ना तिवारी यहां था।

श्री अध्यक्ष --

अब आपने दे दिया। मुख्य मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं।

शारदा प्रसाद जायसवाल--

न्यायिक जांच का आश्वासन नहीं दे रहे हैं इसलिए मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शारदा प्रसाद जायसवाल सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। मुख्य मंत्री जी ऐसा कोई निर्णय नहीं देंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अब तक इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य शपथ लेकर सदन में कहता था तो उसकी वक्त को सत्य मानकर जांच कराई जाती थी। दो माननीय सदस्यों ने शपथ पूर्वक बयान दिया कि ८ और ८-३० बजे की रात तक एक व्यक्ति नन्हे साथ था। तो सदन की उस परम्परा को मानकर क्या इसकी जांच कराई जायेगी या वह परम्परा टूट गई ?

श्री अध्यक्ष--

यह मुख्य मंत्री जी कह चुके हैं मैजिस्ट्रेट से जांच करा रहे हैं। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक जांच या सी० बी० आई० द्वारा जांच पर भी विचार करेंगे। तो इस पर कोई वैसी अब बात नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) --

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि विशेष परिस्थितियों में....

श्री डी० पी० बोरा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी को ११० विधायकों ने प्रत्यावेदन दिया लेकिन उसके बावजूद भी न्याय देने में वह असफल रहे हैं और उन्होंने सत्य को छिपाने की कोशिश की है अतः इसके खिलाफ मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं और इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं आल

इण्डिया जनता पार्टी के अध्यक्ष से अपील करूंगा कि वह इसके लिए मुझको इजाजत दें । मान्यवर, जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज इस सदन की गरिमा गिरायी है, उससे मैं इस सदन का आज त्याग करता हूं ।

श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा--

मान्यवर, जब इस सदन में न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं भी सदन को आज छोड़ती हूं ।

(श्री डी० पी० बोरा व श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा सदन त्याग कर चले गए )

एक सदस्य--

मान्यवर, अगर विधायकों के घरों में पापी और डकैत पनाह लेते हैं तो क्या इस पर कार्यवाही करने का अधिकार शासन को नहीं है ?

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दें ।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठिए ।

श्री हरी सिंह--

मान्यवर, मुझे भी बोलने दीजिए । आप बोलने नहीं देते ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

## श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध की गयी कार्यवाहियों को समाप्त करने के प्रस्ताव को लाने के लिए नियमों के निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, आपने यह जो प्रस्ताव दिया है, नियम १०३ के अन्दर संशोधित रूप में उसे मैंने स्वीकार किया है लेकिन नियम १०८ के अनुसार समय नेता सदन से मिलकर दिया जा सकता है और इसे विचारार्थ लिए जाने हेतु नियम ११० के अन्तर्गत नियमों को निलम्बन करने का प्रस्ताव लाना होगा ।

अब इस प्रस्ताव में नहीं, अगर आप चाहते हैं कि विशेष परिस्थिति में यह प्रस्ताव आए तो आप नियम १०८ को निलम्बित करने का प्रस्ताव रखिये कि इस नियम को निलम्बित करके इस प्रस्ताव को ले लिया जाए । पहले प्रस्तावना पढ़िये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सुन तो लें इसमें कोई निलम्बन की भी आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, है । आप देख लीजिये नियम ११० में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसमें दिया है कि अध्यक्ष विचार करने के बाद कोई एक दिन या आधा दिन या उसका एक भाग नियत कर सकता है । तो किसी दिन में तो आज का दिन भी आ जाता है श्रीमन्, और आज के भाग की ही बात है ।

अध्यक्ष--

आप यह देखिये उसकी प्रक्रिया है । जहां तक प्रस्ताव का सवाल है आप यह प्रस्ताव नियम १०८ को निलम्बित करके रखिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पहले निलम्बित करने का प्रस्ताव रखूं या बोल लूं ...

श्री अध्यक्ष--

पहले नियम १०८ को निलम्बित करने के प्रस्ताव के लिये अनुमति लीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

लेकिन निलम्बन की बात क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

तो प्रस्ताव पढ़ दें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

इसके लिये क्यों कहते हैं कि प्रार्थना करें । यह अधिकार आपका है । यदि आप ग्राह्य करते हैं तो हम निलम्बन की प्रथा क्यों बनायें ? मेरा निवेदन यह है कि आप इतना ही कर सकते हैं कि यह कार्य मंत्रणा समिति में दें और आपकी विवेचना से कार्य मंत्रणा समिति जल्दी बुला ली जाए और इसको २६, २७, २८ म जो आप समझे, दे दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिये तैयार हूं । कार्य मंत्रणा समिति के सामने भेजने के लिए आपत्ति नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, प्रस्ताव पर बोलने के बाद बात साफ हो जाएगी, नियम निलम्बित क्यों किया जाए ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपका प्रस्ताव ग्राह्य कर दिया। अब प्रश्न यह है इस पर कब विचार हो। विचार करने के लिये नियम १०८ मे प्रक्रिया है कि अध्यक्ष एक या दो दिन का समय ले सकता है। इसके लिये परिपाटी यह है कि नेता सदन से परामर्श और कार्य मंत्रणा समिति मे विचार हो। अगर कार्य मंत्रणा समिति के सामने ले जाने के लिये कहें तो ठीक है। अगर आप आज ही चाहते हैं तो नियम १०८ को निलम्बित करने के लिये प्रस्ताव आप रखे तो मुझे एतराज नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह हो सकता है कि अगर....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं कि आपने नियम १०८ का निलम्बन करने के लिये चाहते हैं कि नेता विरोधी दल एक प्रस्ताव करें। क्या इसके सम्बन्ध मे कोई वार्तालाप कार्य मंत्रणा समिति या नेता सदन का हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यह प्रस्ताव माननीय सदन में आपको लाना पड़ेगा। इस पर वोट लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मैं समझता हूं कि अगर वह निलम्बन नहीं हो पाएगा वोट से तो जो आप प्रस्ताव रखवाना चाहते हैं उसके कोई माने नहीं हैं। मैं तो राय दे रहा हुं।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं रखना चाहता हूं। मैंने यही कहा कि यह प्रस्ताव मैंने ग्राह्य किया है संशोधित करके। उसके लिये जैसा श्याम धर जी ने कहा, कार्य मंत्रणा समिति में मैं इसको भेज सकता हूं लेकिन माननीय तिवारी जी, क्या इसको कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख भेज दूं?

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आप जो यह कह रहे हैं कार्य मंत्रणा समिति। एक तरफ तो इस प्रस्ताव की गम्भीरता और अरजेंसी को सामने रखते हुए नेता विरोधी दल को यह आज्ञा दे रहे हैं कि इस प्रस्ताव को इस वक्त रखा जा सकता है और दूसरी तरफ रूल १०८ को सस्पेंड करके रखने की बात हुई। सस्पेंशन तो तब होगा जब नेता सदन से भी इस सम्बन्ध म परामर्श कर लिया जायगा। सस्पेंशन तब होगा जब सदन से पास हो जायगा और ऐसा न होने पर उसकी अरजसी समाप्त हो जायगी। इसलिये आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करके नेता विरोधी दल के उस प्रस्ताव को सदन के सम्मुख लाने की आज्ञा दे देनी चाहिये।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं समझता यह हूं कि अब इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि आप ग्राह्य कर चुके हैं। अब जब आप इसको ग्राह्य कर चुके हैं तो यह सदन के समक्ष आ जाता है। नियम १०८ का प्रयोग होकर यह कार्य मंत्रणा समिति के सामन जाय जैसा कि माननीय रियासत साहब तथा ऊदल जी ने कहा है। आज तो संभव नहीं है लेकिन जब पहले दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाय तो इसको ले आने दीजिये और आप अपना भी अधिकार तथा असर प्रयोग करें, जिससे यह आ सके और हम इस पर बहस कर सकें। यह महत्वपूर्ण विषय है। इसको स्वीकार करके आपने ठीक किया है।

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि किसी भी ऐसे प्रस्ताव को आने से पहले शासन के पास सर्कुलेट करना चाहिये था । बगैर इसके इसकी अनुमति आप कैसे दे सकते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसकी कापी भेजी जा चुकी है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम १०३ के अन्तर्गत जितने प्रस्ताव आते हैं मैं उनकी ग्राह्यता पर विचार करता हूं । बहुत से प्रश्न मेरे द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं लेकिन उनको समय देने का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति करती है । नियम २८३ के अन्तर्गत जब सचिव के पास कोई सूचना आती है तो उसको प्रसारित करना पड़ता है लेकिन जब नेता विरोधी दल ने यह प्रस्ताव मुझे दिया और कहा कि इसका अत्यन्त महत्व है तो उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इसकी ग्राह्यता पर मैं विचार कर लूं । मैंने विचार करके उसे १०४ नियम के अधीन उसको ग्राह्य मान लिया । सुबह जब वह कह रहे थे तो कई बार राजेन्द्र कुमार जी ने आपत्ति भी की थी कि नियम ११० में बिना सूचना दिये हुए जो प्रस्ताव आ सकते हैं उनकी श्रेणी के अन्दर यह नहीं है । श्याम धर जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि उस नियम के उप नियम (८) के अन्तर्गत किसी नियम के निलम्बन का प्रस्ताव बिना सूचना दिये हुये आ सकता है । तो मैंने कहा कि ११० के अनुसार यह प्रस्ताव नहीं है । कोई भी सदस्य ११० के उप नियम (८) के अनुसार अगर किसी नियम के निलम्बन की बात कहता है और तिवारी जी ने १०८ के निलम्बन की बात कही भी है लेकिन जैसा श्याम धर जी तथा रियासत साहब ने अभी कहा उसका अर्थ तभी हो सकता है, जब कि माननीय नेता सदन की उससे सहमति हो । अन्यथा वह अस्वीकार होगा फिर भी वही प्रणाली होगी इसको हम कार्य मंत्रणा समिति में ले जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज पर आप विचार करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं केवल आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी बात सुन लें । श्रीमन्, मैंने नियम १०३ में जब प्रातःकाल एक प्रस्ताव की नोटिस दी और आपने कहा एक घंटे बाद निर्णय देंगे । उसके बाद आपने कृपा करके संशोधित रूप में उसे स्वीकार कर लिया । मैं आपका बहुत आभारी हूं । यह जो प्रस्ताव है इस पर आज ही विचार होना अनिवार्य है । इसलिए मैं अपने विद्वान मित्रों-नेता साम्यवादी दल, उप-नेता कांग्रेस दल, नेता सोशलिस्ट पार्टी और प्रगतिशील विधायक दल का आभारी हूं । लेकिन श्रीमन्, बात यह है कि जो निर्णय होने जा रहा है जैसा कि समाचार-पत्रों में सूचना है कि सोमवार को निर्णय होने जा रहा है । आज सदन उठ रहा है और फिर २६ तारीख को मिलेगा । अगर सोमवार को निर्णय हो गया तो इस सदन का एक नैतिक प्रभाव जो है वह नहीं हो पायेगा । इसलिए कोई दिन मुकर्रर कर दें, उचित नहीं होगा ।

नियम निलम्बित क्यों किया जाय इसके लिए भी मुझे आग्रह करना है । यह आवश्यक है और यह प्रस्ताव बड़ा निर्दोष प्रस्ताव है--"यह सदन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई व भारत सरकार से संस्तुति करता है कि समस्त संसार के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए देश की भूतपूर्व प्रधान मंत्री व देश में विपक्ष की प्रमुखतम नेता श्री तो इंदिरा गांधी के चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र

के लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने की जनता द्वारा दी गई शक्ति को मान्य रखे और इस सम्बन्ध मे अन्य कार्यवाहियां समाप्त करें।" श्रीमन्, यह प्रस्ताव है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर मेरी वैधानिक आपत्ति है जो यह विरोधी दल के नेता रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। आज ही लिया जाय उस पर उन्होंने तर्क दिया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ठीक इसी विषय पर हमारे देश की जो लोक सभा है वह विचार कर रही है। लोक सभा मान्यवर, इस देश की सबसे बड़ी संस्था है। तो मेरी मान्यवर, वैधानिक आपत्ति है। जिस मर्यादा भंग के प्रस्ताव पर स्वयं प्रधान मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की विधान सभा सक्षम नहीं है।

श्री श्याम धर मिश्र--

अब तो यह सवाल ही नहीं है। वह तो आपने स्वीकार कर लिया है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपत्ति है यह लोक सभा के कार्य में दखल नहीं है। यह संस्तुति है मानें या न मानें उनका कार्य है। इसलिए मैंने ग्राह्य किया लेकिन मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी है। मैंने इसको स्वीकार किया है। जब इस पर समय मिलेगा विचार हो सकता है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय, जो कि तिवारी जी ने रखा है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव नहीं किया है। माननीय तिवारी जी ने इस पर विचार करने के लिए कहा है। माननीय नेता सदन, आपका कथन क्या है कि नियम १०८ को निलम्बित करके आज ही इसे लिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय नेता सदन का हृदय द्रवणशील है। उसके लिए मुझे भी कुछ कहने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

नारायण दत्त जी की बात भी सुन लीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं अत्यन्त ही गम्भीरतापूर्वक और जितनी भी गम्भीरता इस सदन के [illegible] सकते हैं, उससे प्रेरित होकर इस नियम को निलम्बित करने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के लिए आग्रह कर रहा हूं और इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए भी निवेदन कर रहा हूं और बिना राजनीति से प्रेरित हुए ....(व्यवधान) मात्र लोकतान्त्रिक मर्यादाओं के अधीन रहकर, जो इस सदन में मान्य हैं (व्यवधान) ।

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिस प्रस्ताव को आपने सदन में रखने की अनुमति नहीं दी है (व्यवधान) ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

आप बैठिए, नेता सदन ने इजाजत दी है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जिस प्रस्ताव को आपने ग्राह्य तो बताया, लेकिन सदन में रखने की अनुमति नहीं दिया है, उस पर क्या नेता विरोधी दल जैसे जिम्मेदार आदमी सदन में विचार करने के लिए कह सकते हैं ? आप इस पर अपनी व्यवस्था दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल का प्रस्ताव यह है--नियम ११० के उपनियम (८) के अनुसार उन्हें अधिकार है कि वह नियम के निलम्बन का प्रस्ताव बिना किसी सूचना के दूं । उनका प्रस्ताव है कि नियम १०८ को, जिसके अनुसार कार्य मंत्रणा समिति समय निश्चित करती है, निलम्बित करके आज ही उनके प्रस्ताव पर विचार किया जाए । यही वह कह रहे हैं, उसके लिये वह नेता सदन से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया आप भी सम्मति दे दें । जब तक आप लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक नियम निलम्बित नहीं हो सकते हैं....(व्यवधान) ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मैं ऐसा समझता हूं कि नेता विरोधी दल को जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उसी को निभाने की वह बात कह रहे हैं । इसीलिए उस प्रस्ताव पर चाहते हैं कि उसका निलम्बन हो । जहां तक नियम ११० के आधार पर लोकतन्त्रीय मर्यादाओं को बनाये रखने का प्रश्न है, वह सबके सामने है और लोकतान्त्रिक मर्यादा को ध्यान में रखकर ही उस पर कार्यवाही हो रही है । फिर यह कहा जाए कि लोकतन्त्रीय मर्यादाओं को कायम रखने के लिए ऐसा किया जाए । इसलिए तिवारी जी के इस प्रस्ताव से मैं असहमत हूं, जो उन्होंने कहा है ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) अब मुझे यह प्रस्ताव रखने दीजिए । (व्यवधान) ।

उन्होंने कहा कि मैं निलम्बन के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय मुख्य मंत्री के प्रति हमारे हृदय में जो थोड़ा आदर उपजा है, उसको वह थोड़ा सा और बढ़ाने की कृपा करें । अभी--अभी वह थोड़ा सहनशील हुए, लेकिन न्याय मंत्री जी, जो आज जज की वेशभूषा में हैं, और जज की वेशभूषा में यह टाई लगाकर आए हैं और कोट-पैन्टधारी....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जज ऐसी टाई कभी नहीं लगाता है । (व्यवधान) ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा कहना यह है, प्रश्न यह है कि क्योंकि इस प्रकार का राज एक नैतिक मनोबल प्रधान मंत्री का बनाए रखने की आवश्यकता है । उनको नैतिक शक्ति देने की आवश्यकता है । संसार के इतिहास में एक जघन्य कारी कार्य होन जा रहा है, वह न हो सके सोमवार के दिन । प्रधान मंत्री जी से मुख्य मंत्री जी बात करते रहते हैं यह बहुत आवश्यक है कि आज जिस प्रकार संसार का प्रेस, देश का प्रेस, जनता पार्टी के लोग भी· · · ·

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है । जब व्यवस्था हो गयी तो बोलने की इजाजत क्यों दिया ? आपने बोलने की इजाजत क्यों दी ? (शोर) ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह आवश्यक है कि यह सदन उत्तर प्रदेश की जनता की मनोभावनाओं को प्रतिबिम्बित करे और आज यह पार्टी का सवाल नहीं है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं । कोई व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आज जिस प्रकार का दबाव लोग डाल रहे हैं वह अशोभनीय में है । आज स्वयं, भारत सरकार का मैंने उल्लेख किया, लोक सभा का उल्लेख नहीं किया है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

श्रीमन्, · · · ·

श्री मान सिंह आजाद--

किस विषय पर बुलवा रहे हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस नियम में आपने तिवारी जी को आज्ञा दी इस विधान सभा में । यह जवाब बताएं आप ? मिश्रा जी की दोस्ती न करो । यह गलत हो रहा है ।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)--

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । माननीय नेता विरोधी दल ने प्रस्ताव रखा और उस पर काफी चर्चा कर ली । उसके बाद माननीय नेता सदन ने उसके सिलसिले में राय दे दी कि वह उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते । इसलिए यह मुनासिब है कि आप व्यवस्था दें । सदन का समय बरबाद हो रहा है । आप वोटिंग के लिए रख दें ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मैं इस सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं । मैं दूसरी बात कह रहा हूं । तिवारी जी ने अपना तर्क दिया १०८ और ११० के सम्बन्ध में । मेरा निवेदन है कि अगर माननीय नेता सदन इस सम्बन्ध में अपना एक रुख रखते हैं और माननीय नेता विरोधी दल एक प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसके सम्बन्ध में वह कहते हैं कि अर्जेंट है, आपने ग्राह्यता की है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आपको स्वयं इस नियमावली ने शक्तियां प्रदत्त की हैं ३१३ और ३११ में आप अपने शक्तियों का प्रयोग कीजिये और निलम्बन करके अधिकार दीजिये । कोई जरूरत नहीं है, आपको स्वयं अधिकार है, ३१३ में समस्त कार्यवाहियों को निलम्बित करके आप उन शक्तियों का प्रयोग कीजिये । आप ३१३ को देख लीजिये । मैं पढ़ देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ३१३ में जो मुझको अधिकार है, वह निलम्बित करने का नहीं है । वह अधिकार है यदि इन नियमों में कोई बात स्पष्ट न हो तो अधिकार का प्रयोग कर सकता हूं । लेकिन जब नियम १०८ में स्पष्ट लिखा है, नियम ११० में स्पष्ट लिखा है तो नियम निलम्बित करना आवश्यक है । इसलिए मैं इसमें नियम ३१३ का उपयोग नहीं कर सकता । लेकिन श्री फजलुल बारी ने जो आपत्ति उठायी कि जब माननीय नेता सदन कह चुके तो प्रश्न रखना चाहिये मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैंने श्री तिवारी जी को अनुमति दी । उन्होंने प्रस्ताव रखा निलम्बित करने का । उसका विरोध हुआ । प्रस्तावक को अन्त में बोलने का अधिकार है । इसलिए उनको मौका दिया । अन्तिम उत्तर मुख्य मंत्री जी का ही होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सारे देश में जनमानस आन्दोलित है । जो प्रबुद्ध लोग हैं और लोकतांत्रिक मान्यताओं को परिपुष्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने श्रीमती गांधी का भरपूर विरोध किया, वे भी कहते हैं कि प्रधान मंत्री के मस्तिष्क में द्वन्द्व चल रहा है कि क्या करें । बहुसंख्यक लोग, प्रेस के एडीटोरियल, सड़क पर चलते हुए लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कठोर हो नहीं सकता । इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश की जनता का बहुमत क्या चाहता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नेता सदन इस प्रकार अलोकतांत्रिक हो सकते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विषय पर लोक सभा में चर्चा विचाराधीन है क्या उस पर यहां चर्चा हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत देर से आये । मैं निर्णय दे चुका ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या नेता सदन यह सोच सकते हैं कि ब्रीच आफ प्रिवलेज के नाम पर जितने विरोधी दल के नेता हैं या सदस्य हैं उनको पूरे टर्म के लिए पांच साल के लिए निष्कासित कर दिया जाय। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले भी इतना विरोध रहा लेकिन कभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया कि निर्वाचित सदस्य को सारे टर्म के लिए निष्कासित कर दिया जाय।

श्री मान सिंह आजाद--

तिवारी जी इन्दिरा जी को एक कार और भेज देंगे लेकिन [× ×]

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर इस प्रकार की प्रक्रिया रही तो कोई भी बहुमत अल्पसंख्यक को सारे समय के लिए निकाल सकता है। यह जनता पार्टी के मेनीफेस्टो के खिलाफ है...

(व्यवधान)

एक सदस्य--

कांग्रेस ने एमरजेन्सी में निकाला था....

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्री राजनारायण और मधु दंडवते जी....

(शोर गुल)

आप मेरी आवाज इस तरह नहीं दबा सकते। मैं निर्भय व्यक्ति हूं। लेकिन यह समझना कि बहुमत के बल पर अल्पमत की आवाज को दबाया जा सकता है तो उसको नहीं दबा सकते। मैं क्षमा चाहता हूं मुझे जोर से बोलने के लिए विवश होना पड़ा। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं उनका मैं बड़ा आदर करता हूं।

(व्यवधान)

हमने गलती की है, उसको छोड़िए। उसी लिए हम इधर बैठे हैं। हम यह कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

(शोर)

सुब्रामणियन स्वामी को निकाल दिया गया, उसका आधार क्या है ?

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, आप कृपया समाप्त कीजिए ।

एक सदस्य--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

व्यवस्था का प्रश्न मेरा है । दूसरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

आपकी आवाज से ज्यादा बड़ी आवाज जनता की आवाज है । आवाज का कन्फ्यूशन होता है । मैं विश्वास दिलाता हूं, वाणी के आधार पर ।....

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद--

ये खिसियाये हुये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

निकाल दिया जाय सबको, हम सबको । ऐसा शासन पैदा हुआ कि सारे विरोधी दल के लोगों को निकाल दिया गया । आप में शक्ति नहीं बैठाने की ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । क्या व्यवस्था है ?

श्री अशफाक अहमद खां (जिला गोंडा)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । तिवारी जी को बोलने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या एक भी सदस्य नहीं जनता पार्टी में जिसके हृदय में लोकतंत्रात्मक उद्गार हों ...।

(व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

१९ महीने में लोकतंत्र देख चुके हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जो साजिश हो रही है, जो दबाव डाला जा रहा है, जिसको कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्कसिस्ट, डी० एम० के०, अकाली दल और जनता पार्टी के प्रगति शील लोगों ने इस दबाव का विरोध किया है और यह कहा कि प्रधान मंत्री को जनता पार्टी के मैनीफैस्टो पर चलने के लिए उनके हाथ मजबूत करेंगे । और मैं चाहता हूं कि यह नियम निलम्बित करके मेरा यह प्रस्ताव अवश्य स्वीकार किया जाये ।

(व्यवधान--नहीं नहीं की आवाजें)

श्री राम नरेश यादव--

मैं इससे सहमत नहीं हूं। माननीय तिवारी जी, में, ऐसा लगता है कि इमरजेन्सी के समय उनमें जो गर्मी आयी थी वही गर्मी आज भी आ गयी है और उसी के कारण वे आज लोकतंत्र की याद दिलाना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की नीतियों पर ही चल रही है और आगे भी चलेगी। (शोर) (व्यवधान) संविधान में निहित मर्यादाओं के निहित ही यह सरकार काम करेगी। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो, तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वह यह कि आज संविधान के अनुसार जो कार्यवाही चल रही है उसे चलने दिया जाये।

(व्यवधान) (शोर) इन शब्दों से साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कांग्रेस-दोनों पक्ष--के सदस्य नारे लगाते हुये और शोर करते हुये सदन से बाहर चले गये।)

(श्री ऊदल ने भी सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नियम १०८ को निलम्बित करके श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य श्री बोरा ने आपके विरुद्ध जो शब्द कहे हैं उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा, उसे निकाल दिया जायगा।

## प्रदेश में शीत लहरी से लगभग २५ व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, प्रदेश में प्रति वर्ष शीत लहरी से कुछ न कुछ जिले प्रभावित होते हैं इसलिए दिसम्बर के प्रारम्भ में ही (दिनांक २-१२-७८) प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को बेतार संदेश द्वारा यह निर्देश भेजे गये कि प्रदेश में शीत लहरी का प्रकोप है इसलिए बेघर गरीब, निर्धन व असहाय व्यक्तियों को ठंड से बचाने के लिए गत वर्ष की भांति आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कराई जाय ताकि असहाय व्यक्ति ठंड से बच सकें। उन्हें यह भी निर्देश दिये गये कि विशेष सहायता मद में दी गई धनराशि का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाय। अतः यह कहना सही नहीं है कि शीत लहरी के प्रकोप से सुरक्षा हेतु शासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

श्री शीतखण्ड प्रकाश को नियम ५१ की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई समस्त जिलाधिकारियों को तार संदेश भेजकर यह सूचना मांगी गई कि यदि शीत लहरी से उनके जिले में कोई मृत्यु हुई हो तो उसकी सूचना दे तथा बेघर, निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों को शीत लहरी के प्रकोप से बचाने एवं राहत देने के लिए की गई कार्यवाही से शासन को अवगत करें। यह सूचना दिनांक १३-१२-७८ तक शासन को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें निर्देश दिये गये थे।

प्रदेश के ३८ जिलों से अब तक सूचना प्राप्त हुई है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी व्यक्ति की शीत लहरी से मरने की पुष्टि नहीं हुई है। मण्डलवार सूचना निम्न प्रकार है:--

१--फैजाबाद मण्डल--इस मण्डल के सभी जिलों से सूचना प्राप्त हो गई है और किसी भी व्यक्ति के शीत लहरी से मरने की सूचना नहीं है।

२---झांसी मण्डल--सभी जिलों से सूचना प्राप्त हो गई है किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शीत लहरी से मरने की कोई सूचना नहीं है। जिला जालौन तथा झांसी में आवश्यकतानुसार अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है।

३--रुहेलखण्ड मण्डल---बरेली जिले से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु शेष जिलों में शीत लहरी से किसी भी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है। शाहजहांपुर तथा पीलीभीत जिलों में अलाव जलाने की व्यवस्था भी की गई है।

४--मेरठ मण्डल--इस मण्डल के ६ जिलों में से मुजफ्फरनगर, मेरठ तथा गाजियाबाद से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। शेष जिलों में शीत लहरी से किसी भी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है।

५---आगरा मण्डल--इस मण्डल में अलीगढ़ तथा एटा से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है किन्तु शेष तीन जिलों में शीत लहरी से किसी भी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं है।

६--इलाहाबाद मण्डल--केवल इलाहाबाद जिले से अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है किन्तु शेष चार जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार शीत लहरी से किसी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं है।

७---वाराणसी मण्डल---वाराणसी, मिर्जापुर तथा बलिया से अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है किन्तु शेष दो जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां शीत लहरी से किसी व्यक्ति के मरने की कोई सूचना नहीं है।

८---गोरखपुर मण्डल---गोरखपुर जिले से अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है किन्तु शेष जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां किसी व्यक्ति की शीत लहरी से मृत्यु होने की सूचना नहीं है। जिलाधिकारी, बस्ती तथा आजमगढ़ से टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा इन जिलों से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि शीत लहरी से वहां किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

९--कुमाऊं मण्डल--नैनीताल तथा अल्मोड़ा से अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। पिथौरागढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां किसी भी व्यक्ति की शीत लहरी से मृत्यु नहीं हुई है।

१०--गढ़वाल मण्डल--चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल तथा देहरादून से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। गढ़वाल जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां शीत लहरी से किसी व्यक्ति के मरने की सूचना नहीं है।

११--लखनऊ मण्डल--केवल उन्नाव से सूचना नहीं प्राप्त हुई है। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई तथा खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां शीत लहरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। लखनऊ जिले में शीत लहरी से एक व्यक्ति के मरने की खबर समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई थी किन्तु जांच से अभी तक इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। लखनऊ जिले से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि तहसीलदार को यह निर्देश दिये गये हैं कि वह लकड़ी क्रय कर आवश्यकतानुसार अलाव जलवाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, गाजियाबाद, एटा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल आदि की आज ही सूचना प्राप्त हो सकी है, वहां भी कोई शीत लहरी से मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

ऐसा है, यह प्रश्न श्री शतरुद्ध प्रकाश जी का था, वह आज सदन से निष्कासित हैं तो वैसे मैंने सदन की जानकारी के लिए पढ़वा दिया है, वैसे यह प्रश्न समाप्त हो चुका है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

अलीगढ़ के अन्दर इन्डेफनेट टाइम के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां की हालत बहुत बिगड़ गयी है। इस संबंध में कोई लेटेस्ट सूचना हो, तो वह माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा या गृह मंत्री जी के द्वारा मिल जाय, तो सदन को जानकारी हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मंत्री जी, आपने कहा है कि अलीगढ़ में फिर स्थिति खराब हो गई है, तो आप माननीय गृह मंत्रीं या माननीय मुख्य मंत्री से कह दें कि वह सूचना सदन को दे दें।

## प्रदेश में नक्सलपंथी बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ (नत्थी घ) के सम्बन्ध में नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

प्रदेश के नक्सलपंथी बंदियों की रिहाई के लिए शासन द्वारा हिंसा में अविश्वास संबंधी शर्तों के विषय में यह कहा गया था कि जो लोग अहिंसा में

श्री राम आसरे वर्मा]

विश्वास प्रकट कर देंगे, उनकी रिहाई पर विचार किया जायगा । पिछले सवाल के जवाब मे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोगों की ओर से इस तरह की घोषणायें की गयी हैं, किन्तु जिला मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट अनुकूल न होने के कारण कोई निर्णय अभी नहीं हुआ । मैं यह बताना चाहता हूं कि आखिर यह नक्सलपंथी हैं, कौन लूट, जुल्म से मोर्चा लेने का संकल्प लिए अपने को जनता के लिए समर्पित करने वालों को नक्सलपंथी कहा जाता है । हमारे प्रदेश में ऐसे सैकड़ों लोग उनकी टोलियों से जुड़े पाये गये । अगर नारायण दत्त तिवारी जी होते तो अपने शासन में जिस तरह के जुल्म नक्सलपंथियों पर किये, वे होते तो सुनाते अच्छा लगता । कांग्रेसी शासन में जेल के भीतर, जेल के बाहर तमाम लोगों को बे-घरबार कर दिया गया । गोलियों से उड़ा दिया गया । जेलों के अन्दर उनको यातनायें दी गयीं । आज जब शासन बदला है, लोगों को उम्मीद थी कि शासन इस पर विचार करेगा और नये सिरे से नयी नीति निर्धारित करेगा और उनको नया राजनीतिक जीवन देने का मौका मिलेगा ।

मान्यवर, यह विश्वास था । भूतपूर्व गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि नक्सलवादी भूमि समस्या की उपज हैं, अगर भूमि समस्या न हो तो तो ये न होते । हमें विश्वास था कि उनको उस समय की घोषणा के अनुसार हमारे प्रदेश में नक्सलपंथियों के बारे में शासन अपना रुख तय करेगा । बंगाल की सरकार ने छोड़ा, बिहार, पंजाब में लोग छोड़े गये लेकिन हमारे प्रदेश में नहीं । लखनऊ जेल में सत्यपाल मरणासन्न अवस्था में हैं । उनको राजनीतिक दर्जा नहीं दिया जा रहा है । फतेहगढ़ और बरेली जेल के अन्दर लोग अमानवीय यातनाओं का शिकार हो रहे हैं । लेकिन उनको राजनीतिक दर्जा नहीं दिया जा रहा है । पैरोल मंजूर नहीं की जा रही है, रिहाई की बात दूर है । शासन को इनकी रिहाई पर विचार करना चाहिये और जब तक रिहाई न हो तब तक इनको राजनीतिक दर्जा दिया जाय और यातनायें बन्द की जायं ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

घंटी बजाइये ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति न होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और दिनांक २६ दिसम्बर, १९७८ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३३ मिनट पर मंगलवार २६ दिसम्बर, १९७८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

१५ दिसम्बर, १९७८

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२५ पर)

शासकीय आधार सामग्री विधायन केन्द्र, लखनऊ में १९७३ से अब तक निकाले गये कर्मचारियों के विवरण

| क्रम-संख्या | कर्मचारी का नाम | निकाले जाने का कारण | पर्याप्त अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में तथ्य |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्री अहमद अली सिद्दीकी (टंकक) | अभद्र व्यवहार एवं घोर अनुशासनहीनता करने के कारण एवं अनेकों बार बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से गायब हो जाने या अवकाश पर चले जाने के कारण उनकी सेवायें समाप्त की गयीं। | कार्य एवं आचरण को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु सुधार नहीं हुआ। इनको समय-समय पर चेतावनियां, कड़ी चेतावनियां या स्पष्टीकरण देने के अवसर दिये गये। |
| २ | श्री सतीश कुमार धवन (पंच आपरेटर) | अधिकारी पर झूठा आरोप लगाने, महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ करने एवं कार्य, व्यवहार एवं अनुशासन असंतोष-जनक होने के कारण सेवायें समाप्त की गयीं | पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु कोई सुधार नहीं हुआ। |
| ३ | श्री हरी दर्शन (डाक वाहक) | ७-१-७६ से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण तीन माह बाद सेवायें समाप्त कर दी गयीं। | प्रश्न नहीं उठता। |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ४ | श्री ओरी लाल (चपरासी) | दिनांक १-७-७४ को चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया और २-७-७४ को इन्होंने बताया कि वे अपने पद पर कार्य नहीं करेंगे क्योंकि ये उस पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। अतः इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं | उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवायें समाप्त की गई। |
| ५ | श्री मालिक राम (स्वीपर) | इनका कार्य असन्तोषजनक था। वे अधिकतर अनुपस्थित रहते थे और बिना विभागीय अनुमति के प्राइवेट नौकरी भी करते पाए गए थे जिसके कारण इनकी सेवायें समाप्त की गई | कार्य को सुधारने का पर्याप्त अवसर दिया परन्तु सुधार नहीं हुआ। |
| ६ | श्री धर्मपाल (चपरासी) | यह अनधिकृत रूप से बिना किसी सूचना के लम्बे समय तक लापता हो जाते थे तथा अनधिकृत अवकाश के उपभोग के पश्चात् प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते थे। समय-समय पर आचरण सुधारने हेतु आगाह भी किया गया परन्तु सुधार न हुआ | इस प्रवृत्ति के सुधार हेतु समय-समय पर उन्हें चेतावनी दी गई परन्तु कोई सुधार नहीं हुआ। |
| ७ | श्री देवराम (चपरासी चौकीदार) | अपने पद का कार्य जिम्मेदारी से न करने, ड्यूटी से अनुपस्थित रहने, अनुशासनहीनतापूर्ण व्यवहार करने और गलत शिकायत उच्च अधिकारियों से करने के कारण सेवायें समाप्त की गई | चेतावनी दी गई परन्तु कोई सुधार नहीं हुआ। |
| ८ | श्री मो० कमर (चपरासी) | कार्य में आरम्भ से ही कोई रुचि नहीं ली। आदेशों का पालन न करने और गलत शिकायतें करने के कारण इनकी सेवायें समाप्त की गई | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | श्याम लाल (डाक वाहक) | लगातार ड्यूटी से बिना सूचना व प्रार्थना-पत्र के गैर हाजिर रहे जिसके फलस्वरूप इनकी सेवायें समाप्त की गई | ड्यूटी पर न आने के लिए कर्मचारी से स्पष्टीकरण लिया गया परन्तु कर्मचारी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फलस्वरूप सेवायें समाप्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। |
| १० | श्री चन्दन (स्वीपर-कम-फर्राश/ चौकीदार) | केन्द्र का कार्यालय तालकटोरा से जवाहर भवन में स्थानान्तरित होने पर स्वीपर-कम-फर्राश एवं चौकीदार के पद की आवश्यकता नहीं रही। इन्हें पुनः २४-४-७७ से प्रशिक्षण केन्द्र परिचर के पद पर रिक्त उपलब्ध होने के फलस्वरूप नियुक्त किया गया। | |

मधुकर सिंघ,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

**सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत यू० पी० शूगर कम्पनी, सेवरही को अतिरिक्त घोषित भूमि की ग्रामवार सूची**

| क्र०सं० | ग्राम | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|
| | वर्ष १९६० में | |
| १ | सपहा | २४२.६० |
| २ | नरकटिया | २०४.३१ |
| ३ | मठिया बिसमेर माधोपर | ४४.७१ |
| ४ | खोसारी गोदहा | ८.९० |
| ५ | सेखवनिया बुजुर्ग | ०.७४ |
| ६ | मैनपुर | २९.११ |
| ७ | पगरा सरसा दीगर | ६.३६ |
| ८ | पांडेपुर उर्फ विसम्भरपुर | ५१.७० |
| ९ | पकड़ियार पूरब पट्टी | ७३.८७ |
| १० | पकड़ियार पश्चिम पट्टी | २६.२२ |
| ११ | बभनौली | ४९.३४ |
| १२ | सरगटिया करनपट्टी | २९३.९८ |
| १३ | वनरहा पूरब पट्टी | २.४७ |
| १४ | राजपुर बगहा | २९.९४ |
| १५ | संग्रामपुर | २९.५२ |
| १६ | चखनी दुक्खी मिश्र | ४.२३ |
| १७ | भडवा | २५.१५ |
| १८ | गोसाईं पट्टी | १६.३० |
| १९ | सुमही सन्त पट्टी | ५.६३ |
| २० | मुन्नी पट्टी | ४१.१३ |
| २१ | पथरवा | १५.४९ |
| २२ | दोनाथ | २१५.०३ |

| क्र० सं० | ग्राम | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|
| २३ | बसडोला बुजुर्ग | ३.५३ |
| २४ | बतरडेरी | ६.१६ |
| २५ | कतौरा | १२.०९ |
| २६ | सपही खुर्द | ४०.३१ |
| २७ | गुरवलिया | १६.०४ |
| २८ | अमवर खास | २५.८० |
| २९ | बैकुण्ठपुर | २३३.०० |
| ३० | तिलक पट्टी | ४८.३६ |
| ३१ | कोकिल पट्टी | ११५.०५ |
| ३२ | अहिरौली | १०१.१५ |
| ३३ | मठिया कर्णगिर | २१.१४ |
| ३४ | रकबा दुलमा पट्टी | १२२.१० |
| ३५ | मूठिया मोकरिया | ३१.९४ |
| ३६ | बरवा राजा पाकड़ | ११०.४८ |
| ३७ | टड़वा | २९१.०६ |
| ३८ | दुबौली | ०.५२ |
| ३९ | अवदान टोला | २१.९६ |
| ४० | तुर्कबलिया साहेबगंज | ०.०७ |
| | | २६१७.४९ |

वर्ष १९७२ में

| | | |
|---|---|---|
| १ | सेवरही | ०.११ |
| २ | टड़वा | ४.७६ |
| ३ | पकड़ियार पूरब पट्टी | १.०० |
| ४ | बभनौली | ३४.८१ |
| ५ | बरबा राजा पाकड़ | १२.७० |

| क्र० सं० | ग्राम | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|---|
| ६ | अमवा खास | २.८४ |
| ७ | सरगटिया करन पट्टी | ३.८४ |
| | योग .. | ६०.०६ |
| | **वर्ष १९७४ में** | |
| १ | बभनौली | ७.१९ |
| २ | सरगटिया करन पट्टी | १३.२८ |
| | योग .. | २०.४७ |

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२७ पर)

ग्राम नरायनपुर, विकास खण्ड नंबुआ नौरंगिया, तहसील हाटा, जिला देवरिया के आबंटियों की सूची

| क्रमांक | आबंटी का नाम व पिता का नाम | जाति | आबंटित क्षेत्रफल | भूमि का रकबा जो पहले से आबंटन के नाम है |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | सर्वश्री— | | | |
| १ | छठ्ठू पुत्र बुधी | चमार | ०.६५ | भूमिहीन |
| २ | चिरञ्जन पुत्र महावीर | ,, | ०.६५ | ,, |
| ३ | मंगर पुत्र सुन्दर | ,, | ०.६४ | ,, |
| ४ | लछुमन पुत्र गोविन्द | ,, | ०.६५ | ,, |
| ५ | नरायन पुत्र सुखारी | ,, | ०.६५ | ,, |
| ६ | कन्हई पुत्र लालू | ,, | ०.६६ | ,, |
| ७ | धलोली पुत्र काशी | नोनिया | ०.६६ | ,, |
| ८ | मेघू पुत्र राम किशुन | कानू | ०.६५ | ,, |
| | छोटे गोत वाले अनुसूचित जाति के आबंटी | | | |
| ९ | बदरी पुत्र मंगर | चमार | ०.३५ | ०.३० |
| १० | इनर पुत्र मंगर | ,, | ०.३५ | ०.३० |
| ११ | बंशी पुत्र मनी | ,, | ०.३५ | ०.६० |
| १२ | बहादुर पुत्र मनी | ,, | ०.३५ | ०.६० |
| १३ | बिन्हाचल पुत्र खेलावन | ,, | ०.३५ | ०.८० |
| १४ | कमल पुत्र ननन | ,, | ०.३० | ०.४० |
| १५ | जीता पुत्र ननन | ,, | ०.३५ | ०.४० |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| | सर्वश्री-- | | | |
| १६ | मूस पुत्र उग्रह | चमार | ०.३५ | ०.२६ |
| १७ | टँगर पुत्र टोमल | ,, | ०.३५ | ०.२७ |
| १८ | रामबक्श पुत्र विदेशी | ,, | ०.३५ | ०.८० |
| १९ | फौजदार पुत्र उगर | ,, | ०.३५ | ०.२७ |
| २० | जय प्रकाश नाबा० बेवा मु० बासमती | ,, | ०.३५ | ०.४० |
| २१ | अलगू पुत्र टोमल | ,, | ०.३५ | ०.३० |
| २२ | गुल्लो पुत्र राम लाल | धोबी | ०.३५ | ०.८६ |
| २३ | हरिवंश पुत्र राम प्रसाद | ,, | ०.३५ | ०.८६ |
| | छोटे जोत वाले अन्य जाति के आवंटी | | | |
| २४ | रामवृक्ष पुत्र स्वरूप | कलवार | ०.३५ | ०.८८ |
| २५ | श्रीप्रसाद पुत्र स्वरूप | ,, | ०.३५ | ०.८८ |
| २६ | भगवान पुत्र लालमनि | ,, | ०.३५ | ०.८८ |
| २७ | महंगू पुत्र मंगर | नोनिया | ०.३५ | ०.८० |
| २८ | ठग पुत्र लालबिहारी | ,, | ०.३५ | ०.५० |
| २९ | चन्द्रिका पुत्र लालबिहारी | ,, | ० ३५ | ०.५० |

पी० एस० यू० पी०--४८ वि० सभा--७-७-१९७९--८३५--(पी० डी०)